द्वितीय माला, खण्ड १—अंक ५

१५ मई, १९५७ (बुधवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(खण्ड १ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) तीन शिलिंग (विदेश में)

32 LSD

विषय-सूची

	पृष्ठ
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	१४१
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या † २४ से ४६ . . .	१४१—६८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४६-क और ४७ से ६२ . .	१६८—७५
अतारांकित प्रश्न संख्या १८ से ३२ . . .	१७५—८१
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१८२
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . .	१८२—२१३
आचार्य कृपालानी	१८३-८४
डा० राम सुभग सिंह	१८४—८६
श्री अ० क० गोपालन	१८६—८८
श्री फ्रेंक एन्थनी	१८८—९०
श्री ब० प्र० सिंह	१९१—९५
श्री अ० सिं० सरहदी	१९६-९७
स्वामी रामानन्द तीर्थ	१९७-९८
श्री सं० कु० बनर्जी	१९८-९९
श्री भरुचा	१९९-२००
श्री महन्ती	२००—०२
लाला अचिन्त राम	२०२—०६
श्री भगवती	२०७-०८
श्री वाजपेयी	२०८—१२
श्रीमती रेणुकारे	२१२-१३
सामान्य आयव्ययक, १९५७-५८ का उपस्थापन . .	२१३—३८
श्री ति० त० कृष्णमाचारी	२१४—३८
वित्त (संख्या २) विधेयक, १९५७—पुरःस्थापित . .	२३८
धन कर विधेयक, १९५७—पुरःस्थापित . . .	२३९
व्यय कर विधेयक, १९५७—पुरःस्थापित . . .	२३९
रेल यात्री किराया विधेयक, १९५७—पुरःस्थापित . .	२३९
करों का अस्थायी संग्रह (अस्थायी संशोधन) विधेयक, १९५७ पुरःस्थापित	२४०
दैनिक संक्षेपिका	२४१—४३

† किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

बुधवार, १५ मई, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

श्री मा० म० गांधी (पंच महल)

लाला अचित राम (पटियाला)

श्री पैका मुरमू (राजमहल-रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां)

स्वामी रामानन्द तीर्थ (औरंगाबाद)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कोसी बन्ध

†*२४. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोसी नदी के किनारे बन्ध बनाने, नहरों का निर्माण करने और उस पर बांध बनाने के सम्बन्ध में इस समय क्या स्थिति है ;

(ख) क्या यह कार्य योजना और निर्दिष्ट समय-तालिका के अनुसार चल रहा है; और

(ग) अब तक कुल कितना व्यय हुआ है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** (क) से (ग). विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १२**]

†**श्री श्रीनारायण दास :** इस विवरण से यह प्रतीत होता है कि पानी के निकास के फाटकों पर केवल ६० प्रतिशत कार्य ही पूरा हुआ है। इस धीमी प्रगति के क्या कारण हैं और क्या सरकार को पता है कि पानी के निकास के इन फाटकों के पूरे न होने के कारण पश्चिमी तट के पश्चिमी ओर के एक बड़े क्षेत्र में इस समय भी पानी भरा हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० का० पाटिल** : हमें कुछ कठिनाइयां का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिये प्रगति धीमी मालूम पड़ती है, परन्तु इन कठिनाइयों को क्रमशः दूर किया जा रहा है जिससे काम में तेज़ी लायी जा सके ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : इन दोनों बन्धों के बीच में पड़ने वाले गांवों के निवासियों की क्षति-पूर्ति के लिये क्या कार्यवाही की गयी है, अथवा की जानेवाली है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : हम प्रतिकर का हिसाब लगाने का प्रयास कर रहे हैं। परन्तु वह ऐसा विषय है जिस पर बोर्ड विचार कर रहा है और हमें अभी तक उसके सुझाव नहीं मिले हैं। परन्तु यह स्पष्ट है कि इससे जिनको भी नुकसान होगा उनकी पर्याप्त क्षति-पूर्ति कर दी जायेगी ।

†**श्री केशव** : यह परियोजना नेपाल के लिये भी उपयोगी है, इसलिये क्या नेपाल इस परियोजना के व्यय में कुछ अंशदान कर रहा है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : जी, नहीं ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : ग्राम पंचायतों और श्रमिकों की सहकारी समितियों ने अब तक कितने प्रतिशत कार्य किया है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री(श्री हाथी)** : पिछले दो वर्षों में, ग्रामीण सहकारी समितियों और ग्राम पंचायतों ने १९५४–५५ में ५.२३ करोड़ घन फुट और १९५५–५६ में १०.३९ करोड़ घन फुट कार्य किया था। इन दोनों वर्षों में किया गया कुल कार्य, १९५४–५५ में १८.३५ करोड़ घन फुट और १९५५–५६ में ३५.८२ करोड़ घन फुट था ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : एक पिछले प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा था कि सरकार को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्या मैं जान सकता हूं कि ये कठिनाइयां किस प्रकार की हैं, और इन्हें किसने उत्पन्न किया है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : जिन गांववालों पर इन बन्धों का असर पड़ने वाला है वे इन बन्धों को जोड़ने का घोर विरोध कर रहे हैं। साथ ही पानी भर जाने की भी कुछ कठिनाई थी। हम इन सभी कठिनाइयों को हल करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कार्य को यथा संभव भी शीघ्रता के साथ पूरा किया जा सके ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : जिन गांवों पर इसका असर पड़ा है उनमें व्याप्त असंतोष को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार इस बात का स्पष्ट संकेत करेगी कि उन्हें कितना प्रतिकर दिया जायेगा अथवा उन्हें किस ढंग से फिर से बसाया जायेगा ?

†**श्री स० का० पाटिल** : कोसी परियोजना नियंत्रण बोर्ड इस समयस्या पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। इसलिये अभी यह बताने का समय नहीं आया है कि उन्हें प्रतिकर के रूप में कितना दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सहकारी खेती

†*२५. **श्री ल० ना० मिश्र :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य-सरकारों से इस बात की कोई विशेष सूचना मिली है कि सहकारी खेती के क्षेत्र में उनके यहां कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो किन किन राज्यों से और इस सूचना का स्वरूप क्या है ?

†**सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) और (ख). सहकारी खेती की प्रगति के बारे में राज्य सरकारों से कोई सूचना नहीं मांगी गयी है और न मिली ही है। परन्तु फिर भी, लोक सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १३**] जिसमें सहकारी कृषि समितियों की वर्तमान स्थिति के बारे में मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी दे दी गयी है । योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने कुछ समय पूर्व वर्त्तमान २२ सहकारी कृषि समितियों का सर्वेक्षण किया था। इसका प्रतिवेदन हाल ही में निकला है और उसकी एक प्रति संसद् पुस्तकालय में रख दी गयी है।

†**श्री ल० ना० मिश्र :** द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रतिवेदन में यह सुझाव दिया गया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सहकारी खेती के लक्ष्य राज्य-सरकारों के परामर्श से योजना के पहले वर्ष में नियत कर दिये जायें । क्या अभी कुछ निश्चित किया गया है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** जी, नहीं, अभी अंतिम रूप से नहीं किये गये हैं।

†**श्री वें० प० नायर :** अबतक कितने एकड़ भूमि में सहकारी खेती की जा चुकी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** यह विवरण में दिया हुआ है। कुल १,४४,०६५ एकड़ में ।

†**श्री ल० ना० मिश्र :** क्या यह सच है कि सहकारी खेती के विषय में कुछ राज्य-सरकारों का भिन्न मत है और उत्तर प्रदेश सरकार ने तो योजना आयोग की सिफारिश का खुले तौर पर विरोध किया है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसी कोई राय प्रगट नहीं की है। परन्तु उत्तर प्रदेश के कुछ मंत्रियों ने सहकारी खेती की सुकरता के बारे में संदेह अवश्य प्रगट किया है।

†**श्री ल० ना० मिश्र :** परन्तु भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके बारे में भारत सरकार के कुछ निश्चित विचार हैं या नहीं ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** जी, हां। भारत सरकार के अपने निश्चित विचार हैं और ये विचार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दिये हुये हैं।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** सहकारी खेती को ध्यान में रखते हुये क्या मैं यह जान सकती हूं कि सरकार ने इसके लिये कितने ट्रैक्टर खरीदे हैं और उनमें से कितने बेकार पड़े हैं ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** मैं नहीं समझता कि सहकारी खेती के साथ ट्रैक्टरों का कोई सम्बन्ध है ।

---

†*मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न। श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार .....

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने अगला प्रश्न पुकारा था ।

वाइकर्स वाइकाउन्ट विमान

†*२६. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन' अपनी आधुनिकीकरण की योजना के अधीन १९५७ में कितने 'वाइकर्स वाइकाउन्ट' विमान चलाने वाला है ;

(ख) क्या इन 'वाइकर्स वाइकाउन्ट' विमानों के लिये रख-रखाव केन्द्र बनाने के लिये सरकार एक 'हैंगर' का निर्माण कराने वाली है; और

(ग) यदि हां, तो किस स्थान पर ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर) :** (क) १९५७ में पांच विमानों के चलाये जाने की आशा है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) पालम पर ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या सरकार 'इन्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन' के सभी 'ट्रंक रूट' पर 'डकोटा ' और 'वाइकिंग' विमानों के स्थान पर सभी 'वाइकाउंट' विमान चलाने वाली है ?

†**श्री हुमायूं कबीर :** इस समय तो केवल "वाइकिंग' विमानों के स्थान पर 'वाइकाउंट' विमान चलाने का प्रस्ताव है। 'डकोटा' विमानों के स्थान पर 'वाइकाउंट' विमान चलाने के प्रश्न पर अलग से विचार किया जा रहा है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या सरकार ने यह प्राक्कलन तैयार किये हैं कि इन 'वाइकाउंट' विमानों के क्रय में कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी और विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिन परिस्थितियों का ध्यान रखते हुये क्या सरकार इस योजना पर पुनर्विचार करने वाली है ?

†**श्री हुमायूं कबीर :** पहले पांच 'वाइकाउंट' विमानों के लिये १९५५ में और पांच 'वाइकाउंट' विमानों की दूसरी खेप के लिये १९५६ में आर्डर दिये गये थे। इसलिये आर्डर पहले ही दिये जा चुके हैं और इस समय इन आर्डरों पर पुनर्विचार कर संभवत: उचित नहीं होगा क्योंकि हमें हानि उठानी पड़ सकती है।

श्री जोकीम आल्वा : क्या यह सच है कि "वाइकाउंट' विमानों को चलाने आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये बारह विमान चालकों का जो दल ब्रिटेन भेजा गया था उसने ब्रिटेन में एक भी उड़ान नहीं की है और 'ग्राउन्ड लेक्चर्स' का उनका पाठ्यक्रम भी वहां अभी पूरा नहीं हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हुमायूं कबीर :** 'वाइकाउंट' सेवाओं को चलाने के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये कुछ विमान चालक भेजे गये हैं। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उनको उड़ानों का बिल्कुल अनुभव नहीं हुआ है ।

†**श्री कासलीवाल :** इन 'वाइकाउंट' विमानों के चलाये जाने के बाद विमान-यातायात में कितने प्रतिशत वृद्धि होने की आशा है ?

†**श्री हुमायूं कबीर :** इस समय यह अनुमान लगा सकना असम्भव है कि वास्तव में कुल कितनी वृद्धि होगी । परन्तु हमें यह आशा है कि वृद्धि आवश्यक होगी । अन्यथा हमने इन अधिक बड़े और ज्यादा तेज़ चलने वाले विमानों को पसन्द न किया होता ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** इन 'वाइकाउंट' विमानों के लिये यहां अथवा विदेश में कुल कितने विमान चालकों को प्रशिक्षित किया गया है ?

†**श्री हुमायूं कबीर :** मुझे पूर्व-सूचना चाहिये ।

†**श्री कर्णी सिंहजी :** एक विमान की कीमत कितनी होगी ?

†**श्री हुमायूं कबीर :** लगभग ५० लाख रुपये ।

माल-डिब्बा निर्माण योजना

†*२७. { **श्री राधा रमण :**
श्री बहादुर सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या माल-डिब्बों का निर्माण बढ़ाने की योजना में नये नमूने लागू करने और वैगनों के निर्माण के लिये अधिक कारखानों की स्थापना करने की बात सम्मिलित की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** जी, हां ।

†**श्री राधा रमण :** इस विस्तार कार्यक्रम की विशेषतायें क्या हैं ? सरकार कितने कारखाने खोलने वाली है ? प्रत्येक कारखाने की उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

†**श्री शाहनवाज खां :** रेलवे उपकरण समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कुल कितने माल-डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। यह अनुमान लगाया गया था कि वर्ष में लगभग ३६००० माल-डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। उन्होंने माल-डिब्बों का निर्माण करने के लिये २२ कारखानों की सिफारिश की थी। इनमें से १५ को रेलवे ने चुन लिया है। इनमें से कुछ को आर्डर दिये गये हैं और जिन फर्मों को चुना गया है, उनमें से एक को छोड़कर, जो वर्ष में ४००० माल-डिब्बों का निर्माण कर सकती है, शेष सब से कहा गया है कि वे अपनी क्षमता वर्ष में १००० माल-डिब्बों का निर्माण करने तक बढ़ा कर दिखायें ।

†**श्री राधा रमण :** सरकार जिन कारखानों की स्थापना करने वाली है वे कहां कहां खोले जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री शाहनवाज़ खां : उनका देश में अच्छे ढंग से वितरण कर दिया गया है। ये स्थान हैं—-संतराग़ाछी, कानपुर, भरतपुर, इलाहाबाद या बरेली, मद्रास में आवडी के निकट पट्टाभिराम, बम्बई, मद्रास, बरौनी या मोकामा, दिल्ली, साहिबाबाद (गाज़ियाबाद), दिल्ली, अहमदाबाद, कानपुर, सवाई माधोपुर और राजकोट ।

†श्री केशव : क्या इन थोड़ी सी फर्मों को ही इन माल-डिब्बों का निर्माण करने का एकाधिकार प्राप्त है और यदि नहीं, तो क्या बंगलौर शहर की किसी फर्म ने कोई प्रस्ताव किये थे, और यदि उत्तर स्वीकारात्मक हो तो उस प्रस्ताव के प्रति सरकार का क्या रुख रहा ?

†श्री शाहनवाज़ खां : रेल उपकरण समिति ने स्वयं जा कर विभिन्न फर्मों के स्थान और अन्य सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया था। और अपने अनुभव के आधार पर ही उसने २२ फ़र्मों की सिफारिश की थी। उनमें से हमने १५ को चुन लिया है।

†श्री बहादुर सिंह : इस समय की उत्पादन क्षमता के अनुसार वर्ष में कितने माल-डिब्बों का निर्माण किया जा सकता है। और वर्ष में इसमें कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

†श्री शाहनवाज खां : इस समय हम वर्ष में १,७०० से ऊपर माल-डिब्बों का निर्माण कर रहे हैं और हमारा इरादा इसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ३६,००० कर देने का है ।

†पंडित द्वा० ना० तिवारी : छोटी लाइन के डिब्बों की जर्जर-स्थिति का ध्यान रखते हुये क्या सरकार छोटी लाइन के अधिक डिब्बों का निर्माण करने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

†अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न माल-डिब्बों के सम्बन्ध में है।

†श्री पुन्नूस : केरल में लकड़ी आदि मिल सकने के कारण क्या केरल में भी एक माल-डिब्बा निर्माण उद्योग की स्थापना का कोई एक प्रस्ताव था? क्या केरल का नाम गलती से रह गया है या योजना में ही नहीं था ?

†श्री शाहनवाज खां : माल-डिब्बे धातु से बनते हैं। माननीय सदस्य शायद सवारी गाड़ी के डिब्बों का जिक्र कर रहे हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

†श्री रामनाथन चेट्टियार उठे—

†अध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य नये हैं उन्हें प्रश्न पूछने के लिये जल्दी उठना चाहिये ।

विमान सेवायें

+
*२८. { श्री ह० चं० माथुर :
श्री प्र० के० देव :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकरण के बाद से कौन कौन सी विमान सेवायें बढ़ायी गयी हैं ;

(ख) इन बढ़ाई गयी सेवाओं से कितनी लाभ/हानि हुई है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) वर्ष १९५७ और १९५८ के लिये असैनिक उड्डयन का क्या विस्तार कार्यक्रम है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)**: (क) से (ग). विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १४]**

†**श्री ह० चं० माथुर** : यह कैसे हुआ कि इस विकास-काल में और सरकार की नीति प्रगतिशील होते हुये भी राष्ट्रीयकरण के बाद से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों का नाम काट दिया गया है जो पिछले २० वर्षों से विमान-सेवाओं के रास्ते में पड़ते थे---मैं जोधपुर आदि के बारे में कह रहा हूं ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : हम जोधपुर का महत्व स्वीकार करते हैं। परन्तु इन मार्गों का निश्चय करते समय हमें विभिन्न बातों पर विचार करना पड़ता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण यातायात है। संचालन व्यय को दो शीर्षों के अधीन विभक्त किया जा सकता है: एक तो पैट्रोल, विमानों के वास्तविक रख-रखाव आदि का व्यय है जिसमें परिवर्तन हो सकता है, और दूसरा उपरि-व्यय और इसी प्रकार का अन्य व्यय है जो क्रमोवेश स्थायी प्रकार का है। यदि ऐसा कोई मार्ग हो जिससे पैट्रोलका खर्च भी नहीं निकलता तो स्पष्ट है कि इसको जारी रखना कठिन है। सामान्यतया, इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन जिन २५ मार्गों को चलाता है उनमें से ५ ऐसे हैं जिनसे ऐसा प्रत्यक्ष व्यय भी, जिसमें परिवर्तन हो सकता है, नहीं निकल सकता। मुझे कहना पड़ेगा कि माननीय सदस्य ने जिस मार्ग का जिक्र दिया था वह भी इन्हीं में आता है।

†**श्री ह० चं० माथुर** : यह स्थान पिछले २० वर्षों तक विमानों के मार्ग पर रहा है और व्यवसाय की दृष्टि से चलने वाली संस्थाओं तक को इस मार्ग पर विमान चलाना लाभकारी प्रतीत होता था। यह क्या बात है कि राष्ट्रीयकरणा के बाद यह लाभकारी नहीं रहा ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या नयी बातें हैं जिन्होंने इस मार्ग को अलाभकारी बना दिया है ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : मैं पहले ही कह चुका हूं कि जोधपुर अत्यन्त ही महत्वपूर्ण स्थान था। मूलतः विमान मार्ग में उसका भी नाम था। परन्तु मैं तथ्यों की बात कर रहा हूं। अब वहां उतना यातायात नहीं है। इस परिवर्तन के अनेक कारण बताये जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में केवल अनुमान के ही आधार पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता। इस राज्य का एकीकरण ही अपने आप में इसका एक कारण हो सकता है।

†**श्री बीरेन राय** : क्या दक्षिण पूर्व एशिया लाइन को चीन तक बढ़ा कर भारत सरकार कोई विमान सेवा शुरू करने वाली है ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : यह मामला विचाराधीन है।

†**श्री प्र० के० देब** : सरकार जिन मार्गों पर विमान चलाना लाभकारी नहीं समझती, क्या उनपर ग़ैर-सरकारी व्यक्तियों को विमान चलाने की अनुमति देगी ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : सामान्यतया जिन मामलों में इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन या एयर इंडिया इंटरनेशनल से "नो आब्जेक्शन" सार्टिफिकेट मिल जाता है। उनमें ग़ैर-सरकारी समवायों द्वारा अनुसूचित सेवा चालू किये जाने के मार्ग में सरकार किसी प्रकार की बाधायें उपस्थित नहीं करती।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि मदुरै में एक उपयुक्त हवाई अड्डा है, क्या विमानों के मदुरै में रुकने की व्यवस्था की जायेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय सभी हवाई अड्डों का नाम तो याद नहीं रख सकते। अलग अलग मामलों के बारे में सदस्यगण मंत्री महोदय को लिख सकते हैं।

†**श्री हुमायूं कबीर** : क्या मैं इन प्रश्नों का एक सामान्य उत्तर दे सकता हूं ? इण्डियन एयर लाइन्स के मार्ग किस आधार पर निर्धारित किये जायें, इस समूचे प्रश्न की पुनः जांच की जा रही है। वाइकाउन्ट विमानों का चलना शुरू होते ही हम मार्गों में परिवर्तन कर देंगे। यदि माननीय सदस्यों को कुछ सुझाव देने हों तो वे अपने सुझाव लिख कर मंत्रालय को भेज दे। मार्गों के सम्बन्ध में अंतिम निश्चय करने से पहले उन पर विचार कर लिया जायेगा।

खाद्य की कमी

†

†*२९. श्री कासलीवाल :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री ल० ना० मिश्र :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री राधा रमण :
श्री दी० चं० शर्मा :
पंडित मु० बि० भार्गव :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री भक्त दर्शन :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री अमर सिंह डामर :
श्री हेम बरुआ :
श्री वोडयार :
श्री बोस :
श्री झूलन सिंह :
श्री अनिरुद्ध सिंह :
श्री ह० चं० भाथुर :
श्री जांगड़े :
श्री सरजू पांडे :
श्री अ० चं० गुह :
श्री कालिका सिंह :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्रीमती इला पाल चौधरी :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री वें० प० नायर :
श्री त्रि० कु० चौधरी :
श्री घोष :

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री घोषाल
श्री डांगे :
श्री त० ब० विट्ठल राव
श्री अ० क० गोपालन :
श्री सु० ना० द्विवेदी :
श्री भा० कृ० गायकवाड़
श्री शि० ला० सक्सेना :
श्री खाडिलकर :
श्री नागी रेड्डी :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री याज्ञिक :
श्री तंगामणि :
श्री रामजी वर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य में खाद्यान्न की कमी की स्थिति उत्पन्न हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो किस किस राज्य में, और ऐसी स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की है ?

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख) . देश में खाद्य की स्थिति दिखाने वाला एक विस्तृत विवरण १४-५-५७ को सभा में पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है ।

†**श्री त्रि० कु० चौधरी** : हमें विवरण प्राप्त नहीं हुआ है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वह माननीय सदस्यों में परिचालित नहीं किया गया है।

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी, नहीं। वह परिचालित नहीं किया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : तब तो हम इस प्रश्न पर अगले दिन‡ विचार करें। उस दिन माननीय सदस्य विवरण का अध्ययन करने के बाद अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं ।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या अगले दिन यह प्रश्नों की सूची में सब से बाद में आयेगा ? तब तो हमें अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर न मिल सकेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसे प्राथमिकता देने का प्रयत्न करूंगा ।

अन्तर्देशीय जल परिवहन

†*३०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २३ नवम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

---

†मूल अंग्रेजी में

‡ "यह प्रश्न बाद में तारांकित प्रश्न संख्या १३८-क के रूप में रखा गया ।

देखिये लोक-सभा वाद-विवाद दिनांक २० मई, १९५७—सम्पादक"

क्या सरकार ने देश में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के प्रश्न पर और केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा तैयार की गई योजना पर विचार करने के लिये कोई समिति नियुक्त की है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)** : जी, हां।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : उस समिति के कौन कौन सदस्य हैं, और उस समिति के निर्देश पद क्या क्या हैं ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : ये सभी बातें एक संकल्प में निहित हैं जो कि सूचना पत्र में प्रकाशित किया गया था । यह एक प्रकाशित पत्र है और इसका फैसला आपको करना है कि इसे मैं पढ़ूं या न पढ़ूं । यह प्रकाशित तो हो चुका है, परन्तु यदि आप कहें तो मैं उसे पढ़ कर सुना सकता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह बहुत लम्बा है ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : जी, हां। समिति के सदस्य ये हैं :

श्री बी० के० गोखले, सभापति ;
श्री एच० पी० मथरानी ,
श्री यू० एन० महिदा ,
श्री डी० वी० जोगलेकर :
केन्द्रीय बल तथा विद्युत आयोग का एक सदस्य ,
श्री एस० के० मुकर्जी ,
श्री जे० बी० क्रेग तथा
श्री बी० एल० जालान ।

निर्देश पद ये हैं :

"अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिये द्वितीय पंच वर्षीय योजना में की गई व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये, अन्तर्देशीय जल परिवहन, जिसमें प्रकाय वस्तुओं को निर्यात के लिये पत्तनों तक ले जाना शामिल है, के उपयोग को बढ़ाने के तरीकों के सम्बन्ध में सुझाव देना, और (क) उन योजनाओं की, जिनकी सिफ़ारिशें की गई हैं, कार्यान्वित के लिये आवश्यक समय और (ख) उनकी लागत का प्राक्कलन तैयार करना ।

नदी और नहर सेवाओं, जिसमें पूर्वी तट पर और उत्तर के कुछ स्थानों से दक्षिण को सीधी सेवा प्रारम्भ करना शामिल है, को बढ़ाने तथा विस्तृत करने की संभावनाओं की जांच करना और रेलवे तथा अन्तर्देशीय जलमार्गों में प्रभावकारी समन्वय, जिसमें वित्तीय मामले, दोनों प्रकार के परिवहनों के बीच यातायात का उपयुक्त आवंटन तथा सीधा बुकिंग सम्मिलित है, उत्पन्न करने के लिये कार्यवाहियों का सुझाव देना ।"

फिर "..... के संघटन पर विचार करने के लिये ....."

†**अध्यक्ष महोदय** : इतना ही पर्याप्त है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हुमायूं कबीर** : और फिर "देश की परिवहन पद्धति में अन्तर्देशीय जल परिवहन के महत्व पर विचार करने के लिये" एक सामान्य व्यवस्था भी है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कोई कालावधि निश्चित की गई है ताकि सरकार उस प्रतिवेदन पर विचार कर सकें और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति से पहले ही इसे कार्यान्वित किया जा सके ?

†**अध्यक्ष महोदय** : समिति अभी अभी तो नियुक्त की गयी है।

†**श्री हुमायूं कबीर** : समिति फरवरी में नियुक्त की गई थी और उसकी बैठक जुलाई में होगी। वह समिति आंकड़े एकत्रित कर रही है और एक प्रश्न सूची जारी की जा चुकी है या की जा रही है ; यह एक विशेषज्ञ समिति है और हमें आशा है कि उसका प्रतिवेदन शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगा ।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या व्यापार में पर्याप्त अनुभवी तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन से सम्बद्ध किसी गैर-सरकारी सदस्य को भी इस समिति में सम्मिलित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जुलाई से पहले ही इस प्रकार के एक प्रतिनिधि को समिति में सम्मिलित करने की सम्भावना पर विचार करेगी ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : इसमें कई गैर-सरकारी सदस्य भी हैं ।

†**कु माननीय संदस्य उठे** ---

†**अध्यक्ष महोदय** : समिति नियुक्त की जा चुकी हैं और उसके प्रतिवेदन के लिये हमें प्रतीक्षा करनी ही चाहिये ।

सेतु समुद्रम् परियोजना

†***३१. श्री सें० वें० रामस्वामी** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २५ मार्च १९५७ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६८ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेतु समुद्रम् परियोजना की इस समय क्या स्थिति है; और

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय किया है, और यदि हां, तो वह क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) और (ख) . परियोजना और पूर्व कल्पित यातायात की पूंजी लागत का ठीक ठीक प्राक्कलन, सकल राजस्व और शुद्ध वित्तीय विवरण अभी तैयार किये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में कोई निर्णय तभी किया जा सकेगा जब कि उपरोक्त बातें उपलब्ध हो सकेंगी ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : एक पूर्ववर्ती प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था कि पूर्व कल्पित परियोजना के पूरे हो जाने पर भी समुद्र को जाने वाले जहाज इस नहर का उपयोग नहीं करेंगे । क्या इस प्रश्न पर विचार किया गया है कि क्या परियोजना को ऐसा रूप दिया जा सकता है जिससे समुद्र को जाने वाले जहाज भी उसका उपयोग कर सकें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : यह नहर समुद्र को जाने वाले किसी जहाज़ या स्टीमर द्वारा प्रयुक्त की जा सकती है या नहीं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसी जहाज़ का डुबाव कैसा है — वह कितना गहरा है। और इसके अतिरिक्त इस प्रश्न पर अच्छी प्रकार से विचार भी किया जा रहा है क्योंकि सेतु समुद्रम् परियोजना द्वारा किये गये निर्णय अभी तक विचाराधीन हैं।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : ऐसा कहा गया है कि यदि इस परियोजना को कार्यान्वित किया गया, तो ३००० मील की बचत हो जायेगी। यदि ऐसी बात है, तब तो यदि समुद्र को जाने वाले जहाज़ों के लिये यह नहर प्रयुक्त की गई तो उससे नौवहन में भी बचत होगी ?

†**श्री राज बहादुर** : धन की दृष्टि से तो कुछ बताना संभव नहीं है। परन्तु, मैं इतना तो कह सकता हूं कि जहां तक दूरी का सम्बन्ध है, उसमें तो अवश्य बचत होगी ; कोचीन से मद्रास तक के मार्ग में ३०० या उससे अधिक मीलों की बचत होगी ; इसी प्रकार से, अन्य मार्गों में भी बचत होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इतनी बचत एक ओर की यात्रा में होगी ?

†**श्री राज बहादुर** : इतने मील मार्ग की बचत होगी ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : यह योजना कब प्रारम्भ की जायेगी ?

†**श्री राज बहादुर** : जैसा मैंने कहा है, परियोजना समिति का प्रतिवेदन अभी तक विचाराधीन है। समिति द्वारा प्राक्कलित खर्च, प्राक्कलित परिवहन तथा परियोजना पर खर्च करने के लिये आवश्यक वदेशिक विनिमय आदि के सम्बन्ध में किये गये कुछ एक निर्णयों में परिवर्तन करने की आवश्यकता समझी गयी ।

†**श्री रामनाथ चेट्टियार** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि यह समिति दो वर्ष पहले नियुक्त की गयी थी, क्या सरकार उस प्रतिवेदन पर शीघ्रता से विचार करने और योजना प्रारम्भ करने के बारे में कोई उपयुक्त कार्यवाही करेगी ?

†**श्री राज बहादुर** : प्रतिवेदन के प्राप्त होने के शीघ्र उपरान्त ही उस पर विचार प्रारम्भ कर दिया गया था। पता लगा है कि परियोजना में दी गई प्रावकलित लागत ९.८९ करोड़ रुपये का अनुमान कम लगाया गया हैं। पूर्वकल्पित यातायात के आंकड़ें भी अति आशावादी प्रतीत होते हैं। परियोजना के विवरण के बारे में भी ४.४ प्रतिशत से बहुत कम प्राक्कलन किया गया है। इन सभी मामलों में पुनरीक्षण की आवश्यकता है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : इस परियोजना के कुछ एक प्राविधिक प्रश्नों पर जल सर्वेक्षण विभाग विचार कर रहा था। क्या उस विभाग ने उस पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है ?

†**श्री राज बहादुर** : जुलाई, १९५६ में यह निर्णय किया गया था कि प्रस्थापित मार्ग के साथ साथ समुद्री मार्ग का जल सर्वेक्षण भी किया जाये कुछ विशिष्ट स्थानों पर छेद भी किये जाने थे। वह सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : क्या यह परियोजना मूल रूप में केवल तटीय परिवहन के लिये ही प्रारम्भ किया गया था, अथवा यह समुद्र को जाने वाले जहाज़ों के लिये भी थी ? क्या अब इस प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री राज बहादुर : यह तो स्टीमर के आकार पर निर्भर करता है। यह उसके डुबाव पर निर्भर करता है। यदि परियोजना को कार्यान्वित किया गया तो ऐसी आशा है कि यह नहर ३२ फुट गहरी होगी।

†**अध्यक्ष महोदय :** जहाज़ का न्यूनतम डुबाव क्या होता है? माननीय मंत्री का उत्तर भी अनश्चित सा है। क्या समुद्र को जाने वाले कम से कम एक जहाज़ उसमें से जा सकेगा?

†**श्री राज बहादुर :** प्राप्त प्रतिवेदनों से यह मालूम हुआ है कि २६ फुट के डुबाव वाला स्टीमर नहर से गुज़र सकता है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री यही उत्तर पहले दे सकते थे जिससे कि और प्रश्न पूछे ही नहीं जाते।

खंडवा-हिंगोली रेल सम्पर्क

*†३२. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खंडवा और पिपलोड तथा हिंगोली और कुन्हार गांव के बीच के भागों में सवारी तथा माल गाड़ियों का आना जाना प्रारम्भ कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उन मार्गों को यातायात के लिये भी खोल देने की कोई संभावना है; और

(घ) क्या खंडवा-हिंगोली रेल सम्पर्क पर मुख्य मुख्य नदियों पर पुल निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी, नहीं

(ख) (१) खंडवा और पिपलोद के बीच के भाग क, जो कि पूरा हो चुका है, २५-४-१९५७ को सरकारी रेलवे निरीक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया था और उस मार्ग को खोलने के सम्बन्ध में उसकी मंजूरी की प्रतीक्षा की जा रही है।

(२) हिंगोली और कुन्हार गांव के बीच के भाग का काम जून, १९५७ तक पूरा होने की आशा है।

(ग) (१) खण्डवा और पिपलोद के बीच का भाग, सरकारी रेलवे निरीक्षक से मंजूरी आने पर, माल तथा सवारी के लिये खोल दिया जायेगा।

(२) हिंगोली तथा कुन्हार गांव के बीच के भाग के जुलाई, १९५७ तक यातायात के लिये खुल जाने की आशा है।

(घ) जी हां, मेलघाट क्षेत्र के अतिरिक्त।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या यात्री यातायात के लिये निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है? तो फिर, इस लाइन को माल के यातायात के लिये खोलने में देर क्यों की जा रही है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** यह यात्री यातायात तथा माल-यातायात दोनों के लिये है।

---

† ल अंग्रेजी में

†श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या इसका यह तात्पर्य है कि यह लाइन यात्री तथा माल-यातायात के लिये इकट्ठी ही खुलेगी ?

†श्री शाहनवाज खां : जी, हां ।

†श्री कृ० गु० देशमुख : क्या यह सच है कि हिंगोली-कुन्हारगांव लाइन का कार्य निश्चित कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल रहा है, और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†श्री शाहनवाज खां : कई बातें ऐसी होती हैं कि जिन पर हमारा कोई बस नहीं चलता। उदाहरणार्थ कभी कभी इस्पात में कमी हो जाती है। परन्तु, फिर भी उस काम में कोई असाधारण देर नहीं हुई है ।

केरल में पत्तनों का विकास

†*३३. {श्री नारायणन् कुट्टी मेनन :
श्री वारियर :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार की केरल के छोटे पत्तनों के विकास के लिये कोई प्रस्थापनायें हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन किन पत्तनों के लिये; और

(ग) वे प्रस्थापनायें किस प्रकार की हैं और इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ख). छोटे पत्तनों का विकास करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । केन्द्रीय सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता देती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केरल राज्य के एलेप्पी, क्विलोन, विंजिजम्, कोजीकोड, वाडागाड़ा, तेलीचेरी, कन्नानूर, आजीखल तथा पोन्नानी पत्तनों के विकास की योजनायें सम्मिलित हैं। इन योजनाओं पर कुल ४७.८५ लाख रुपये का प्राक्कलित खर्च आयेगा। इनमें चढ़ाव सम्बन्धी सुविधायें, नौवहन के सहायक साधन, क्रेनों का आधुनिकीकरण आदि सम्मिलित हैं ।

†श्री नारायणन् कुट्टी मेनन : क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में छोटे पत्तनों की संख्या बढ़ाने की कोई संभावना है ?

†श्री राज बहादुर : इन छोटे पत्तनों के विकास के प्रश्न पर विचार करने के लिये विजागपत्तन के पत्तन आयुक्त तथा प्रशासनिक पदाधिकारी श्री नंजुन्डय्या को नियुक्त किया गया था। उनके प्रतिवेदन में निहित सिफ़ारिशों के आधार पर हमने कुछ एक निर्णय किये हैं, और मैं समझता हूं कि हमें उन पर दृढ़ रहना चाहिये ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई और छोटे पत्तन भी सम्मिलित करने की कोई सम्भावना है ।

†श्री राज बहादुर : मैं समझता हूं कि संभवतः द्वितीय पंच वर्षीय योजना में वैसा न हो सकेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री केशव** : क्या इन पत्तनों का विकास पश्चिमी भाग के बाटखल और मालेवी जैसे अन्य छोटे पत्तनों के विकास के लिये बनायी गयी बड़ी योजना का एक भाग ही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : किस राज्य में ?

†**श्री केशव** : पश्चिमी तट पर ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उस पर दो तीन राज्य हैं ।

†**श्री केशव** : मैं मैसूर राज्य की बात कर रहा हूं ।

†**श्री राज बहादुर** : छोटे पत्तनों के विकास के लिये राज्य वार हमारी कुछ एक योजनायें हैं और मैसूर राज्य के कुछ एक पत्तनों के विकास के सम्बन्ध में भी हमारे पास कुछ सिफारिशें हैं।

श्री केशव : छोटे पत्तनों के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार खर्च का कितना प्रतिशत देने का विचार रखती है ?

†**श्री राज बहादुर** : इन पत्तनों के विकास के लिये हमने ऋणों के रूप में देने के लिये ५ करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है ।

†**श्री अ० म० थामस** : क्या माननीय मंत्री द्वारा उल्लिखित पत्तनों में से किसी में कोई योजना प्रारम्भ भी कर दी गई है या नहीं, और क्या केन्द्र द्वारा ४७.८५ लाख रुपयों की प्राक्कलित राशि में से कोई राशि भेजी जा चुकी है या नहीं ?

†**श्री राज बहादुर** : अभी हमने प्रथम वर्ष में केरल राज्य सरकार को ६३,००० रुपयों का ऋण दिया है ।

"लिबर्टी" पोत

†*३४. **श्री अ० क० गोपालन**† :
श्री स० च० सामन्त :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार से "लिबर्टी" पोतों की खरीद के लिये लिखा पढ़ी की थी ; और

(ख) वार्ता में क्या प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां ।

(ख) वार्ता अभी चल रही है ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : इन पोतों की खरीद के लिये किन किन शर्तों पर वार्ता की जा रही है ?

†**श्री राज बहादुर** : हम १२ "लिबर्टी" पोत खरीदने का विचार कर रहे हैं। शर्तें उस विधान पर निर्भर हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिकी सिनेट में तदर्थ प्रस्तुत किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य प्रत्येक का मूल्य जानना चाहते हैं।

†**श्री राज बहादुर** : एक "लिबर्टी" पोत का अनुमानित मूल्य ३५ लाख रुपये हैं।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या ऐसा अनुमान है जैसा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि इन पोतों को महाद्वीपय तथा समुद्र पार सेवा के लिये प्रयोग में नहीं लाया जाना चाहिये ?

†**श्री राज बहादुर** : अनुमान यह है कि जब "लिबर्टी" पोत प्राप्त हो जायेंगे तो उन्हें तटीय व्यापार के काम म लाया जायेगा।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : ये पोत कितने पुराने हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : १२ से लेकर १६ वर्ष तक।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार इस वर्ष के दौरान में कितने "लिबर्टी" पोत खरीदने का विचार कर रही है ?

श्री राज बहादुर : मैं पहले ही बता चुका हूं कि १२ पोत खरीदने का विचार है।

पंजाब में नलकूप

†*३५. **श्री बहादुर सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९२५ की टी० सी० ए० योजना के अन्तर्गत पंजाब में कितने नलकूपों का निर्माण किया जाना है;

(ख) क्या उनमें से सब निर्मित किये जा चुके हैं और उन्हें काम में लाया जाने लगा है ;

(ग) क्या १९५२ की टी० सी० ए० योजना के अन्तर्गत पंजाब के लुधियाना जिले के समराला क्षेत्र में निर्मित किये गये ४१ नलकूप बनाये जाने के समय से काम दे रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) ३५५.

(ख) समस्त ३५५ नलकूप खोदे जा चुके हैं, जिनमें से दो की खुदाई छोड़ देनी पड़ी। ३३८ नलकूप पम्पिंग सेटों से पूर्ण किये गये, २९० काम करने की स्थिति में लाये गये और १७७ वास्तव में चालू हैं।

(ग) समराला क्षेत्र में निर्मित किये गये नलकूपों की संख्या ९४ है जिनमें से ५६ चालू हैं।

(घ) समराला क्षेत्र में ३८ नलकूप निम्नलिखित कारणों से कार्यवाही नहीं कर रहे हैं :—

(१) जमीदार लोग नलकूपों के चलने में खर्च होने वाली बिजली की ३ आने ९ पाई प्रति यूनिट की वर्तमान सिंचाई दर को बहुत अधिक समझते हैं; और

(२) कुछ नलकूपों में पानी के विकास के रास्तों के निर्माण में कुछ विलम्ब हुआ है, यद्यपि अब काम आगे बढ़ रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बहादुर सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रत्येक नलकूप के निर्माण और उसको कार्य योग्य बनाने में क्या लागत लगती है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये पूर्व सूचना चाहता हूं।

†**श्री बहादुर सिंह** : जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा कि कुछ नलकूप ऐसे हैं जिन्हें किसानों द्वारा काम में नहीं लाया जा रहा है, तो क्या भारत सरकार कोई निर्णय करने का विचार कर रही है ताकि किसान उनसे लाभ उठा सकें ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : इन नलकूपों की मंजूरी सहायता कार्यक्रम में से दी जाती है और उसके लिये रुपया भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है । नलकूप विभिन्न राज्यों के नाम कर दिये जाते हैं और उनका निर्माण करना तथा उन्हें चलाना राज्य सरकारों का काम होता है । वस्तुतः हमने इसने मामले के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से लिखापढ़ी की थी और अब सम्बन्धित राज्य सरकार ने एक समिति नियुक्त की है जिसका प्रतिवेदन विचाराधीन है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या सरकार कोई सहायता या अनुदान देने का विचार रखती है ताकि इन नलकूपों के चलाने का व्यय कम हो जाय और किसान को पानी कम मूल्य पर मिल सके ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : कोई अनुदान देने का प्रस्ताव नहीं है, परन्तु उसके सम्बन्ध में विचार करना राज्य सरकार का काम है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि नलकूपों से औसतन कितने एकड़ भूमि में सिंचाई हो जाती है और इन नलकूपों द्वारा कितनी सिंचाई की जा सकती है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : औसतन ३०० से ४०० एकड़ तक ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : परन्तु अभी नलकूपों द्वारा कितनी भूमि सिंचाई के अन्तर्गत लाई गई है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री दासप्पा : क्या सरकार सिंचाई के प्रयोजन के लिये ३.९ आना की दर को बहुत अधिक नहीं समझती ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : दरें सरकार द्वारा किये गये व्यय के अनुपात से रखी जाती हैं।

†**श्री दासप्पा** : तो सरकार इन कूपों पर प्रति यूनिट कितना व्यय करती है ?

श्री अ० प्र० जैन : यह सब मामले राज्य सरकारों से सम्बन्धित हैं । राज्य सरकारें ही विद्युत उत्पादन करती हैं जिससे नलकूप चलते हैं । राज्य सरकार नलकूपों द्वारा संभरित जल की लागत निकाल रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में पानी की कमी

†

श्री नवल प्रभाकर :
श्री राधा रमण :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पानी की वर्तमान कमी को दूर करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली के अधिकांश दुमंजिले मकानों में पानी नहीं चढ़ रहा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख) . दिल्ली में पानी की वर्तमान कमी को दूर करने के लिये जो कदम उठाये गये हैं या उठाये जा रहे हैं उनका एक विवरण लोक-सभा की मेज पर रख दिया गया है। **[देखिय परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १५]**

श्री नवल प्रभाकर : पिछले कई वर्षों से दिल्ली प्रसासन यह चेष्टा कर रहा है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश से पानी प्राप्त किया जाये। क्या मैं जान सकता हूं कि उसके सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

श्री करमरकर : उसके बारे में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है और आज तक कठिनाई भी नहीं थी। आज-कल कोशिश हो रही है कि वज़ीराबाद पम्पिग स्टेशन पर पानी को बढ़ाया जाये ।

श्री राधा रमण : यह मालूम होते हुये कि दिल्ली में पानी की कमी बरसों से नज़र आ रही है और गवर्नमेंट को इस का इन्तज़ाम जल्दी से जल्दी करना चाहिये, इस में इतनी देरी होने का क्या कारण है ?

†**श्री करमरकर** : मुझे खेद है कि मुझे अपने माननीय मित्र के कथन का खंडन करना पड़ रहा है जो इन बातों को संभवत: मुझ से अधिक अच्छी तरह जानते हैं। वास्तव में दिल्ली के बहुत बड़े भाग के लिये पानी की कमी का कोई प्रश्न नहीं है। कुछ नये आबाद क्षेत्रों में कमी है और १८ लाख से २० लाख तक की आबादी में से लगभग ४ लाख को प्रतिबन्धित मात्रा में पानी मिल रहा है। इन क्षेत्रों में से कुछ में इस कमी को पूरा करने के लिये हम कुछ कदम उठाये जा रहे हैं जो मेरे माननीय मित्र भली प्रकार जानते हैं और वह है फिलहाल जलान्तर्ग्रहण को बढ़ाना। हम भविष्य में दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुछ वर्षों के समय में २१ लाख से अधिक अनुमानित आबादी के लिये व्यवस्था करने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु वह भविष्य के लिये होगा। अभी जो कदम हम उठा रहे हैं उनका फल १९५९ के प्रारम्भ तक प्राप्त हो सकेगा और उससे उन सभी क्षेत्रों के लिये पानी की सन्तोषजनक व्यवस्था हो जायेगी जिनमें अभी पानी की या तो आंशिक कमी है या जिनको साफ किया हुआ पानी बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है।

श्री राधा रमण : अभी मंत्री महोदय ने यह बताया कि पानी का इन्ज़ाम काफ़ी है, लेकिन कुछ जगहों में नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस वक्त इंडस्ट्रियल एरिया में पानी का इन्तजाम है या नहीं और जिन इलाकों के बारे में मंत्री महोदय ने बताया कि वहां पानी की कमी चली आ रही है, वहां उस कमी को पूरा करने में कितने दिन और लगेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में.

†**अध्यक्ष महोदय** : यह पहले ही कह चुके हैं कि १९५९ तक।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि अब प्रति व्यक्ति कितना पानी मिल रहा है ।

†**श्री करमरकर** : ३५ और ३७ गैलन के बीच ।

हीराकुड बांध से जल विद्युत

†*३७. **श्री सुपाकर** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में हीराकुड बांध परियोजना से इस समय कितनी जलविद्युत उत्पन्न की जा रही है; और

(ख) उत्पन्न विद्युत में से इस समय वास्तव में कितनी खर्च होती है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) २४,००० किलोवाट का केवल एक यूनिट (संख्या ३) १९ दिसम्बर, १९५६ को चालू किया गया था । इस यूनिट द्वारा ३० अप्रैल, १९५७ तक कुल १,४१,६६,५०० यूनिट विद्युत उत्पन्न की गई ।

(ख) (१) विभिन्न उपभोग केन्द्रों पर प्रेषित और खर्च हुये यूनिट: १,४०,६९,३९०

(२) बिजली घर की सहायक इकाइयों और लाइन खराब होने से खर्च हुये यूनिट . . ९७,११०

†**श्री सुपाकर** : क्या मैं जान सकता हूं कि समस्त विद्युत का कब तक उपयोग होने लगेगा ?

†**श्री स० का० पाटिल** : जहां तक इसका सम्बन्ध है, सारी विद्युत काम में आ जाती है । यदि आप अन्य विद्युत की बात कर रहे हों जो उत्पन्न की जायेगी तो वह इस वर्ष के अन्त तक काम में आने लगेगी ।

†**श्री सुपाकर** : क्या मैं जान सकता हूं कि ये विद्युत इकाइयां किन स्थानों में काम में लाई जा रही हैं ?

†**श्री स० का० पाटिल** : हीराकुड से प्राप्त विद्युत विभिन्न औद्योगिक संयंत्रों और अन्य उपभोक्ताओं की आवश्यकता पूर्ण करेगी। उनकी संख्या बहुत अधिक है और उनकी आवश्यकता पूर्ण करने में काफी समय लगेगा ।

†**श्री सुपाकर** : क्या हीराकुड से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने की परियोजना को भी लाभ होगा ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : जो भार सवक्षंण किया गया है वह औद्योगिक संस्थानों से संबन्धित है; परन्तु राज्य सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने के लिये भी योजनायें बनानी पड़ेंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री महन्ती** : क्या मैं जान सकता हूं कि हीराकुड में उत्पन्न की जाने वाली बिजली की प्रति यूनिट लागत क्या है और दामोदर तथा बोकारो में उत्पन्न की जाने वाली बिजली की तुलना में कैसी है ?

†**श्री हाथी** : हीराकुड में उत्पन्न की जाने वाली बिजली की प्रति यूनिट लागत एक आने का .४४ है। मैं समझता हूं कि दामोदर और बोकारो में यह लागत भिन्न है और लगभग एक आने का ४६ ऐसी ही कुछ है ।

†**श्री सुपाकर** : नये पैसों के अनुसार यह लागत कितनी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह उसमें बदली जा सकती है ।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : परियोजना प्रशासन द्वारा विक्री के लिये क्या तरीका अपनाया गया है ? क्या विद्युत बड़े पैमाने पर राज्य सरकार को बेची जायगी अथवा प्रमुख उद्योगों को ?

†**श्री हाथी** : सामान्यतः वह राज्य सरकार को बेची जाती है। हीराकुड वास्तव में राज्य सरकार की व्यापार संस्था है ।

सुन्दरवन में नौपरिवहन प्रणाली

†*३८. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुन्दरवन में नौपरिवहन प्रणाली के आधुनिकीकरण पर विचार करने के पश्चिमी बंगाल राज्य के प्रस्ताव की चर्चा की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आवश्यक आंकड़े इकट्ठे किये गये हैं ;

(ग) क्या इस प्रकार रखी गई योजना द्वितीय पंच वर्षीय योजना में क्रियान्वित की जायगी ;

(घ) द्वितीय योजना में अन्तर्देशीय जल परिवहन पर कुल कितनी धनराशि व्यय की जायगी; और

(ङ) इस मामले में पश्चिमी बंगाल सरकार का क्या भाग है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)** : (क) और (ख). हां, श्रीमान्। आंकड़ों की इस समय जांच की जा रही है ।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना के लिये कोई उपबन्ध नहीं है ।

(घ) तीन करोड़ रुपये जिनमें से १५० लाख रुपये गंगा-ब्रह्मपुत्रा क्षेत्र में व्यय किये जायेंगे।

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिये उपबन्ध राज्य वार आधार पर नहीं किया गया है, परन्तु लगभग १३.५ लाख रुपये उन योजनाओं पर व्यय किये जायेंगे जो पश्चिमी बंगाल राज्य में आती हैं ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : यदि पश्चिमी बंगाल सरकार उसे आबंटित धन राशि में से खर्च करने को तैयार हो तो क्या केन्द्रीय सरकार को इस योजना को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लेने में कोई आपत्ति होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हुमायूं कबीर** : हम निश्चय ही गंगा-ब्रह्मपुत्रा जल परिवहन बोर्ड से इस सुझाव पर विचार करने तथा यदि संभव हो तो उसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थान देने के लिये कहने के लिये तैयार हैं ।

†**श्री सं० चं० सामन्त** : क्या यह ठीक नहीं है कि कलकत्ता और आसाम के बीच अन्तर्राज्यीय व्यापार सुन्दरवन के रास्ते होता है; और यदि हां, तो क्या अन्तर्राज्यीय व्यापार के कारण इस योजना को महत्व दिया जायेगा ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : जी हां, इसको महत्व दिया जायेगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये कि सुन्दरवन के अन्तर्देशीय जल परिवहन के बड़े बड़े क्षेत्रों में अब मिट्टी भरती जा रही है, और मुख्य नदियां नौपरिवहन के अयोग्य होती जा रही है, क्या सरकार के पास इन नदियों को अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिये उपयुक्त बनाये रखने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये कोई योजना है ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : जी हां, उसके लिये व्यवस्था की गई है।

केरल में रेलवे लाइनें

†*३९. **श्री अ० म० थामस** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कौन सी नई रेलवे लाइनों के सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है; और

(ख) प्रारम्भ किये गये सर्वेक्षणों, यदि कोई हों, की क्या प्रगति है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) टेल्लीचेरी—कुर्ग—मैसूर और टिनेवेली—त्रिवेन्द्रम—केपकमोरिन के सर्वेक्षण की मंजूरी दी गई है जिसका एक भाग केरल राज्य में पड़ता है ।

(ख) टेल्लेचेरी—मैसूर के ७१ मील भाग का यांत्रिकी प्रावेक्षण[1] और टिनेवेली—त्रिवेन्द्रम,—केपकमोरिन का यातायात सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है ।

†**श्री अ० म० थामस** : माननीय श्री लालबहादुर ने एर्नाकुलम से क्विलोन को जाने वाली लाइन का उद्घाटन करते समय यह घोषणा की थी कि कुछ अन्य लाइनों के सर्वेक्षण का आदेश भी दिया जायेगा। क्या यह विचार त्याग दिया गया है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : माननीय सदस्य को यह भली प्रकार ज्ञात है कि रेलवे के पास धन की कमी है और हम अनिश्चित सर्वेक्षण जारी नहीं रख सकते।

†**श्री अ० म० थामस** : यह अनिश्चित सर्वेक्षणों का प्रश्न नहीं है। माननीय मंत्री के पूर्वाधिकारी की बजट भाषण में की गई प्रशंसा के बावजूद ऐसा क्यों है कि भूतपूर्व रेल मंत्री द्वारा सर्वेक्षणों के सम्बन्ध में दिये गये आश्वासन को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : जैसा कि मैंने अपने बजट भाषण के दौरान में कहा था कई मील का सर्वेक्षण किया गया है और धन तथा सामग्री के अभाव के कारण उन लाइनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की कोई सम्भावना नहीं है। जैसाकि मैंने कहा, केवल कतिपय-क्षेत्रों के सन्तोष के लिये और सर्वेक्षणों का आदेश देना निरर्थक था जब हम भली प्रकार जानते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की कोई सम्भावना नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]. Reconnaissance Engineering Survey.

†**श्री अ० म० थामस :** क्या केन्द्रीय सरकार को यह ज्ञात है कि केरल में रेलवे लाइनों का औसत योगमील अखिल-भारतीय औसत का एक-तिहाई भी नहीं है ?

†**श्री जगजीवन राम :** रेलवे मंत्रालय भी यथासंभव अधिक से अधिक नई लाइनें बनाने को उत्सुक है । परन्तु हमारे आगे केवल धन की ही कमी नहीं है वरन् सामग्री की भी और जब तक सामग्री की स्थिति नहीं सुधरती नई लाइनों के सर्वेक्षण का आदेश देना व्यर्थ है।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न पूछिये ।

कई माननीय सदस्य उठे —

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने अगले प्रश्न के लिये कह दिया है। माननीय सदस्यों को समय के अन्दर ही उठना चाहिये ।

सम्बलपुर-तितिलागढ़ रेलवे लाइन

†*४०. { **श्री प्र० के० देव†** :
श्री सुपाकर :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे में सम्बलपुर से तितिलागढ़ की प्रस्तावित रेलवे लाइन के सम्बन्ध में क्या स्थिति है; और

(ख) इस लाइन का निर्माण कब पूर्ण हो जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) इंजीनियरिंग सर्वेक्षण जारी है और उसके निर्माणके सम्बन्ध में निर्णय अभी किया जाना है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री प्र० के० देव :** क्या लाइन के सम्बन्ध में प्रारम्भिक सर्वेक्षण तथा भूमि अर्जन का कार्य पूरा कर लिया गया है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** जैसा कि मैंने कहा था इंजीनियरी सर्वेक्षण का कार्य हो रहा है।

†**श्री सुपाकर :** सर्वेक्षण कार्य कब प्रारम्भ किया गया था ?

†**श्री शाहनवाज खां :** मेरे विचार में यह उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है कि सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है ।

†**श्री सुपाकर :** यह प्रारम्भ कब हुआ था ?

†**श्री शाहनवाज खां :** जब सर्वेक्षण कार्य पूरा हो जायेगा तब निर्णय किया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** सर्वेक्षण कार्य कब शुरू किया गया था ! माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी है या नहीं है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** यह १९५५ में प्रारम्भ हुआ था ।

†**श्री सुपाकर :** सर्वेक्षण कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाहनवाज खां** : सर्वेक्षण का पूरा होना कई बातों पर निर्भर करता है। तिथि बताना अत्यन्त कठिन है। जबकि उस स्थान पर अभी काम चल ही रहा है तो तिथियों का बताना सम्भव नहीं है। किन्तु मैं माननीय सदस्य की संतुष्टि के लिये उन्हें इतना बता सकता हूं कि यदि सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हो भी जाता है तब भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में निर्माण के लिये उस पर कार्य प्रारम्भ करने की कोई सम्भावना नहीं है।

सीमेन्ट की कमी

†*४१. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में सीमेन्ट की कमी की ओर आकृष्ट किया गया है ;

(ख) क्या आगामी वर्षा ऋतु के प्रारम्भ होने से पूर्व सीमेन्ट के सम्भरण के लिये पर्याप्त प्रबन्ध किये गये हैं ; और

(ग) जिन क्षेत्रों में बाढ़ का प्रभाव होने की सम्भावना है क्या वहां सीमेन्ट के पर्याप्त सम्भरण के लिये सरकार का भविष्य में कोई विशेष कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: (क) भारत सरकार का जिन बाढ़ सुरक्षा कार्यों से सम्बन्ध है उनकी कार्यान्विति के सम्बन्ध में सीमेंन्ट की कमी का कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या सरकार ने कभी यह जानने का भी प्रयत्न किया था कि पिछले वष बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सीमेन्ट की कितनी मात्रा अपेक्षित थी ?

†**श्री स० का० पाटिल** : निःसन्देह सरकार सदैव अपेक्षित मात्रा अभिनिश्चित करने का प्रयत्न करती है। जहां तक इस कार्य का सम्बन्ध है, हमारे पास सीमेन्ट पर्याप्त मात्रा में था और इस लिये इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं हुई थी ।

†**श्री हेम बरुवा** : क्या मैं जान सकता हूं कि आसाम राज्य में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिये सीमेन्ट का कितना कोटा बंटित किया गया था ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : मुख्यतः बाढ़ सुरक्षा कार्यों में मिट्टी के बांधों को बनाना या गांवों को ऊंचा करना और कुछ अन्य कार्यवाहियां होती हैं । सीमेन्ट की आवश्यकता केवल छोटी पुलियों या नालों के लिये होती है जिनके लिये इसकी कमी अनुभव नहीं हुई है। परन्तु यदि हम सभी सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं को लें तो कुछ कमी अवश्य अनुभव होती है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : प्रश्न का सम्बन्ध बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में न केवल सरकारी कार्यों बल्कि ग़ैर सरकारी कार्यों के सम्बन्ध में भी सीमेन्ट की कमी से है। क्या बाढ़ ग्रस्त जनता को सीमेन्ट देने के लिये कोई निदेश दिया गया है या कोई कोटा नियत किया गया है या सामान्य स्टॉक में से ही सीमेन्ट दिया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० का० पाटिल** : जहां तक सीमेन्ट का सम्बन्ध है, हमारे पास आवश्यकता से कम सीमेन्ट है। यह सच है। हमारा कुल उत्पादन लगभग ७० लाख टन है जबकि हमारी आवश्यकता इससे लगभग दुगुनी अर्थात् १ करोड़ ४० लाख टन की है। इसलिये कुछ समय तक तो कुछ न कुछ कमी रहेगी ही। परन्तु बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में से सम्बन्धित इस प्रश्न के सम्बन्ध में जहां तक भारत सरकार के अधीन कार्यों का सम्बन्ध है, सीमेन्ट की कोई कठिनाई नहीं है। जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है, हमें ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि उन्हें इस बिना पर कोई कठिनाई अनुभव हुई हो।

चीनी का निर्यात

†*४२. { **पंडित द्वा० ना० तिवारी**† :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चीनी के उपभोग में बहुत वृद्धि हुई है; और

(ख) १९५६-५७ में कितनी चीनी निर्यात की गई थी ?

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० व० कृष्णप्पा)** : (क) जी हां। १९५२-५३ में चीनी की खपत लगभग १६.६ लाख टन थी और १९५५-५६ में यह बढ़ कर १९.४ लाख टन हो गई थी। चालू वर्ष में हो सकता है खपत २० लाख टन से भी अधिक हो।

(ख) ३१ मार्च, १९५७ तक लगभग ७९,००० टन निर्यात के लिये ५९ ठेके किये गये थे जिसमें से वस्तुतः २२,००० टन चीनी विदेश भेजी गई थी।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : इस वर्ष चीनी का कुल उत्पादन कितना होगा ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : लगभग २०,००,००० टन होगा।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : यदि फालतू चीनी नहीं है तो इसे निर्यात करने की क्या आवश्यकता है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : सर्वप्रथम तो यह धारणा ही गलत है कि चीनी फ़ालतू नहीं हैं, दूसरी बात यह है कि हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है और इसलिये हम निर्यात कर रहे हैं। यह एक शुभ चिन्ह है।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : श्रीमान् व्यक्तिगत स्पष्टीकरण का एक प्रश्न है। माननीय मंत्री ने अभी कहा था कि यह बात ग़लत है कि फ़ालतू चीनी नहीं है ....

†**श्री अ० प्र० जैन** : मैंने कहा था कि यह धारणा ग़लत है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह धारणा कि चालू वर्ष में कुछ भी आधिक्य न होगा।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : परन्तु माननीय उपमंत्री ने उत्तर दिया है कि खपत २० लाख टन से भी अधिक है। इस लिये मेरी यह धारणा ठीक है कि आधिक्य नहीं है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री अ० प्र० जैन** : पिछले वर्ष से संवहित जैसी भी कुछ बात होती है, और पिछले वर्ष से संवहित मात्रा ५ लाख टन से अधिक थी ।

†**श्री वें० प० नायर** : माननीय मंत्री द्वारा जो आंकड़े दिये गये हैं उन से मालूम होता है कि खपत में लगभग २५ से ३० प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्पादन में इस वृद्धि से उद्योग को कितना लाभ हुआ है और यदि उद्योग को लाभ हुआ है तो क्या श्रमिकों को भी इसका कुछ भाग मिला है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : ये सब बातें इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होती हैं । श्री कासलीवाल

†**श्री वें० प० नायर** : श्रीमान्, इन बातों का सम्बन्ध है ।

†**श्री कासलीवाल** : १९५७–५८ के लिये निर्यात सम्बन्धी लक्ष्य क्या है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : हमने कोई ठोस लक्ष्य नियत नहीं किया है। मूल लक्ष्य ५०,००० टन था। हम ने इसे बढ़ा कर एक लाख टन कर दिया था और अब हम यह चाहते हैं कि जितनी चीनी निर्यात कर सकते हैं उतनी करें ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : पिछली संसद् में मैंने माननीय मंत्री से पूछा था कि चीनी के निर्यात के लिये क्या सरकार का एक राज्य व्यापार निगम के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव है, और उन्होंने इस का उत्तर 'नहीं' में दिया था। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि उस समय के बाद से अब क्या उन्होंने अपनी राय बदल ली है ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : राय जो पहिले थी वही अब है ।

रतलाम और गोधरा रेलवे लाइन

***४३. श्री अमर सिंह डामर** : क्या रेलवे मंत्री १६ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ११४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम रेलवे पर रतलाम और गोधरा के बीच लाइन को दोहरा करने पर कितना खर्च आने का अनुमान है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : कुल मिलाकर लगभग ८.५ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है ।

श्री अमर सिंह डामर : क्या मैं जान सकता हूं कि यह कार्य कब तक सम्पन्न हो जायेगा ?

श्री शाहनवाज खां : खयाल है कि यह सन् ५८ के आखिर तक खत्म हो जायेगा ।

श्री अमर सिंह डामर : यह लाइन रतलाम से गोधरा तक ही बनाई जावेगी या आगे भी बढ़ाई जायेगी ?

श्री शाहनवाज खां : फिलहाल तो इतनी ही रहेगी ।

गन्ना

†***४४. श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ में कुल कितना गन्ना पेरा गया था और उस में से औसतन कितने प्रतिशत चीनी तैयार हुई थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि १९५६-५७ वर्ष में और मुख्यतः उत्तर बिहार में पिछले वर्ष की तुलना में इस से चीनी प्राप्त होने की प्रतिशतता कम थी ;

(ग) निम्न प्रतिशतता का कारण क्या था; और

(घ) इस से अधिक चीनी प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई हैं ?

: ा ा ा (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) से (घ) सभा-पटल पर एक **विवरण** रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १६]

श्री विभूति मिश्र : स्टेटमेंट में दिया हुआ है : "अच्छी किस्म के ऐसे बीज देने के भी प्रबन्ध किये गये थे जिनमें सुक्रोज की मात्रा अधिक हो और जो रोग से रहित हो।" मैं जानना चाहता हूं सरकार द्वारा किस प्रकार का सीड दिया गया है। क्या ऐसा सीड दिया गया था कि जिसमें ईल्ड ज्यादा हो या ऐसा कि जिसमें सूक्रोज ज्यादा हो क्योंकि सूक्रोज ज्यादा होने से मिल वालों को फायदा होगा और ईल्ड ज्यादा होने से किसानों को फ़ायदा होगा। क्या यह सीड किसानों के फायदे को ध्यान में रखकर दिया गया था ?

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : इस साल में रिकवरी कम हुई है इसलिये मिलवालों को ज्यादा नफा नहीं होगा ।

श्री सिंहासन सिंह : सवाल तो बीज देने का है, रिकवरी का नहीं है।

श्री विभूति मिश्र : ३३० नम्बर के बीज के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि उसमें सूक्रोज़ बहुत ज्यादा है और ईल्ड बहुत कम है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार जो सीड इस साल सप्लाई करने जा रही है वह किस किस्म का होगा, ऐसा कि जिसमें ईल्ड ज्यादा होगी या ऐसा कि जिसमें सूक्रोज ज्यादा होगा ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : हम ऐसा बीज देने जा रहे हैं जिसमें ईल्ड भी ज्यादा होगी और रिकवरी भी ज्यादा होगी ।

श्री सिंहासन सिंह : इस सीड का नम्बर क्या है ?

श्री अ० प्र० जैन : यह सब का सब काम इंडियन काउंसिल आव एग्रीकल्चुरल रिसर्च के हाथ में है। जैसी वह स्कीम निकालेंगे उसके मुताबिक दिया जायेगा।

कोज़ीकोड में हवाई अड्डा

†*४५. { **श्री कुमारन** + :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २२ नवम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में कोज़ीकोड स्थान पर एक हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव अब क्रियान्विति के किस प्रक्रम पर है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)** : असैनिक उड्डयन विभाग द्वारा अब कोज़ीकोड में हवाई अड्डे के लिये स्थान चुन लिया गया है परन्तु अग्रेतर कार्यवाही

---

†मूल अंग्रेज़ी में

करने से पूर्व कार्य का प्राक्कलन मालूम करने के लिये केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग द्वारा अभी विस्तृत रूप से सर्वेक्षण किया जाना बाकी है ।

†**श्री पुन्नूस** : कोजीकोड़ में हवाई अड्डे के लिये प्रस्ताव कब किया गया था ? यह स्थान कब चुना गया था ? अब यह प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : पिछले वर्ष तत्कालीन संचार मंत्री की उस क्षेत्र में यात्रा के समय उन से इस सम्बन्ध में प्रार्थना की गई थी और उन्होंने प्रश्न पर सहानुभूति से विचार करने का वचन दिया था । उस के बाद अब असैनिक उड्डयन विभाग के महासंचालक द्वारा स्थान का निरीक्षण किया जा चुका है और प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य भी पूरा हो चुका है । विस्तृत रूप से सवक्षण करने के लिये धन चाहिये । क्योंकि द्वितीय पंच वर्षीय योजना की अवधि में हम वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में विश्वास से कुछ नहीं कह सकते इसलिये विस्तृत सर्वेक्षण अभी नहीं किया गया है ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : हवाई अड्डों के निर्माण के सम्बन्ध में क्या भारत सरकार की कोई सुनिश्चित योजना है या वह आक्रमेण ढंग से उनका निर्माण कर रही है ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : एक निश्चित योजना है और पूर्ववर्तिता-श्रेणी भी है जिस पर अब विचार किया जा रहा है ।

रेलवे सप्ताह समारोह

†*४६. { **श्री बोस** : / **श्री विभूति मिश्र** : }

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, १९५७ के द्वितीय सप्ताह में प्रदर्शनियों की व्यवस्था करके सारे भारत के मुख्य रेलवे स्टेशनों में "रेलवे सप्ताह" मनाया गया था;

(ख) प्रदर्शनी की प्रमुख विशेषतायें क्या थीं; और

(ग) अप्रैल, १९५७ में रेलवे सप्ताह के सम्बन्ध में संगठित प्रदर्शनियों को देखने के लिये कितने लोग आये थे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १७**]

†**श्री बोस** : जनता के लिये प्रदर्शनी का अत्यन्त शिक्षात्मक महत्व देखते हुये क्या प्रदर्शनी के सम्बन्ध में प्रचार करने के लिये कोई प्रबन्ध किया गया था और जो लोग प्रदर्शनी देखने के लिये आये थे क्या उन्हें सुविधायें प्रदान की गई थीं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जी हां । उचित प्रचार किया गया था और काफी संख्या में लोग इस प्रदर्शनी को देखने के लिये आये थे ।

†**श्री सुपाकर** : क्या मुगलसराय जंक्शन में बहुत से कांग्रेसी झण्डों का प्रदर्शन रेलवे सप्ताह की एक प्रमुख विशेषता थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है। कुछ बार चक्र को कांग्रेस का झण्डा मान लिया जाता है।

†**श्री सुपाकर** : क्या मंत्री महोदय जांच करेंगे कि क्या यह सच है .....

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दिल्ली में चेचक

†***४६-क. श्री अन्सार हरवानी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च तथा अप्रैल, १९५७ के महीनों में दिल्ली में चेचक की बहुत सी घटनाओं की इत्तला मिली थी और पिछले वर्षों के इन्हीं महीनों की तुलना में अधिक संख्या में मौतें हुई थीं; और

(ख) व्यापक रोग का नाश करने के लिए क्या कार्यवाही की गई थी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें मार्च तथा अप्रैल, १९५७ में और पिछले तीन वर्षों के इन्हीं मासों म चेचक के जिन मामलों की इत्तला मिली थी और चेचक से जितनी मौतें हुई थीं उन्हें बताया गया है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १८**] :

(ख) **निम्न कार्यवाहियां की गई थीं** :

(१) चेचक के मुफ्त टीके लगाना ।

(२) स्वास्थ्य अधिकारियों को मामलों की अनिवार्य रूप से इत्तला देना ।

(३) रोगियों को सांक्रामिक रोग चिकित्सालय में ले जाना ।

भारत-पाकिस्तान नहरी पानी विवाद

*४७. **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री ल० ना० मिश्र :
श्री कासलीवाल :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सें० वें० रामस्वामी :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
पंडित मु० बि० भार्गव :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री तिम्मय्या :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच नहरी पानी विवाद के सम्बन्ध में, जिसे कि

---

†मूल अंग्रेजी में

बीच बचाव के लिये विश्व बैंक को सौंपा गया था, कोई अन्तिम समझौता हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो बातचीत की वर्तमान स्थिति क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) और (ख). भारत और पाकिस्तान नहरी पानी विवाद के बारे में अभी कोई अन्तिम समझौता नहीं हुआ है । विश्व बैंक के सुझाव पर भारत और पाकिस्तान की सरकार बैंक के सहयोग से किये जाने वाले सहकारी कार्य का समय ६ महीने, याने ३० सितम्बर, १९५७ तक, और बढ़ाने के लिये सहमत हो गई हैं ।

नहरी पानी विवाद बैंक को बीच-बचाव के लिये नहीं सौंपा गया है । बैंक ने अपनी सेवाएं दोनों सरकारों को केवल इसलिये दी हैं कि उन्हें आपस में समझौता करने में सहायता मिल सके ।

राष्ट्रीय निर्माण निगम

†*४८. **श्री ल० ना० मिश्र :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय निर्माण निगम ने अपने कार्यक्रम के सम्बन्ध में सरकार को कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) क्या निगम ने कार्यान्विति के लिए किसी नदी घाटी परियोजना का कार्य प्रारम्भ किया है; और

(ग) यदि हां, तो परियोजना का नाम क्या है और यह किन शर्तों पर काम कर रही हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) निगम को ऐसी परियोजनाओं या परियोजना कार्यों की क्रियान्विति के लिए स्थापित किया गया है जिन्हें राज्य सरकारें उसे सौंपे । इसके कार्यक्रम की अग्रिम योजना तैयार करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ख) जी, हां ।

(ग) राजस्थान प्रदेश में प्राक्कलित दरों पर और १५ प्रतिशत उपरि व्यय पर दो जल संक्रमों का निर्माण और दर अनुसूची के अनुसार ७ मील लम्बी नहर की खुदाई और मध्य प्रदेश क्षेत्र में चम्बल परियोजना नहर व्यवस्था के सम्बन्ध में दर अनुसूची के अनुसार ५ मील लम्बी नहर की खुदाई । चम्बल परियोजना के सम्बन्ध में अन्य ठेकेदारों पर जो शर्तें लागू होती हैं उन्हीं शर्तों पर यह निगम काम कर रहा है ।

पुस्तकों पर डाक व्यय

†*४९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १९ नवम्बर, १९५६ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या १४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुस्तकों पर डाक व्यय की दर में वृद्धि करने के लिए जो समिति स्थापित की गई थी क्या सरकार ने अब उसके प्रतिवेदन पर पूरी तरह से विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

† **परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) इस समिति को इसलिए स्थापित किया गया था कि वह सरकार से दूसरी बातों के साथ साथ इस बात की सिफ़ारिश करे कि "बुक पैकट" दरों पर भेजी जा सकने वाली अन्य सामग्री से अलग 'पुस्तकों को अन्तर्देशीय डाक में भेजने के लिए डाक की क्या दरें नियत की जायें । समिति की सिफ़ारिशों पर सरकार विचार कर चुकी है और उसके निर्णय की शीघ्र ही घोषणा कर दी जायेगी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मद्रास पत्तन

† *५०. **श्री सें० वें० रामस्वामी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास पत्तन में सामान लादने-उतारने की कितनी क्षमता है और किस सीमा तक यह मांग पूरी नहीं कर सका है;

(ख) बर्थ प्राप्त करने के लिये जहाज़ों को कितनी देर बाहर रुकना पड़ता है; और

(ग) पत्तन का विस्तार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

† **परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) मद्रास पत्तन में सामान लादने-उतारने की अधिकतम क्षमता १ लाख ७५ हजार टन प्रति वर्ष है; किन्तु १९५० से ही पत्तन में बीस लाख से पच्चीस लाख टन सामान लादा-उतारा जाता रहा है। यद्यपि क्षमता से अधिक इस अतिरिक्त सामान को लादने-उतारने की व्यवस्था के लिये पत्तन में तीन पाली में काम किया जाता है, तथापि जहाजों को कुछ विलम्ब हो ही जाता है ।

(ख) बर्थ प्राप्त करने के लिये जहाजों की प्रतीक्षा की अवधि समय-समय पर कम और अधिक होती रहती है। उदाहरणार्थ, २६ अप्रैल, १९५७ तक बर्थ की प्रतीक्षा करने वाले २६ जहाजों की प्रतीक्षा की अवधि १०० दिन अथवा औसतन प्रति जहाज ३.१ दिन थी ।

(ग) उत्तरण स्थान की बर्थ की संख्या को ९ से बढ़ाकर १७ कर देने की योजना स्वीकृत कर दी गई है । इन में से दो बर्थ का निर्माण कार्य चालू है ।

रामगुण्डम-निजामाबाद रेल सम्पर्क

† *५१. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या रेलवे मंत्री २० मार्च, १९५७ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामगुण्डम-निजामाबाद रेल सम्पर्क के लिये अन्तिम रूप से स्थान सर्वेक्षण (लोकेशन सर्वे) करने के बारे में कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह विशाखपटनम् और बम्बई पत्तन के बीच सीधी कड़ी का ही एक अंग है, रेलवे बोर्ड इसे कुछ प्राथमिकता देने का विचार रखता है ?

† **रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

---

† मूल अंग्रेजी में

(ख) रामगुण्डम-निजामाबाद लाइन लातूर-रामगुण्डम परियोजना का ही अंग है । इसका अन्तिम स्थान सर्वेक्षण (लोकेशन सर्वे) १९४५-४६ में किया गया था । अतः नये सिरे से इंजीनीयरिंग सर्वेक्षण करना आवश्यक नहीं है । परिव्यय को निस्सन्देह ही वर्तमान रूप दिया जा रहा है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् । यह लाइन रेलवे की द्वितीय पंचवर्षीय योजन में सम्मिलित नहीं है ।

पाकिस्तान से नहरी पानी की बकाया राशि

†*५२. श्री बहादुर सिंह :
श्री सं० वें० रामास्वामी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अमर सिंह डामर :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार का ध्यान नहरी पानी की बकाया राशि का भुगतान न किये जाने की ओर दिलाया है;

(ख) कितनी तिमाही से पाकिस्तान सरकार ने १९४८ के समझौते के अन्तर्गत प्रयुक्त पानी के लिये भुगतान नहीं किया है;

(ग) भुगतान न की गई बकाया राशि कितनी है; और

(घ) "विवादग्रस्त शीर्ष" और "विवादहीन शीर्ष" के अन्तर्गत ३१ मार्च, १९५७ तक पाकिस्तान की ओर कितनी राशि बाकी थी ?

† **सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) नहरी पानी का मूल्य "विवादग्रस्त" शुल्क के अन्तर्गत २८ तिमाही का और "विवाद हीन" शुल्क के अन्तर्गत २ तिमाही का बाकी है ।

(ग) "विवादग्रस्त" और "विवादहीन" शीर्षों के अन्तर्गत ३० जून, १९५७ को समाप्त होने वाली तिमाही तक पाकिस्तान द्वारा देय कुल बकाया राशियां क्रमशः ८१,९३,०९५ रुपये और १८,४१,८२१ रुपये हैं ।

(घ) "विवादग्रस्त" और "विवादहीन" शीर्षों के अन्तर्गत ३१ मार्च, १९५७ तक पाकिस्तान द्वारा देय नहरी पानी की बकाया राशियां क्रमशः ७८,३८,५५५ रुपये और २३,४५,०७१ रुपये थीं ।

हीराकुड की नहरों से सिंचाई

† *५३. **श्री सुधाकर** : **क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हीराकुड बांध परियोजना की नहरों से सिंचाई के लिये कितने एकड़ भूमि तैयार की गई है; और

(ख) वर्तमान में हीराकुड की नहरों से वस्तुतः कितने एकड़ भूमि की सिंचाई की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

† **सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) १,५६,७२१ एकड़ ।

(ख) ८९,४८३ एकड़ ।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान

†*५४. **श्री राधा रमण** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और एयर इण्डिया इन्टरनेशनल के पास इस समय जो विमान हैं उनकी अलग-अलग संख्या और किस्में क्या हैं;

(ख) अन्तर्देशीय और विदेशी सेवा के लिये, निजी अनुभव तथा सेवा की दृष्टि से, कौन कौन से विमान उत्कृष्ट सिद्ध हुए हैं; और

(ग) आधुनिक समय में प्रयुक्त विमानों को इन विमानों से बदलने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

† **परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)** : (क) से (ग). मैं लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १९]**

उज्जैन-इन्दौर रेल सम्पर्क

*५५. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **रेलवे** मंत्री २८ मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २६०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे पर देवास के रास्ते उज्जैन को इन्दौर से मिलाने वाली नई रेलवे लाइन कब चालू होगी; और

(ख) इस लाइन पर रेलवे विभाग द्वारा कुल कितना खर्चा होने का अनुमान है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) आशा है, दिसम्बर, १९५७ तक इस लाइन पर गाड़ियां चलने लगेंगी ।

(ख) इस लाइन पर लगभग २.९ करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है ।

हावड़ा-खड़गपुर लाइनज पर बिजली से रेलें चलाया जाना

† *५६. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **रेलवे** मंत्री १९५७–५८ के लिये रेलवे बजट के श्वेत पत्र के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्वी रेलवे पर बढ़े हुए यातायात की आवश्यकता किस प्रकार पूरी की जायेगी;

(ख) दक्षिण पूर्वी रेलवे के हावड़ा-खड़गपुर सैक्शन पर बिजली से रेलें चलाकर लाइन की क्षमता बढ़ाने के लिये क्या प्रारम्भिक कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ग) क्या ग्योंखाली में लाइन चालू करने के प्रश्न का परीक्षण करने के लिये विदेशी विशेषज्ञों से पूछताछ की गई है और क्या ये विशेषज्ञ कच्चा लोहा तथा कोयले के निर्यात के लिये एक पत्तन खोलने की संभावना का भी परीक्षण करेंगे ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (ग). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिय परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २०]**

---

† मूल अंग्रेजी में

केरल में समुद्र तट का कटाव

†*५७. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री वें० प० नायर :
श्री कोडियान :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के समुद्र तट के कटाव की पुनरावृत्ति को रोकने के तरीकों की जांच की प्रगति;
(ख) सुरक्षात्मक कार्यों के माध्यम से हुई प्रगति;
(ग) क्या यह सच है कि इस वर्ष भी तट के कटाव से पुनः हानि हुई है; और
(घ) यदि हां, तो कितनी हुई है ?

† **सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) से (घ). केरल सरकार द्वारा दी गई आवश्यक जानकारी बताने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २१]**.

मलेरिया नियंत्रण योजना

† *५८. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मलेरिया नियंत्रण योजना के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या जो कार्य किया गया है और परिणाम प्राप्त हुए हैं उनके बारे में कुछ निर्धारण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के निर्धारण के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

† **स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) राज्यों को नियत किये गये २०० मलेरिया नियंत्रण यूनिट में से १५३.२५ यूनिट ने कार्य आरम्भ कर दिया है।

(ख) और (ग). कार्य का कोई औपचारिक निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है, किन्तु इसमें भाग लेने वाले राज्यों से समय-समय पर प्राप्त रिपोर्ट से यह मालूम होता है कि प्रति वर्ष मलेरिया से पीड़ित होने वाले व्यक्तियों की संख्या जो १९५३ के पूर्व ७ करोड़ ५० लाख थी, १९५६ में घटकर २ करोड़ रह गई है।

मद्रास-अर्कुनम लाइन पर बिजली से रेलें चलाया जाना

† *५९. **श्री सें० वें० रामस्वामी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्रास और अर्कुनम के बीच भारी यातायात को ध्यान में रखते हुए क्या इस लाइन पर बिजली से रेलें चलाने की व्यवस्था की जायेगी ?

† **रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: जी नहीं। ऐसी आशा नहीं है कि द्वितीय योजना काल में इस सैक्शन पर यातायात इतना बढ़ जायेगा कि उसे भाप से चलने वाली गाड़ियां पूरा न कर सकेंगी।

---

† मूल अंग्रेजी में

डाक तथा तार विभाग संग्रहालय

†*६०. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ३० नवम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय डाक तथा तार विभाग के संग्रहालय की स्थापना के निर्णय के बारे में कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय का क्या स्वरूप है ?

† **परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) तथा (ख). डाक तथा तार विभाग संग्रहालय की स्थापना के लिये प्रयोगात्मक योजनाएं बनाई गई हैं । इनका इस समय परीक्षण किया जा रहा है ।

दिल्ली में ओलों से हानि

† *६१. **श्री राधा रमण :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में इस वर्ष मार्च में ओले पड़ने से फसल की हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो अनुमानित कुल हानि कितनी है और कौन से गांव प्रभावित हुए हैं;

(ग) इस दिशा में गांव वालों की सहायता के लिये क्या उपाय किये गये हैं;

(घ) क्या प्रधान मंत्री ने हानिग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करते समय स्थिति का सामना करने के लिये कोई सुझाव दिये थे अथवा सिफारिशें प्रस्तुत की थीं; और

(ङ) अभी तक इन सिफारिशों की क्रियान्विति कहां तक हुई है ?

† **खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) जी, हां ।

(ख) जिन में ५० प्रतिशत अथवा इस से अधिक हानि हुई थी उन ६८ गांवों में ओलों से रबी फसल की विनष्टि के परिणामस्वरूप १८,९८,५८४ रुपये का नुकसान हुआ है ।

(ग) प्रभावग्रस्त क्षेत्रों में ग्रामवासियों की सहायता के लिये निम्न सहायता कार्य किये गये हैं :—

(१) पन्द्रह उचित मूल्य वाली अनाज की दुकानें खोली गई हैं ।

(२) भूमि के लगान में कमी करने का निर्णय ।

(३) नकदी की वकाया किस्तें वसूल करने का कार्य स्थगित कर दिया गया है ।

(४) चारा और बीज तकावी के रूप में ५ लाख रुपये की रकम वितरित की जा रही है ।

(५) निर्धन, निर्बल, वृद्ध और निराश्रित व्यक्तियों की सहायता के लिये २५,००० रुपये स्वीकृत किये गये हैं ।

(६) प्रधान मंत्री सहायता कोष से १५,००० रुपये और भारतीय जन दूर्भिक्ष न्यास निधि से १०,००० रुपये पीड़ित क्षेत्रों में सहायता हेतु स्वीकृत किये गये हैं ।

(घ) और (ङ). ग्रामीणों की सहायता के लिये समस्त सम्भव उपाय कर लिये गये थे । अतः प्रधान मंत्री द्वारा सिफारिशें प्रस्तुत करने अथवा सुझाव देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

---

† मूल अंग्रेजी में

डुंगरपुर-बांसवाडा-रतलाम रेल सम्पर्क

*६२. **श्री अमर सिंह डामर :** क्या **रेलवे** मंत्री १४ दिसम्बर, १९४६ के तारांकित प्रश्न संख्या ११९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित डुंगरपुर-बांसवाडा-रतलाम रेलवे लाइन का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है;

(ख) उक्त रेलवे लाइन की कुल लम्बाई कितनी होगी; और

(ग) इस लाइन पर कौन कौन से मुख्य स्टेशन पड़ेंगे ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) इंजीनीयरिंग सर्वे पूरा हो चुका है और यातायात सर्वे हो रहा है ।

(ख) ११६.८७ मील मीटर लाइन और ११९.१९ मील बड़ी लाइन ।

(ग) (१) रतलाम
(२) सैलाना
(३) सरवान
(४) बांसवाड़ा
(५) परतापपुर-गढ़ी
(६) भिलोड़ा
(७) तमटिया
(८) डुंगरपुर

पूर्वोत्तर रेलवे में यात्री सुविधायें

† **१८. श्री श्रीनारायण दास :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में पूर्वोत्तर रेलवे के मानसी—सुपौल ब्रांच लाइन—के स्टेशनों पर कौन सी यात्री सुविधाएं दी गई हैं; और

(ख) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन स्टेशनों के विकास तथा यात्री सुविधाओं के बारे में कोई योजनाएं बनाई गई हैं ?

† **रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में मानसी-सुपौल ब्रांच लाइन के स्टेशनों पर जिन सुविधाओं का उपबन्ध किया गया है उनका ब्यौरा इस प्रकार है:—

१. कोपरिया स्टेशन . . .	तीसरी श्रेणी का यात्री प्रतीक्षालय और खोमचे वालों की दूकानें
२. सहरसा जंक० स्टेशन .	स्नान की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, प्लेटफार्म पर साफ पाखाने, तीसरी श्रेणी का यात्री प्रतीक्षालय, उच्च श्रेणी के प्रतीक्षा कक्ष में फ्लश की व्यवस्था, अल्पाहार कक्ष और ६ प्लेटफार्म की बेंचें ।

† मूल अंग्रेजी में

३. सुपौल स्टेशन . . .	खोमचे वाले की दुकान, तृतीय श्रेणी का यात्री प्रतीक्षालय, और उच्च श्रेणी का प्रतीक्षा कक्ष, छ प्लेटफार्म की बैंच और एक हेण्ड पम्प ।
४. बदला घाट, कोपरिया, सिमरी-बखत्यारपुर, सोन-बरसा-कचेरी पंचगचिया और परसरमा	प्रत्येक स्टेशन पर एक हैण्ड पम्प और छ प्लेटफार्म बैंचों की व्यवस्था की गई ।

(ख) जी हां, किन्तु प्रत्येक वर्ष के लिये निर्धारित कार्यक्रम पर रेलवे यात्री सुविधा समिति का अनुमोदन और निधि की उपलब्धि आवश्यक है ।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम

† १९. **श्री श्रीनारायण दास** क्या **सामुदायिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में विदेशी विशेषज्ञों द्वारा दिये गये प्रतिवेदनों का परीक्षण तथा अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन द्वारा बताई गई त्रुटियां संक्षेप में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बताई गई हैं जिन से उनका मार्गदर्शन हो सके; और

(ग) इन त्रुटियों को दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

† **सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) १० और ११ दिसम्बर, १९५६ को नई दिल्ली में हुई विकास आयुक्तों की बैठक में प्रतिवेदनों पर विचार किया गया था । इन प्रतिवेदनों पर कार्यवाही करने के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया की सिफारिश की गई है :—

(१) प्रतिवेदनों में दिये गये मुख्य निष्कर्षों और सिफारिशों पर मन्त्रियों की राज्य विकास समिति और मंत्रणा समिति, जिसके सदस्य मुख्य सचिव, विकास आयुक्त और विभागों के सचिव और मुख्य हों, विचार करें ।

(२) प्रतिवेदनों की मुख्य-मुख्य बातों पर अन्तर्राज्यीय गोष्ठियों में विचार किया जाये ।

(३) यदि किसी मामले में बिना आगे चर्चा किये राज्य सरकार द्वारा तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो तो यह कार्यवाही यथासम्भव शीघ्र की जानी चाहिये । बैठक की सिफारिशें १८ दिसम्बर, १९५६ को आवश्यक कार्यवाही करने के लिये राज्य सरकारों को भेज दी गई थीं ।

(४) प्रतिवेदनों में कही गई महत्वपूर्ण बातों पर अप्रैल, १९५७ में मसूरी में हुए विकास आयुक्तों के सम्मेलन में भी चर्चा की गई थी ।

दिल्ली के लिये बिजली की आवश्यकता

† २०. **श्री ह० चं० माथुर** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में बिजली के नये कनैक्शनों के लिये प्राप्त हुए कितने आवेदन पत्रों पर अभी निर्णय होना बाकी है और वे कब से पड़े हुए हैं ?

---

† मूल अंग्रेजी में

† **सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: ३० अप्रैल, १९५७ को दिल्ली बिजली नियंत्रण बोर्ड के पास १२,९८३ आवेदन पत्र पड़े हुए थे। यह आवेदन पत्र कब से लम्बित हैं इसका ब्योरा नीचे दिया गया है :—

	(जिस तिथि से लम्बित है)
(१) घरों में बिजली आदि लगाने के आवेदनपत्र—	
(क) उन क्षेत्रों के लिये जहां बिजली का संभरण टैक्नीकल दृष्टि से सम्भव है . . .	अप्रैल, १९५७
(ख) उन क्षेत्रों के लिये जहां बिजली का संभरण टैक्नीकल दृष्टि से सम्भव नहीं है . . .	१९५३
(२) घरों में बिजली लगाने के लिये आवेदन पत्र	जनवरी, १९५७
(३) छोटे उद्योगों के लिये बिजली के आवेदन पत्र	अप्रैल, १९५७
(४) बड़े उद्योगों के लिये बिजली के आवेदन पत्र .	१९४८

टिप्पणी : बड़े उद्योगों के लिये प्राप्त हुई अधिकतर मांगें, जो १९४८ से लम्बित हैं, बड़े उद्योगों के लिये नियत नजफगढ़ रोड और शाहदरा से न होते हुए अन्य क्षेत्रों की हैं। स्वास्थ्य और स्वच्छता की दृष्टि से वे बड़े उद्योग स्थापित करना वांछनीय नहीं समझा गया है जिन्होंने यह मांग की हैं। कुछ आवेदनपत्र इस मंशा से भेजे गये थे कि इन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लाइसेंस प्राप्त हो जायेंगे परन्तु वह आशा पूरी नहीं हुई।

पंजाब में सामुदायिक परियोजनायें

† २१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, १९५७ तक की समाप्ति तक पंजाब में सामुदायिक परियोजनाओं पर कुल कितनी लागत आई; और

(ख) परियोजनाओं के कर्मचारियों पर कुल कितना खर्च किया गया ?

† **सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) जनवरी, १९५७ तक १,७३,२९,२४६ रुपये खर्च हुए। बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) ४२,३०,१५३ रुपये।

भारतीय जहाजों द्वारा स्वेज नहर का उपयोग

२२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन और संचार** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि स्वेज नहर के यातायात के लिए पुनः खुलने के बाद से कितने भारतीय जहाज इसमें से गुजर चुके हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : स्वेज नहर के यातायात के फिर से खुलने के बाद ७ मई, १९५७ तक, इसमें से १४ भारतीय जहाज गुजर चुके हैं।

दिल्ली जंक्शन स्टेशन

† २३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री १९ दिसम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली जंक्शन स्टेशन को नवीन रूप प्रदान करने की योजना में क्या प्रगति हुई है ?

---

† मूल अंग्रजी में।

† **रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : दिल्ली मीटर लाइन यार्ड के पुनर्निर्माण की योजना को अन्तिमरूप से स्वीकृत कर लिया गया है और काम आरम्भ हो गया है ।

दिल्ली की बड़ी लाइन यार्ड के पुनर्निर्माण की योजना तैयार कर ली गई है और प्राक्कलन के साथ उस का परीक्षण किया जा रहा है ।

उत्तर रेलवे में भ्रष्टाचार निरोध संगठन

† २४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६-५७ के दौरान में उत्तर रेलवे के भ्रष्टाचार निरोध संगठन ने क्या कार्य किया ?

† **रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २२]**

चम्बल परियोजना

†२५. **पंडित मु० बि० भार्गव** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चम्बल परियोजना में क्या प्रगति हुई है;

(ख) कितने खर्च का अनुमान था और अब तक कितना खर्च हो चुका है और मध्य प्रदेश, राजस्थान और केन्द्रीय सरकार इस विनियोजन में किस अनुपात से अंशदान देंगे;

(ग) अलग-अलग दोनों राज्यों में कुल कितने क्षेत्र की सिंचाई होगी;

(घ) इस परियोजना द्वारा कितनी जल विद्युत् का उत्पादन होगा और अलग-अलग कितना उपयोग होगा;

(ङ) विद्युत् का उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा; और

(च) ब्यावर और अजमेर नगरों को विद्युत् का संभरण कब तक आरम्भ होने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) चम्बल परियोजना (प्रथम क्रम) में प्रगति मार्च, १९५७ तक निम्नानुसार है :—

१. गांधी सागर बांध और बिजली घर

(१) बांध—

कुल पत्थर और कंकरीट आदि में से ३६ प्रतिशत बिछाया जा चुका है । इसकी लम्बाई का अधिकतर भाग नदी के तल से लगभग ७५ फुट ऊंचा बन चुका है ।

(२) बिजली घर—

प्रारम्भिक नहर की ९० प्रतिशत खुदाई पूरी हो चुकी है।

कोटा बांध—

चट्टानें काटने का ८० प्रतिशत काम पूरा हो चुका है । बांध के दरवाज़ों के लिये आदेश दिये जा चुके हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

३. नहरें—

चट्टाने काटने का ५१ प्रतिशत काम और मिट्टी खोदने का २१ प्रतिशत काम पूरा हो चुका है । पार जलोत्सारण पर कार्य हो रहा है ।

४. बिजली घर और ट्रांसमिशन लाइनें—

बिजली पैदा करने वाले संयन्त्र के लिये आदेश दिया जा चुका है । ट्रांसमिशन लाइनों के बारे में मध्य प्रदेश का सर्वेक्षण पूरा हो गया है । कुछ सामग्री और उपकरण के लिये आर्डर दिये जा चुके हैं और शेष के लिये दिये जा रहे हैं । राजस्थान में ट्रांसमिशन लाइनों सम्बन्धी सर्वेक्षण जारी है और प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं ।

(ख) (१) मार्च, १९५७ तक निम्नानुसार व्यय किया गया:—

राजस्थान: लगभग ३.६२ लाख रुपये ।

मध्य प्रदेश: लगभग ६.३९ लाख रुपये ।

(२) अनुमति व्यय निम्नलिखित है:

राजस्थान: १२.९८ लाख रुपये ।

मध्य प्रदेश: २४.७४ लाख रुपये ।

(३) दोनों भाग लेने वाली राज्य सरकारें योजना से प्राप्त होने वाले लाभ के अनुसार इसकी लागत में अंशदान देंगी। केन्द्रीय सरकार केवल उन्हें ऋण दे रही है ताकि वे खर्च में अपना अंशदान दे सकें।

(ग) मध्य प्रदेश में लगभग ५.५ लाख रुपये एकड़ और राजस्थान में लगभग ५.५ लाख एकड़ ।

(घ) परियोजना के प्रथम क्रम में ६० प्रतिशत 'लोड फैक्टर' पर ७५००० किलोवाट बिजली पैदा होगी। इस विद्युत का उपयोग दोनों राज्यों द्वारा समान अनुपात से किया जायेगा ।

(ङ) १९५९-६० में ।

(च) १९६० में ।

हवाई अड्डे

†२६. डित मु० बि० भार्गव : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ अगस्त, १९४७ तक कितने हवाई अड्डों को असैनिक उड्डयन के लिये प्रयोग में लाया जा रहा था;

(ख) इस समय कितने हवाई अडडे हैं ;

(ग) १५ अगस्त १९४७ के पश्चात नये हवाई अड्डों के निर्माण और वर्तमान अड्डों की मरम्मत में कुल कितना विनियोजन किया गया है;

(घ) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के दौरान में विभिन्न राज्यों में कौन कौन से नये अड्डों का निर्माण किये जाने की सम्भावना है;

---

† मूल अंग्रेजी में ।

(ङ) क्या जिला अजमेर (राजस्थान) में भी कोई हवाई अड्डा बनाने की सम्भावना है; और

(च) यदि हां, तो हवाई अड्डा कब तक चालू हो जायेगा?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)** : (क) १५ अगस्त, १९४७ को असैनिक उड्डयन विभाग ४४ हवाई अड्डों की देखरेख कर रहा था।

(ख) असैनिक उड्डयन विभाग ८४ हवाई अड्डों की देख रेख कर रहा है।

(ग) लगभग १२.३१ करोड़ रुपये।

(घ) निम्नलिखित स्थानों पर अब हवाई अड्डे बनाये जा रहे हैं :—

(१) तुलीदल (मनीपुर)
(२) माल्दा (पश्चिमी बंगाल)
(३) जोगबनी } (बिहार)
(४) रक्सौल }
(५) हल्द्वानी (उत्तर (प्रदेश)

यदि धन उपलब्ध हुआ तो विचार है कि दो या तीन अन्य स्थानों पर भी हवाई अड्डे बनाये जायेंगे।

(ङ) नहीं, श्रीमान्।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बंगलौर के डाक प्रतिष्ठान

† २७. **श्री केशव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार बंगलौर नगर के डाक प्रतिष्ठानों को ख श्रेणी में से क श्रेणी में लाने का है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : जी नहीं।

रेलवे पर दावे

२८. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के रतलाम डिवीजन में रेल विभाग ने व्यापारियों को १९५५ से अब तक उनके माल की हानि के लिये कुल कितने मूल्य के दावे चुकाये हैं;

(ख) इस समय कुल कितने दावे विचाराधीन हैं; और

(ग) रतलाम डिवीजन के प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर अब तक कितने दावों का भुगतान किया जा चुका है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

---

† मूल अंग्रेजी में

कोचीन पत्तन प्रशासन

† २९. **श्री वारियर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन प्रशासन ने पत्तन के कर्मचारियों के किसी संघ को मान्यता प्रदान की है;

(ख) पत्तन में कर्मचारियों के कितने संघ हैं;

(ग) प्रत्येक संघ के कितने सदस्य हैं ?

† **परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) दो संघों अर्थात् कोचीन पत्तन श्रमिक संघ (वर्कर्स यूनियन), थोपमपेडी और कोचीन पत्तन कर्मचारिवृन्द सन्था (स्टाफ एसोसियेशन) को कोचीन पत्तन प्रशासन ने मान्यता प्रदान की है ।

(ख) छ ।

(ग) पत्तन प्रशासन के पास संघों के सदस्यों की संख्या के बारे में अद्यतन जानकारी नहीं है । अप्रैल, १९५१ में कोचीन पत्तन श्रमिक संघ को जब मान्यता दी गई तो उसका दावा था कि कुल १५०४ कर्मचारियों में से ८५२ उसके सदस्य थे ।

रेलवे में भ्रष्टाचार

†३०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ में रेलवे में सभी परिमंडलों में भ्रष्टाचार के लिये कितने कर्मचारियों को दंड दिया गया;

(ख) किस प्रकार का दंड दिया गया; और

(ग) ऐसे कितने मामलों पर अभी निर्णय किया जाना है ?

† **रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे में रक्षित नौकरियां

† ३१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ में प्रत्येक रेल में अनुसूचित जातियों के लिये कितने स्थान रक्षित रखे गये थे; और

(ख) उपरोक्त अवधि में प्रत्येक रेलवे में कितने स्थान अनुसूचित जातियों में से भरे गये ?

† **रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** :(क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

भाखड़ा नंगल बांध

† ३२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक भाखड़ा नंगल बांध पर कितनी राशि व्यय की गई है ?

† **सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: २८ फरवरी, १९५७ तक भाखड़ा बांध पर ३८.५८ करोड़ रुपये ख़र्च हो चुके हैं ।

---

† मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

१९५७–५८ के लिये दामोदर घाटी निगम के आय-व्ययक प्राक्कलन

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : मैं दामोदर घाटी निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ४४ की उपधारा (३) के अन्तर्गत वर्ष १९५७-५८ के लिए दामोदर घाटी निगम के आयव्ययक प्राक्कलनों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी––देखिये संख्या एस––२५/५७]**

१९५५-५६ के लिए हिन्दुस्तान शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मैं वर्ष १९५५-५६ के लिये हिन्दुस्तान शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति संभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी ––देखिये संख्या एस०––२६/५७]**

वर्ष १९५४–५५ के लिये दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार के परीक्षित लेखे

†**श्री राज बहादुर** : मैं दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार अधिनियम, १९५० की धारा ३८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत वर्ष १९५४-५५ के लिए दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार के बारे में निम्न पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

१. सन्तुलन पत्र,

२. संचालन लेखे सहित लाभ और हानि का लेखा,

३. महाप्रबन्धक (जनरल मैनेजर) द्वारा आर्थिक समीक्षा, और

४. वार्षिक लेखे के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

[पुस्तकालय में रखी गयी, दखिये संख्या एस०–२७/५७]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव---जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा १४ मई, १९५७ को श्री तिरुमल राव द्वारा प्रस्तुत किये गये और श्री म० प्र० मिश्र द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित प्रस्ताव पर और आगे चर्चा करेगी :

> "कि इस सभा में समवेत लोक-सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने १३ मई, १९५७ को एक साथ समवेत संसद् के दोनों सदनों के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

सभा उन संशोधनों पर भी चर्चा करेगी जो कल प्रस्तुत किये गये थे। यह पहले ही बताया जा चुका है कि एक बार जब धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत हो जाता है तो उस पर और आगे संशोधनों को स्वीकार नहीं किया जाता और उन्हें परिचारित भी नहीं किया जाता क्योंकि इससे संशोधनों के आने का सिलसिला कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन मैंने पूर्व सूचना के समय में रियायत कर दी है क्योंकि बहुत से सदस्य इस सभा में नये हैं।

जिन सदस्यों ने कल तक अपने संशोधन नहीं दिये हैं वे १५ मिनट के भीतर सचिव को चिटें दे दें जिन में उनके उन संशोधनों की संख्या का उल्लेख होना चाहिए जिन्हें वे प्रस्तुत

---

† मूल अंग्रेजी में

करना चाहते हैं; और यदि वे संशोधन अन्यथा ग्राह्य होंगे तो उन्हें प्रस्तुत किया गया समझा जायेगा । बाद में, सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले संशोधनों की संख्या की घोषणा की जायेगी ।

†**आचार्य कृपालानी** (सीतामढ़ी) : मुझे खेद है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि सरकार वर्तमान कठिनाइयों तथा भविष्य में हमारे सामने आने वाली कठिनाइयों का किस प्रकार सामना करेगी । मुझे प्रसन्नता है कि इन दस वर्षों में पहली बार हमारी वैदेशिक नीति के स्थान पर हमारी घरेलू नीति को महत्व दिया गया है । अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति स्थापित करने में हमारे पंचशील के सिद्धान्तों तथा हमारे भाई-भाई के नारे ने कोई मदद नहीं की । दुनियां अपनी रफ्तार से चल रही है । आज सह अस्तित्व केवल उन राज्यों के बीच हैं जो साम्राज्यवादी हैं क्योंकि वह अपने पड़ोसी छोटे छोटे राज्यों को दबा कर अपने वश में कर लेते हैं । मुझे खेद है कि गोवा का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है । श्रीलंका में रहने वाले उन भारतीयों की समस्या का भी कोई उल्लेख नहीं है जिनकी नागरिकता छीन ली गई है ।

योजना पर विचार करते समय हम देखते हैं कि योजना का निर्माण जिन परिकल्पनाओं के आधार पर किया गया था वे तीनों बातें—संसार में शान्ति रहेगी, दैनिक उपभोग की वस्तुओं के दाम नहीं बढ़ेंगे; और हमारे विदेशी विनिमय की स्थिति खराब नहीं होगी—उलटी साबित हुईं । विश्व शान्ति के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि अचानक स्वेज नहर पर आक्रमण हो जाने के कारण वस्तुओं के दाम बढ़ गये और हमें हानि हुई ।

खाद्य तथा वस्त्र की कीमतों के सम्बन्ध में विशेष रूप से खाद्य के सम्बन्ध में—हमें बताया गया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता से १९५५ में हमारा देश खाद्य के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर हो गया था । द्वितीय पंच वर्षीय योजना में उत्पादन को ४० प्रतिशत बढ़ा कर हम ने निर्यात करने का भी विचार किया था । आज जब कीमतें बढ़ गई हैं तो प्रकृति को दोष दिया जा रहा है ।

हम खाद्य का आयात करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं । पर नदी घाटी योजना तथा पंच वर्षीय योजना द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त खाद्य क्या हुआ ? मैं तो समझता हूं कि हमारे देश में खाद्य की कमी नहीं है बल्कि कमी इस बात की है कि लोग खरीदने में समर्थ नहीं हैं; इसका कारण मुद्रास्फीति और बेरोजगारी है ।

तीसरा परिकल्पना विदेशी विनिमय की स्थिति के बारे में थी । विदेशी विनिमय की स्थिति इतनी खराब हो गयी है कि स्वयं वित्त मंत्री ने भी उसे खतरनाक बताया है ।

निर्वाचनों में कांग्रेस दल ने यह प्रचार किया कि कांग्रेस को मत देना चाहिए क्योंकि कांग्रेस ने यह योजना बनाई है । मैं पूछना चाहता हूं कि यह पंचवर्षीय योजना एक राष्ट्रीय योजना है या कांग्रेस दल की योजना है ।

हां, तो मैं बता रहा था कि उक्त तीनों परिकल्पनायें उलटी सिद्ध हुईं । इसके अलावा दो तीन और परिकल्पनायें थीं जैसे प्रशासन में खर्च की बचत, भ्रष्टाचार की कमी और प्रशासन की निपुणता ।

प्रशासन की निपुणता के सम्बन्ध में, आप देखेंगे कि गत वर्ष शुरू की गयी कुछ योजनाओं के लिए अभी तक भी धन स्वीकार नहीं किया गया है और गत वर्ष समाप्त हो जाने वाली कुछ योजनायें अभी भी समाप्त नहीं हो पाई हैं ।

---

† मूल अंग्रेजी में

[आचार्य कृपालानी]

प्रशासन की इमानदारी के बारे में प्रधान मंत्री ने कहा कि निचले स्तर पर भ्रष्टाचार अवश्य है। पर उच्चस्तर के अधिकारियों में भ्रष्टाचार नहीं है। पर जनता इस बात को अच्छी तरह जानती है कि कहां भ्रष्टाचार है कहां नहीं है। दोनों स्तरों पर कुछ इमानदार कर्मचारी भी हैं। उच्च स्तर के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को अनियमितता कह दिया जाता है और निचले स्तर के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार। दामोदर घाटी योजना के एक पदाधिकारी ने कुछ अनियमितताएं की थीं, उनकी जांच की गयी और सच भी पाया गया पर उसी अधिकारी को दामोदर घाटी योजना का मुख्य अधिकारी बना दिया और आज वहां भ्रष्टाचार फिर बढ़ गया है।

जब मैं रेलवे भ्रष्टाचार समिति का सभापति था तो मैंने उस समिति की रिपोर्ट में स्वयं दिया है कि निचली श्रेणी के पदाधिकारी १० या १५ रुपये की रिश्वत लेकर सरकार को हजारों रुपये का नुकसान करने में तनिक भी संकोच नहीं करते। लोक लेखा समिति का जब मैं सदस्य था तो मैंने पाया कि वैदेशिक कार्य मंत्रालय का एक पदाधिकारी हर साल एक कार खरीदता है। इसी प्रकार एक दूतावास से एक राजनयिक का जब तबादला हुआ तो उसने दूतावास से चांदी का एक "फ्रूट सेट" उठवा लिया बाद में उसने बताया कि उसकी पत्नी की गल्ती से ऐसा हो गया था। वैसे तो मैं ऊंची श्रेणी के पदाधिकारियों के चरित्र के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहता पर खेद है कि ये अधिकारी तथा गृह मंत्रालय भी भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर पाते।

फजूलखर्ची की बात देखिए--हमारे शहरों के लिए सब कुछ व्यवस्था की जाती है पर हमारे गांवों की हालत खराब है। दिल्ली से गन्दी बस्तियों को हटाने का प्रबन्ध किया जा रहा है पर गांवों की हालत तो गन्दी बस्तियों की सी ही है उसे हटाने का प्रबन्ध करना चाहिए। शहरों में सभी अवसरों पर बड़े उत्सव होते हैं। हमारे राष्ट्रपति जी एक बग्घी पर क्षत्रधारी बन कर आते हैं। पर मेरा तो कहना है कि प्रत्येक अवसर पर हमारी परम्परा के अनुसार ही बनावट या सजावट या उत्सव होना चाहिए। हमें अंग्रेजों के साम्राज्यीय ढंग का अनुकरण नहीं करना चाहिए। मैं राष्ट्रपति के व्यक्तित्व के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता वह मेरे पुराने साथी रह चुके हैं। मैं तो फजूलखर्चों की बात कह रहा हूं। मैंने यहां तक सुना है कि कुछ मंत्रियों के बंगलों के बिजली का खर्च हजार रुपये तक भी होता है। प्रान्तों में मंत्रियों को वेतन तथा भत्ता मिला कर कुल ४,००० से ५,००० रुपये तक पड़ता है। सभी तरफ फजूल खर्ची है। मैं आलोचना नहीं करना चाहता। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश के लिए जो इतना गरीब है; उसके लिए इतना खर्च इतना शानशौकत उचित नहीं है। अतः हमें एक-एक पाई को भी सावधानीपूर्वक खर्च करना चाहिए। सरकार योजना को सफल बनाना चाहती है पर योजना तभी सफल होगी जब हम अपने सामर्थ्य के अनुसार ही अपनी अर्थ व्यवस्था बनायेंगे।

† **डा० राम सुभग सिंह** (ससराम) : राष्ट्रपति ने देश की खाद्य समस्या का जो उल्लेख किया उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में फसलें जो खराब हुईं उसका कारण फसलों के कुछ रोग हैं। यदि हमारे राज्य तथा केन्द्र के विशेषज्ञ इस बात की सावधानी रखते--आज के वैज्ञानिक युग में इन रोगों को दूर करने की अनेक औषधियों का अनुसंधान हो चुका है--तो स्थिति ऐसी न होती। यदि हमारा शासन इस प्रकार भी रवैया रखेगा तो कभी भी कल्याण नहीं होगा। विशेष गाड़ियों से अभावग्रस्त क्षेत्रों में खाद्य भेजने से समस्या का हल नहीं होगा। दूसरी पंच वर्षीय योजना के शुरू होने के पूर्व बिहार में ३,२०,००० टन का अभाव था; पहली

---

† मूल अंग्रेजी में

[डा० राम सुभग सिंह]

पंचवर्षीय योजना में बताया गया कि बिहार में ४,७०,००० टन अतिरिक्त खाद्य का उत्पादन हुआ है पर इस बढ़े हुए उत्पादन का क्या हुआ ? १९५५ में सरकारी प्रवक्ताओं ने बताया कि हमें निर्यात के साधन ढूंढ़ने हैं पर १९५४ में हम ने ४७ करोड़ रुपये के ८ लाख टन खाद्य का आयात किया; १९५५ में ३३ करोड रुपये के ७ लाख टन खाद्यान्न का आयात किया और १९५६ में ५६ करोड़ रुपये के लगभग १४,२०,००० टन खाद्य का आयात किया। पर यह सब खाद्य क्या हुआ। १९५६ में सरकारी प्रवक्ताओं ने बताया कि खाद्य का कोई अभाव नहीं है पर उसी समय खाद्य के मूल्यों के देशनांक बढ़ गये थे और १९५५-५६ में १९३९ के आधार १०० के अनुसार देशनांक बढ़ कर ३१३·२ हो गया और फरवरी १९५७ में ४०६ हो गया।

बताया गया है कि खाद्य का आयात उसका संग्रह करने के लिए किया गया पर संग्रह होते हुए भी मूल्यों में वृद्धि क्यों हुई ? जब केवल बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में केवल एक फसल खराब होने पर एसी खराब स्थिति हो गयी तो कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है कि देश में खाद्य व्यवस्था का प्रबन्ध कैसे हो रहा है ? योजना बनाने वालों ने ४० प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया था और राज्य सरकारें २८ प्रतिशत के लिए सहमत हुईं। आज तक अर्थात् प्रथम पंचवर्षीय योजना काल तथा द्वितीय योजना के अब तक के समय में कुल २,२२,००० गांव राष्ट्रीय विस्तार सेवा आन्दोलन के अन्तर्गत आये हैं।

यह कहा गया है कि उन क्षेत्रों के खाद्य उत्पादन में २५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि बिहार में फसल को ६० प्रतिशत हानि पहुंची है, जो २ लाख टन होती है। तब केवल इतनी ही हानि से देश की खाद्य स्थिति को इतना भारी धक्का किस प्रकार लगा है। क्योंकि इस के फलस्वरूप खाद्य की कीमतें बढ़ती जा रही हैं।

योजना आयोग के कथनानुसार सिंचाई की बड़ी और छोटी परियोजनाओं में ५१० करोड़ रुपये व्यय किये गये। ६३० लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई की गई। इन आंकड़ों के अनुसार भी उपज में कुल २३ लाख की वृद्धि होनी चाहिये थी तथापि जो अवस्था है उसे हम जानते हैं।

खाद्य मंत्री ने इस माह की ९ तारीख को कहा था कि एक नल कूप द्वारा ७ एकड़ भूमि में खेती की जा रही है। वस्तुतः ७ एकड़ भूमि में तो एक साधारण कुएं से भी सिंचाई की जा सकती है। एक नल कूप से खरीफ में १५० एकड़ और रबी की २०० एकड़ फसल की सिंचाई की जा सकती है। लेकिन भारत में पूरी क्षमता का प्रयोग कहीं नहीं किया जाता। खाद्यान्नों में कमी का यह भी एक कारण है।

सिंचाई और विद्युत मंत्री ने यह भी कहा है कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में सिमेंट की बहुत कमी है। तथापि मेरे विचार से ऐसी बात नहीं है क्योंकि चोर बाजार की कीमतें देने पर आपको आपकी इच्छानुसार सीमेंट मिल सकता है। यह हमारे प्रशासन की कुशलता का एक प्रमाण है। वस्तुतः यदि एक नलकूप से केवल सात एकड़ क्षेत्र की सिंचाई की जा रही है और उनकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है तो यह बहुत दुख का विषय है।

इस स्थिति के उत्पन्न होने का पहिला कारण यह है कि पानी देने की दरों को तिगुना कर दिया गया है और दूसरा सम्बन्धित कर्मचारी को भी प्रसन्न करना आवश्यक होता है। इतने पर भी वे समय से पानी नहीं देते हैं।

सिंचाई की छोटी परियोजनाओं पर केन्द्रीय सरकार ने ११० करोड़ रुपया व्यय किया है। उनका भी हमारे क्षेत्र में यह हाल है कि सारे चाहर (हौज) बाढ़ से बह गये हैं और सोन नहर की कोई मरम्मत नहीं की गई है। सिंचाई विभाग के प्रशासन से कोई भी खुश नहीं है। तो भी किसान उत्पादन कर देश को जिन्दा रखे हुए हैं।

यदि खाद्यान्नों में केवल २ लाख टन की हानि होने से सारा खाद्य प्रशासन अस्थिर हो उठता है तो इस से स्पष्ट है कि योजना आयोग, सिंचाई और विद्युत मंत्रालय, सामुदायिक विकास और खाद्य तथा कृषि मंत्रालयों को कुशलतापूर्वक काम करना चाहिये। यह कहा गया है कि सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में अनाज के उत्पादन पर २५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वस्तुतः मेरे क्षेत्र में उत्पादन २५ प्रतिशत घटा है। वहां एक सामुदायिक परियोजना भी है। सामुदायिक परियोजना के द्वारा बनाये गये सारे स्कूल भी दिये गये विवरणों के अनुकूल नहीं बने हैं। उनकी छतें उड़ गई हैं। पुल भी टूट गये हैं। क्योंकि वहां का सारा सिमेंट चोर बाज़ारी से बेचा जा चुका है।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में जनता से सहयोग और सहायता की अपील की है। मैं इस के लिये उनका कृतज्ञ हूं। तथापि उन्हें सरकार व सरकारी कर्मचारियों से भी कुशलतापूर्वक तथा ईमानदारी से काम करने को कहना चाहिये।

मैं श्री आचार्य कृपलानी द्वारा निर्देश की गई बात की ओर भी सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं। शपथ ग्रहण के दिन कनिष्ठ उप मंत्रियों को भी सरकारी पदाधिकारियों ने उनका स्थान दिखाया जब कि ज्येष्ठ संसद् सदस्यों की ओर तब बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। यह उचित नहीं है। मेरे विचार से स्थान दिखाने की यह प्रथा समाप्त कर दी जानी चाहिये।

† **श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड) : मुझे राष्ट्रपति के भाषण में यह जान कर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि योजना में कोई ढील नहीं दी जायगी यद्यपि निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति यह चाहते हैं कि योजना की अवधि बढ़ा दी जाय।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि सरकार इस बात पर ध्यान देगी कि उद्योग तथा कृषि उत्पादन के मामले में भारत स्वावलम्बी हो। परन्तु विभिन्न क्षेत्रों से सदस्यों के बयानों और पत्रों के संवाद से जो बातें प्रकट होती हैं वह बिल्कुल विपरीत हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़े सम्बन्धी पत्र से भी यह ज्ञात होता है कि १९५१-५२ की अपेक्षा १९५४-५५ में सिंचाई वाले क्षेत्र में ४ लाख एकड़ की कमी हुई है। इसी प्रकार खाद्य उत्पादन में भी १९५३-५४ की अपेक्षा १९५४-५५ में ·१ प्रतिशत की कमी हुई है। १९५६ के आंकड़े नहीं दिये गये हैं।

योजना पर चर्चा करने के समय हमने सरकार से उद्योगीकरण की गति बढ़ाने के लिये उद्योग में अधिक राशि लगाने को कहा था। तब हम से कहा गया था कि खाद्य में स्वावलम्बी होना आवश्यक है। लेकिन हम आज भी स्वावलम्बी नहीं हो सके हैं। इसका कारण यह है कि एक तो कई राज्यों में सिंचाई की छोटी योजनायें नहीं हैं। दूसरी हमारी भूमि सम्बन्धी समस्या है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के १ मई, १९५७ के आर्थिक समीक्षा नामक पत्र के कलाडी और

† मूल अंग्रेजी में

भारत की भूमि समस्या शीर्षक लेख में यह स्पष्ट कहा गया है कि जब तक भूमि का पुनर्विभाजन नहीं होगा तब तक भारत की विशाल जनता को राष्ट्रीय निर्माण के कार्यों में उत्साह तथा प्रेरणा नहीं मिल सकती है । खेतीहर श्रमिकों की संख्या भारत की कुल जनसंख्या का ७० प्रतिशत है और जब तक उन्हें भूमि नहीं दी जायेगी तब तक उनकी आय में वृद्धि नहीं की जा सकती है । इसलिये भूमि सुधारों का किया जाना आवश्यक है । बिना भूमि सुधारों के किये हम स्वावलम्बी नहीं बन सकते हैं । उक्त लेख में यह भी कहा गया है कि घोषणाओं के अनुरूप भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित करने में कोई कार्य नहीं किया गया है । इसलिये यदि सरकार इस समस्या का निश्चित हल चाहती है तो उसे निम्न कार्यवाही करनी चाहिये । पहिला बेदखली बिल्कुल बन्द हो जानी चाहिये और तत्सम्बन्धी विधान बनाया जाना चाहिये । भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित करने के सम्बन्ध में विधान बनाया जाय बंजर और पड़ती भूमि भूमिहीन श्रमिकों को दे दी जाय । वस्तुतः केरल में अध्यादेश जारी कर ऐसा किया गया है । इस से कृषकों पर बहुत अच्छा प्रभाव हुआ है ।

केरल की खाद्यावस्था संकटपूर्ण है । यह केवल आज के लिये ही कमी वाला क्षेत्र नहीं है अपितु वर्षों तक यह कमी वाला क्षेत्र ही रहेगा क्योंकि केरल में ५० प्रतिशत से अधिक खाद्य अन्य राज्यों से आता है । जब अन्य राज्यों में ही खाद्य के भाव चढ़ गये हैं तो केरल की अवस्था और भी खराब हो गई है । अगले दो महीने वहां वर्षा होगी, जिससे मजदूर इत्यादि काम पर नहीं जा पायेंगे । इससे बेकारी में वृद्धि होगी । इसलिये सरकार को वहां अकाल की स्थिति न पैदा होने देने के लिये, तत्काल खाद्यान्न भेजना चाहिये । केरल में चाहे कोई भी सरकार हो, केन्द्रीय सरकार को अपना दायित्व पूरा करना चाहिये और लोगों के इस सन्देह को मिटा देना चाहिये, कि केरल में साम्यवादी सरकार होने के कारण, केन्द्रीय सरकार केरल को सहायता नहीं देगी ।

केरल के लोग केवल उबले चावल खाते हैं । यदि सस्ते अनाज की दुकानों में ये चावल नहीं मिलेंगे तो बाजार में इन के दाम बहुत चढ़ जायेंगे । मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वे आगामी दो महीनों के भीतर ही केरल में खाद्यान्न भेज कर वहां की स्थिति में सुधार करें ।

कन्नूर और कासरगोड में आनाज के गोदाम नहीं हैं । वहाँ के लोगों को आनाज खरीदने बहुत दूर जाना होता है । और उन्हें सस्ते दामों में चावल नहीं मिल पाता है । सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि केरल की खाद्य स्थिति और अधिक खराब न हो ।

आपने कहा है कि उत्पादन अवश्य बढ़ना चाहिये, तथापि श्रमिकों के लिये कोई प्रलोभन नहीं है जिससे वे प्रेरणा प्राप्त कर सकें । हम कह चुके हैं कि जब तक श्रमिकों की दशा में सुधार नहीं किया जायेगा तब तक उत्पादन बढ़ना बहुत कठिन है ।

किन्तु इस के विपरीत अवस्था यह है कि स्टेशन मास्टर हड़ताल करने की सूचना दे चुके हैं। एयर इंडिया इंटरनेशनल के कर्मचारी भी हड़ताल करने की चेतावनी दे चुके हैं । प्रथम पंच वर्षीय योजना की अवधि में भी आपने मजूरी में कोई वृद्धि नहीं की । रिपोर्टों के अनुसार भी उत्पादन व लाभ में वृद्धि हुई है तथा मजूरी नहीं बढ़ाई गई है ।

श्रमिकों के लगभग २५ संघों ने दूसरे वेतन आयोग की माँग की है । उन्होंने यह भी कहा है कि मजूरी में कम से कम २५ प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिये ।

[श्री अ० क० गोपालन]

तथापि हुआ यह है कि केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को भी क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उसके अनुसार जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं में २० प्रतिशत की वृद्धि होने पर मजूरी में भी ५ रुपये की वृद्धि होनी चाहिये। यह नहीं किया जा रहा है। उचित मजूरी समिति की सिफारिशों को भी क्रियान्वित नहीं किया गया है। संविधान के खंड ४१ में भी यह कहा गया है कि सरकार मजदूरों के जीवन स्तर को ऊंचा बनाये रखने का पूरा प्रयत्न करेगी। लाभ में साझेदारी समिति की इस सिफारिश को कि ५० प्रतिशत लाभ का बंटवारा होना चाहिये, क्रियान्वित नहीं किया गया है। तब भला मजदूरों को अधिक काम करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त होगी।

जहां तक मजदूरों के अधिकारों का सम्बन्ध है उन पर भी आघात किया गया है। मैं आपको एक घटना बताता हूं। एक मजदूर ने श्री व० वें० गिरि को एक पत्र दिया। उन्होंने इस पत्र का हवाला देते हुए रेलवे प्राधिकारी को एक पत्र लिखा। फलस्वरूप उसे मुअत्तिल कर दिया गया। जब एक श्रमिक को केवल इस कारण से मुअत्तिल किया जा सकता है तो मजदूरों के अधिकार ही क्या रह गये ? यह बहुत अनुचित है।

गोवा के प्रश्न के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री ने कहा है कि वे विरोधी दलों के सदस्यों से इस सम्बन्ध में परामर्श करेंगे। वस्तुतः हम बहुत समय से अपनी वार्ता करने, मनवाने इत्यादि की नीति का पालन कर रहे हैं तथापि पुर्तगाली साम्राज्यवादी इस से विचलित नहीं हुए हैं। इसलिये हमें गोवा के सम्बन्ध में कोई निश्चित योजना तैयार करनी चाहिये।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नाम निर्देशित--आंग्ल भारतीय): मैंने धन्यवाद प्रस्ताव पर एक संशोधन की सूचना दी है क्योंकि मेरे विचार से खाद्य की स्थिति असंतोषजनक ही नहीं गम्भीर भी है। यह समस्या इस समय राष्ट्रव्यापी समस्या बन गई है। अतः सदस्यों को चाहिये कि वे इस स्थिति से राजनैतिक लाभ उठाने के स्थान पर रचनात्मक सुझाव देवें। क्योंकि इससे न केवल देश की खाद्य स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा अपितु उनकी कीमतों पर भी प्रभाव पड़ेगा। जिनके ऊपर सभी वस्तुओं की कीमतें निर्भर हैं। और इन कीमतों पर ही हमारी द्वितीय योजना आधारित है। खाद्य तथा कृषि मंत्री ने कहा है वे इस सम्बन्ध में एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करेंगे। मैं आशा करता हूं कि समिति इस समस्या का व्यावहारिक हल सुझायेगी, किन्तु यदि इस समिति में केवल उच्चाधिकारी और अर्थशास्त्री ही रहगे, तो वे ऐसे सुझाव रखेंगे कि खाद्य मंत्री के समक्ष यह समस्या और भी जटिल हो जायेगी। मैं खाद्य मंत्री की इस बात से सहमत हूं कि हम गेहूं और चावल के मामले में अधिकतम उत्पादन के लक्ष्य के निकट पहुंच चुके हैं, तथापि सरकार की यह प्रवृति होती जा रही है कि वह आँकड़ों और कागजी कार्यवाही पर ही अधिक ध्यान दे रही है। यदि मैं यह कहूं कि सरकार रोटी के स्थान में आँकड़े दे रही है तो यह अनुचित नहीं होगा। तथापि मेरा यह तात्पर्य नहीं है कि आँकड़े अनावश्यक हैं। विश्वसनीय आंकड़े योजना के लिये अत्यधिक आवश्यक हैं। किन्तु क्या सरकार खाद्य सम्बन्धी इन आंकड़ों से कोई सन्तोषजनक खाद्य नीति बना सकी है। मैं वर्तमान खाद्य मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि वे भूतपूर्व खाद्य मंत्री श्री रफी अहमद की नीति अपनायें जिन्होंने एक बार कहा था कि 'आँकड़ों में आग लगा दो'। मंत्री महोदय को अधिकारियों से खस की टट्टियों के भीतर कागजी कार्यवाही से संतुष्ट न रह कर, बाहर जाकर अनुभव प्राप्त करने को कहना चाहिये। यह एक व्यावहारिक समस्या है। इसलिये हमें आँकड़ों के भ्रम में भूले हुए नहीं रहना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस समस्या के व्यावहारिक हल के लिये हमें तथ्यों पर ध्यान देना चाहिये । तथ्य यह हैं कि गेहूं और चावल के दामों में पर्याप्त वृद्धि हो गई है । खाद्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार भी प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्त तक खाद्य के मूल्यों में १५ प्रतिशत वृद्धि हो गई है किन्तु 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के अनुसार इन आँकड़ों में ३० प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

मैं चावल उत्पादन की सरकार द्वारा की गयी अन्तिम भविष्यवाणी को देख रहा था । यह २८१ लाख टन बताई गई है । १९५६-५७ के चावल उत्पादन के सम्बन्ध में सरकार की दूसरी भविष्यवाणी अन्तिम से कुछ ही पूर्व, २३९ टन बताई गई थी । इन दोनों भविष्यवाणियों में ४० लाख टन का अन्तर है, और यह मूल चावल उत्पादन के सम्बन्ध में १६ प्रतिशत की है । मेरा कहना है कि मैं तो २३९ लाख टन की भविष्यवाणी का समर्थन करूंगा, क्योंकि अन्तिम भविष्यवाणी तो केवल सदन को यह विचार देने के लिये की गयी थी कि हमारा चावल-उत्पादन चरम स्तर तक पहुंच गया है । आपके अपने आँकड़े भी अधिकृत नहीं हैं । नहीं तो यह १६ प्रतिशत का अन्तर क्यों पड़ता ? लोगों का मत भी यही है ।

आचार्य कृपलानी ने इस का विशलेषण किया है, उनका मत है कि यह तो स्थिति का प्रश्न है । मैं उनसे सहमत नहीं हूँ । यह ठीक है मूल्य बढ़ गये हैं । चीजों की कमी भी बहुत है और लोगों की क्रय-शक्ति भी कम है । अकाल भी हो जाता है, परन्तु मेरा मत है कि यह चीज स्थायी नहीं है । कीमतें अन्त में नीचे ही आयेंगी । खाद्य मंत्री महोदय ने ६ मई को एक वक्तव्य में कहा कि देश में लोग बड़ी कठिनाई से गुजारा कर रहे हैं, समझ में नहीं आता कि फिर आत्मनिर्भरता के और उत्पादन की चरम सीमा पर पहुँचने के क्या अर्थ हैं । मंत्री महोदय ने इस असन्तोषजनक स्थिति के लिये घाटे की अर्थ व्यवस्था को उत्तरदायी ठहराया है । मैं इस से पूर्णरूप से सहमत नहीं । इस मामले में हमें प्राकृतिक विपत्तियों को भी नहीं भूलना चाहिए । इस भारी कमी के युग में साठेबाजी बहुत बुरी चीज है । अर्थशास्त्र के अध्ययन ने हमें यही सिखाया है कि कीमतों का निर्धारण मांग तथा पूर्ति के सिद्धान्त के आधार पर होता है । वर्तमान कमी का कारण भी समुचित संभरण का न होना है । स्थिति जो भी है, यह तो मानना ही होगा बहुत कड़ी है, और उसका कारण समुचित संभरण का अभाव है । हम ज्यादा ज़ोर इसी बात पर देते हैं कि हमने कितना उत्पादन किया ? ५७० टन किया अथवा ५८० टन किया । कितना हमें करना चाहिए ? परन्तु इन्हीं बातों को सोचना काफ़ी नहीं है । आखिर हानि तो अन्त में जनता की है, उन्हें खाद्य सामग्री महंगे दामों पर खरीदनी पड़ती है । आखिर मंडी में तो कुल उत्पादन का तीसरा भाग ही आता है और ५८० अथवा ५९० लाख टन का तीसरा भाग केवल १९० लाख टन होता है । क्या इस से देश की गैर काश्तकार जनता को खाना मिल सकता है ? मैं कहता हूं नहीं मिल सकता ।

सरकार उत्पादन और आत्मनिर्भरता के सम्बन्ध में सब प्रकार के कारण प्रस्तुत करेगी परन्तु उससे तो गरीबों का पेट नहीं भरेगा । निश्चय ही अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी, और हमें स्थिति का प्रत्येक प्रकार से मुकाबला करना होगा । मंत्री महोदय का कहना है कि दिसम्बर तक १० लाख टन गेहूं और ५०० लाख टन चावल हमें प्राप्त हो जायेंगे । यह काफी नहीं । हमें कहीं से भी इसका प्रबन्ध करना होगा, और संचय भी करना होगा । सरकार का कहना है निर्यात नीति ठीक है, इसलिये हमारे पास काफी स्टाक होगा । यदि यह बात ठीक है तो इसका मतलब तो यह हुआ कि राज्य सरकारें अयोग्य हैं अथवा केन्द्रीय सरकार अयोग्य है ।

[श्री फ्रेंक एन्थनी]

उन्हें पता होना चाहिए था कि स्थिति ऐसी होने वाली है । मैं सरकार को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि वास्तविक कारण संभरण की कमी है और इस बात से मैं सहमत हूं कि अन्त में हम खाद्य सम्बन्धी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सफल हो जायेंगे । परन्तु, इस प्रकार की स्थिति का इलाज क्या है, ताकि आने वाले छः मास में इस प्रकार की स्थिति पुनः पैदा न हो । आपके अर्थशास्त्रियों का मत कुछ भी हो परन्तु सरकार को यह निश्चय तो करना ही होगा कि सरकार के पास कितना स्टाक सुरक्षित होना चाहिए ताकि किसी भी समय अकाल की स्थिति का मुकाबला किया जा सके ।

साठेबाज़ी का जहां तक सम्बन्ध है, कृषक तो अधिक संचय कर नहीं सकते । यह काम तो मध्यजन या विचोलिये करते हैं । उन्हीं के कारण कीमतें चढ़ती हैं । यदि उस स्थिति में सरकार २०, ३० लाख टन गेहूं मंडी में ले आया करे तो साठेबाजी का आकर्षण समाप्त हो जायेगा । कहा गया है कि बिहार में सस्ते अनाज के डिपो खाली पड़े थे । मैं इसमें सरकार का दोष नहीं मानता । दोष यह है कि हमारे पास स्टाक ही नहीं । यह कहा गया है कि हमें अनावश्यक त्रास पैदा नहीं करना चाहिए । वक्तव्यों से त्रास पैदा नहीं होता । त्रास तो उस समय पैदा होता है, जब कि लोग यह देखते हैं कि सस्ते डिपो भी खाली पड़े हैं और इसी से स्फीति बढ़ती है । स्पष्ट है कि सरकार इनको कैसे भर दे । कभी कहते हैं कि हमारे यहां उत्पादन काफ़ी होगा और कभी कहते हैं कि हमें आयात भी इतना ही करना पड़ेगा । तो यह चीज़ हमारी समझ में नहीं आती ।

कल मंत्री महोदय ने एक वक्तव्य में कहा कि एक दो राज्यों की प्रार्थना पूरी तरह स्वीकार करने में हम असमर्थ हैं । हर बार जब राज्य केन्द्र से सहायता मांगते हैं तो ऐसी बात कही जाती है । केरल सरकार सहायता मांग रही है, परन्तु सहायता तो स्टाक की उपलब्धि पर आश्रित है । स्टाक इतना है नहीं कि सब की मांग पूरी की जा सके । आधारभूत बात ही यही है । चाहे हम आंकड़े देख लें, और चाहे उत्पादन की आश्चर्यजनक योजनाओं का अध्ययन कर लें, परिणाम यही निकलेगा । देश में तो एकदम इतना अधिक पैदा हो नहीं सकता; आयात तो करना ही होगा । २०, ३० मन संचित रक्षित भी किया जाना चाहिए, ताकि जरूरत के समय साठेबाजी को रोकने के लिये मंडी में उसे फेंक दिया जाय । मैं जानता हूँ कि मेरे माननीय मित्र यह नहीं पसन्द करते, उन्हें यह बात पसन्द नहीं कि कोई यह कह दे कि हम आत्मनिर्भर नहीं । परन्तु वास्तविकता वास्तविकता ही है ।

वित्त मंत्री की आपत्ति भी उचित ही होगी कि इन आयातों के लिये रुपया कहां से आयेगा ? परन्तु ऐसी बात नहीं, हम अपने साधनों से रुपया उधार ले सकते हैं । सरकार की वर्तमान आयात नीति से इस प्रकार की स्थिति पुनः उत्पन्न हो सकती है । सरकार की इस बात के लिये उस समय तक आलोचना होती रहेगी, जब तक हम इस कमी का कोई इलाज नहीं करते । खाद्य नियन्त्रण के बिना कीमतों पर नियन्त्रण नहीं हो सकता । अनाज की कमी होगी और कीमतें चढ़ेंगी तो लोग तबाह होने लगेंगे । साम्यवादी भाई इसका लाभ उठायेंगे । दूसरे वेतन आयोग की मांग तो हो ही गयी है । कीमतों के अधिक होने से मुआवजा भी अधिक मांगा जायेगा और इस चक्र में द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीछे जा पड़ेगी । इसलिये मेरा कहना है कि यह संकट स्थिति ऐसी है जिसका प्रभाव कीमतों पर तो होगा ही परन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने वाली हमारी शक्तियां भी इससे प्रभावित हुये बिना नहीं रहेंगी ।

श्री ब० प्र० सिंह (मुंगेर) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया है कि खाद्य के विषय में देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिए अभी बहुत कुछ करना है। कल हमारे खाद्य मंत्री ने एक वक्तव्य दिया और बताया कि हमारे देश में उत्पादन की कमी नहीं है, उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन केवल बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में विशेष आपत्ति के कारण यह कमी हुई है। यह आवश्यक है कि सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे और वास्तविक स्थिति को मालूम करे। यह देखने का प्रयत्न करना चाहिए कि हम को जो सूचनायें और आंकड़े दिये जा रहे हैं, उन में कहां तक सचाई है। हमें याद है कि स्वर्गीय किदवई साहब ने कहा था कि गवर्नमेंट के आंकड़े गलत हैं और उन का सुधार कर उन्होंने इस देश में खाद्यान्नों से कंट्रोल हटाने का प्रयत्न किया था। इस अवस्था में मैं समझता हूं कि सरकार की ओर से मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है, वह पूरे का पूरा विश्वास के लायक नहीं है। गवर्नमेंट को यह देखना चाहिए कि इस में कहां पर छिद्र है और क्या कारण है कि हमारे देश में अन्न का अभाव न होते हुए भी अन्न-संकट की आशंका हो रही है।

कहा जाता है कि प्रथम पंच वर्षीय योजना के दौरान उत्पादन में १८ प्रतिशत की वृद्धि हुई। साथ ही साथ हम यह भी उम्मीद करते हैं कि दूसरी पंच-वर्षीय योजना में ४० प्रतिशत की वृद्धि होगी। राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार को २५ प्रतिशत वृद्धि करने का विश्वास दिलाया है। १९५५ में प्लैनिंग कमीशन (योजना आयोग) ने राज्य सरकारों को लिखा है कि वे अपने अपने राज्य में उत्पादन में दुगनी वृद्धि करें। इन सब प्रयत्नों के बावजूद आज देश में जो परिस्थिति है, वह बड़ी भयानक और विचारणीय है। हम समझते हैं कि जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं, वे पूरी दिलचस्पी से काम नहीं कर रहे हैं। हमारे देश के सामने सब से बड़ी समस्या खाद्य की है और मैं समझता हूं कि हमारी सरकार चलाने वाले लोग, हमारे कार्यकर्ता और सरकारी कर्मचारी यदि पूरी दिलचस्पी और सहयोग से काम करें, तो कोई कारण नहीं कि हम इस समस्या का हल न निकाल सकें। जैसा कि मैं ने अभी कहा है, मालूम होता है कि हमारे आंकड़े गलत हैं और इसलिए इस तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। हमें देखना चाहिये कि कहीं हमारे उत्पादन में कमी तो नहीं हो रही है और अगर हो रही है, तो हमें उस के कारणों के विषय में गहरा चिन्तन करना चाहिए।

योजना आयोग ने प्लैन में एग्रीकल्चर (कृषि) को जो स्थान दिया है और जो उस की योजना बनाई है, उस को देखने से मालूम होता है कि आयोग के सदस्य देश की परिस्थिति को वास्तविक रूप से समझने में असमर्थ रहे हैं। उन्होंने निश्चय किया है कि फैमिली होल्डिंग (परिवार के लिये जमीन) पांच एकड़ की होनी चाहिए और सीलिंग (अधिकतम सीमा) "थ्री टाइम्ज आफ दि फैमिली होल्डिंग" (परिवार के लिये नियत जमीन का तिगुना) होनी चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में एक एकड़ में औसतन केवल चालीस रुपए नैट सेविंग (नकद-बचत) है। इस के मुकाबले में सैंट्रल पे कमीशन ने सिफारिश की है कि सरकारी कर्मचारियों का मैक्सिमम (अधिकतम) वेतन तीन हजार रुपया मासिक हो। इसी प्रकार शहर के लोगों की वार्षिक आमदनी ३०,००० रुपए और देहात के लोगों की ३,६०० रुपए है। आज सब ओर से आर्थिक समता और समाजवाद और सोशलिस्टिक पैटर्न की बात कही जाती है। लेकिन यह आर्थिक विषमता देख कर किसानों में बड़ी शंका पैदा होती है और उन में कोई उत्साह नहीं रह जाता है। परिणाम यह होता है कि वे लोग जमीन का पूरा पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं और पैदावार में जो वृद्धि हो सकती है, वह नहीं होती है। अगर किसानों को यह विश्वास हो जाय कि पैदावार के बढ़ने से उन को भी लाभ पहुंचेगा, तो वे पूरी दिलचस्पी और उत्साह के साथ काम करेंगे। आज प्लैनिंग कमीशन में किताब पढ़ने वाले लोग ज्यादा हैं और वस्तुस्थिति का ध्यान रखने वाले कम हैं। उन को देखना चाहिए कि दूसरे देशों में जमीन और उत्पादन

[श्री ब० प्र० सिंह]

की समस्या को किस प्रकार हल किया गया है और किस प्रकार पैदावार को बढ़ाया गया है। इस सम्बन्ध में एक स्टैन्डर्ड आफ कल्टीवेशन (कृषि का स्तर) फिक्स (नियत) कर दिया जाय और अगर कोई उतना पैदा न कर सके, तो मुआवजा दे कर उस जमीन को कानफिस्केट कर लिया जाय। अगर यह तय कर दिया जाय, तो किसान ज्यादा से ज्यादा पैदा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसी कोई योजना देखने में नहीं आती है। गत वर्ष हम ने योजना मंत्री से निवेदन किया था कि एक स्टैन्डर्ड आफ लिविंग (निर्वाह-स्तर) फिक्स करना चाहिए और जब तक ऐसा न किया जायगा, तब तक न तो देश में समानता का भाव आ सकता है और न बेकारी की समस्या ही हल हो सकती है। मंत्री महोदय ने विश्वास दिलाया था कि यह बात उन के विचाराधीन है और वह ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आज तक इस विषय में कोई प्रगति नहीं हुई है। इन बातों को दृष्टि में रख कर हमारा कहना यह है कि इस देश में ८० प्रतिशत किसान हैं और किसानों को आप ऊपर उठाना चाहते हैं, लेकिन आप का एक भी कार्य ऐसा नहीं है, जिससे कि किसानों में आप के प्रति विश्वास पैदा हो। आप जब आर्थिक समता की बात करते हैं, तो आप केवल किसानों में ही समता की बात सोचते हैं। दूसरे वर्गों की तरफ, जिन के पास बड़ी बड़ी धन-राशि है, आप का जरा भी ख्याल नहीं जाता है। प्रति-व्यक्ति आय-पर कैपिटा इनकम—२८१ रुपए है, लेकिन पूर्वी भारत में एक किसान की ज्यादा से ज्यादा आय ११० रुपए है। आप आर्थिक समता और समाजवाद की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पास किसानों की आय बढ़ाने की कोई योजना है। आज किसानों की आर्थिक स्थिति कैसी है इस ओर आप विचार नहीं करते हैं और न आपको इसका अनुमान है। आज आपने जो टैनेंसी लाज (काश्तकारी अधिनियम) बना रखे हैं वे किसानों को तबाह करते जा रहे हैं। आज आप किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए मनीलैंडर्स एक्ट बनाते हैं लेकिन आप उसको व्यवहार में लाने के उपाय नहीं सोचते। इसके बारे में भी अपके पास कोई योजना नहीं है। आज किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपने खेतों के लिए बढ़िया खाद खरीद सके और पैदावार को बढ़ा सके। आज किसानों के पास इतना पैसा नहीं है कि वह बढ़िया बैल खरीद सकें और उनकी सहायता से अच्छी तरह से खेती कर सकें। आज किसानों को उनकी जमीन के ऊपर कोई कर्ज़ देने वाला नहीं है। आज देश के अन्दर लैंड मार्टगेज बैंक्स नहीं हैं जहां से किसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज ले सकें। यदि ये सुविधायें उसको प्रदान की जायें तो वह निश्चय ही उत्पादन में वृद्धि कर सकता है। मैं चाहता हूं कि आप इस तरह की कोई योजना बनायें। आज किसी भी राज्य सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। राज्यों में जो हमारे मंत्रीगण हैं वे तो इन सब चीजों को करने के लिए व्यग्र हैं लेकिन जो बड़े बड़े अफसर हैं और जो लालफीताशाही वहां चलती है वे उनको कोई काम नहीं करने देती हैं। वे लालफीताशाही में बंधे रहते हैं। इस तरह से कोई काम आगे नहीं बढ़ सका है और न आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। आज आपको सब से पहली बात जो करनी चाहिये वह यह है कि किसानों के अन्दर उत्साह का संचार आप करें। साथ ही साथ उसका जो जीवन स्तर है उसको ऊंचा उठाने का भी प्रयत्न आपको करना चाहिए। आज आपने लोगों के जीवनमान का कोई खुलासा नहीं बनाया है, इसके बारे में आपने कोई निश्चय नहीं किया है और आप यह कहे जा रहे हैं कि आप किसानों का स्टैंडर्ड आफ लिविंग ऊपर उठाना चाहते हैं, देशवासियों का स्टैंडर्ड आफ लिविंग बढ़ाना चाहते हैं। इसको ऊंचा उठाने के लिए जब आपके पास कोई योजना नहीं है, कोई खुलासा नहीं है तो हमारे दिल के अन्दर शंका उत्पन्न होती है कि आप ऐसा कर सकेंगे। आप इस चीज का आज अंदाजा नहीं कर सकते हैं कि सर्वसाधारण के जीवनमान में तथा बड़े बड़े सरकारी कर्मचारियों के

जीवनमान में, पूंजिपतियों के जीवनमान में तथा राज चलाने वाले जो मिनिस्टर लोग हैं उनके जीवनमान में कितना अन्तर आ गया है। किसी भी देश में जीवनमान में अन्तर १ : ६ से ज्यादा नहीं है लेकिन हमारे देश में यह १ : १०० का है। मैं चाहूंगा कि सरकार सब से पहले इस जीवनमान को स्थिर करे और उसको हासिल करने का यत्न करे। किस अनुपात को अपनाया जाए, इसका निर्णय पहले हो जाना चाहिए। यदि आप इसको फिक्स कर देंगे और तब किसानों की हालत को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके लिए बहुत कुछ करने को अभी बाकी पड़ा है। ऐसा यदि आपने किया तो मैं समझता हूं कि किसानों के अन्दर नये उत्साह का संचार होगा।

आज आप माइनर इरिगेशन (छोटी सिंचाई योजना) के लिए कितना ही रुपया खर्च करने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस सब पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है। आज माइनर इरिगेशन के सम्बन्ध में आपने बांध इत्यादि बनाने की योजनायें बनाई हैं। यह सब तो बरसात के पानी पर निर्भर करता है। आपने कुएं खोदने की योजना बनाई है। उनके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि यदि ४ इंच डायामीटर के स्टैन्डर्ड को अपनाकर यदि आप बोरिंग (खुदाई) करें तो ही ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन आज आपके कुएं वैसे ही पड़े हुए हैं और उनका कुछ भी उपयोग नहीं हो रहा है। एन० ई० एस० ब्लाक्स को तथा कम्युनिटी डिवेलेपमेंट ब्लाक्स (सामुदायिक विकास खंडों) को मैंने देखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक एन० ई० एस० ब्लाक के लिए कितना पैसा निर्धारित किया जाता है तथा उसमें से कितना पैसा डिवेलेपमेंट में खर्च किया जाता है। जहां से मैं आया हूं वहां के अधिकारियों से मैंने पूछा कि एन० ई० एस० ब्लाक का बजट कितने का है। उसने उत्तर दिया कि चार लाख का है। मैंने फिर पूछा कि विकास कार्यों पर कितना खर्च किया जाएगा। उसने उत्तर दिया कि दो लाख। बाकी का जो दो लाख है मकानात पर, एस्टेबलिस्मेंट (कर्मचारियों आदि) पर तथा इसी तरह के दूसरे कामों पर खर्च किया जाएगा। तो आपको इन सब चीजों की तरफ गहराई से विचार करना होगा। बहुत ज्यादा रुपया खर्च कर देने से तथा सरकारी कर्मचारियों की संख्या बढ़ा देने से उत्पादन नहीं बढ़ सकता है। आपको वही कार्य करना चाहिए जिस से कि किसान को लाभ हो, साधारण जनता को लाभ हो। आपके अपने ही विशेषज्ञों का कहना है कि जितना पैदा होता है, यदि प्रयत्न किया जाए तो उससे पांच गुना पैदावार बढ़ सकती है। जब इतनी शक्ति हमारे पास है तो क्या कारण है कि उस शक्ति का हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं और बाह्य आडम्बर तथा लालफीताशाही के फेर में फंसे हुए हैं। आपको ऐसे ही कार्य करने चाहियें जिनसे वास्तविक रूप में खाद्य समस्या हल हो सके। अभी तक हम खाद्य समस्या का समाधान नहीं कर सके हैं। आज हम सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की बात करते हैं, बेकारी को दूर करने की बात करते हैं परन्तु आज तक हमारी सरकार हमारा जीवनमान भी स्थिर नहीं कर सकी है। हमारे स्टैंडर्ड आफ लिविंग को किस अनुपात में फिक्स किया जाए, इसका निर्णय नहीं कर सकी है। आपने जहां पर भी इसे फिक्स करना है वहां पर कर दीजिये। इसको फिक्स न करने में, मैं समझता हूं, सरकारी कर्मचारियों का बहुत बड़ा हाथ है। इसके फिक्स हो जाने से आज जो तीन तीन और चार चार हजार रुपया बतौर वेतन के दिया जा रहा है वह बन्द हो जायगा। आज हमारे नेताओं के वेतन और भत्ते भी बहुत बढ़े चढ़े हुए हैं और वे भी कम हो जायेंगे। बिहार में एक व्यक्ति की औसत आय १० रुपया महीना है और दस रुपया भी नहीं है बल्कि ६८ रुपये ९ आने सालाना है। तो वास्तव में यदि आप खाद्य समस्या को हल करना चाहते हैं, लोगों की आर्थिक स्थिति को अच्छा करना चाहते हैं तो आपको इस सारे मसले पर गहराई से गौर करना होगा। यदि आप गहराई से विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्लानिंग कमिशन में जितने भी लोग हैं उनमें से शायद एक भी ऐसा नहीं है जिसको कि किसानों का कोई भी तजुरबा हो। जहां आप ३६० रुपया वार्षिक आय की बात किसानों के लिए सोचते हैं

[श्री ब० प्र० सिंह]

वहां आप को इस पर भी विचार करना चाहिए कि सैंट्रल पे कमिशन (केन्द्रीय वेतन आयोग) के अनुसार जो तीन तीन और चार चार हजार रुपया मासिक वेतन पाते हैं उनका क्या किया जाए। किसानों को सूखा और बाढ़ इत्यादि से जो नुकसान हो जाता है, उसका आपको ध्यान ही नहीं है। शहरों में रहने वाले लोगों की आमदनी के बारे में आप ३०,००० तक की छूट देते हैं जब कि किसानों को ३०० तक की छूट देते हैं। ऐसी हालत में आप कैसे यह उम्मीद कर सकते हैं कि वे लोग उत्पादन को बढ़ावें। किसानों को शंका है कि आज उनकी बात बड़े लोगों तक नहीं पहुंचती है। हमारे शासकों के पास पूंजिपतियों या दूसरे बड़े लोगों की आवाज पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है लेकिन किसानों की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान उनकी अवस्था को सुधारने की ओर भी जाए।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह शिक्षा के सम्बन्ध में है। पूज्य बापू ने बुनियादी तालीम पर जोर दिया था। लेकिन आप आज तक शिक्षा के सम्बन्ध में एकरूपता स्थापित नहीं कर पाए हैं। आज आप यूनिवर्सिटियों पर यूनिवर्सिटियां खोलते जा रहे हैं, अरबन यूनिवर्सिटियां खोलते जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एकरूपता लाने के लिए आपको इन यूनिवर्सिटियों को रूरलाइज करना चाहिए, तब आपका काम सुचारू रूप से चल सकेगा। आप को संविधान के अनुसार सात वर्ष के अन्दर स्कलों में जाने वाले ६ से १४ वर्ष तक के लड़कों के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में आप केवल ६ से ११ वर्ष तक की आयु वाले बालकों के लिए ही प्रबन्ध करने जा रहे हैं और ११ से १४ वर्ष तक के बच्चों के लिए तो आपने केवल १७ प्रतिशत की बात कही है। आप बड़े बड़े विश्वविद्यालय खोलत जा रहे हैं लेकिन जो न्यूनतम शिक्षा किसानों को दी जानी है उसकी ओर आपका कोई ध्यान ही नहीं है। आज जो देश के लिए खाद्य पदार्थ पैदा करता है उसकी हालत सुधारने के लिए आपके पास कोई भी प्रोग्राम नहीं है और आप उसके अन्दर आकर्षण पैदा नहीं कर पा रहे हैं, उसके अन्दर उत्साह का संचार नहीं कर पा र हैं। आज आप लो कास्ट हाउसिंग (कम खर्च पर मकान बनाना) की स्कीम बनाते हैं लेकिन किस के लिए। आप इसे इंडस्ट्रियल लेबर के लिए बनाते हैं, अपने कर्मचारियों के लिए बनाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आपने किसानों के लिए भी कहीं पर कोई हाउसिंग (गृह-व्यवस्था) की योजना बनाई है या इस नाम की कोई दूसरी योजना बनाई है। आज आपके सामने खाद्य की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो चुकी है और आप इसका रोना रोते रहते हैं लेकिन इसको हल करने के लिए कोई गम्भीर सोच विचार के बाद योजना नहीं बनाते हैं, किसानों की आर्थिक दशा सुधारने का प्रयत्न नहीं करते हैं, उसमें उत्साह का संचार करने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं समझता हूं कि इस समस्या को बहुत थोड़े प्रयत्न के साथ हल किया जा सकता है। आप आज फारन एक्सचेंज (विदेशी विनिमय) का भी रोना रोते हैं। दूसरे देशों से भी आप गल्ला मंगा रहे हैं। आप यह भी सोचते हैं कि किस तरह से इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि आप निश्चय कर लें कि हम गल्ला इम्पोर्ट नहीं करेंगे और अपनी जरूरतों के मुताबिक अपने देश में ही पैदा करेंगे। यदि हम पैदा नहीं कर सकते हैं तो हमें अपने जीवन को ऐसा व्यावहारिक जीवन बनाना चाहिए कि जितना गल्ला पैदा होता है उस गल्ले से ही आज हम अपना काम चला ले।

आज जो बहुत बड़ा हिस्सा किसानों का है उसके बारे में आपको सोचना होगा। आज जो टेनैंसी लाज आपन बनाये हैं, उन पर आपको पुनः विचार करना होगा। उनको शिक्षा देने का प्रयत्न करना होगा। जब तक जमींदारी प्रथा इस देश में थी तब तक तो पार्ट होल्डिग की नीलामी करने की व्यवस्था थी। लेकिन आज जब आपने इस प्रथा को समाप्त कर दिया है तो आप सर्टिफिकेट जा ी करते

हैं और उसके बदले में उसकी चल सम्पत्ति को कुर्क करते हैं। उसका अनाज निकाल लेते हैं। तो मैं कहता हूं कि फैजपुर तथा हरीपुर के किसानों के साथ कांग्रेस ने जो वादा किया था उसकी पूर्ति नहीं की गई है। जितने भी वादे आपने किसानों से किए थे उनको आज आप भूल गए हैं। आपने जो प्रतिज्ञायें किसानों के साथ की हैं उनकी पूर्ति कीजिए और देश के अन्दर ऐसा वातावरण पैदा कीजिए कि किसानों में आपके प्रति विश्वास की भावना पैदा हो और आप एक स्टैन्डर्ड आफ कलटिवेशन फिक्स कर के देश का धन धान्य बढ़ायें। हमारे पूज्य नेहरू जी ने बहुत बार कहा है कि हम कोई काम ऐसा नहीं करना चाहते जिससे देश के उत्पादन में कमी हो और हम तो अपने देश का खाद्य उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यह दुर्भाग्य का विषय है कि आज उसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है। मैं आपके जरिए सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि खाद्य समस्या जो भारत सरकार हल करना चाहती है वह किसानों की उन सारी आवयश्कताओं की पूर्ति करके और किसानों में अपने प्रति विश्वास पैदा करके ही यह समस्या हल हो सकती है अन्यथा यह हल होने वाली नहीं है।

†**सभापति महोदय** : धन्यवाद प्रस्ताव पर निम्न संशोधन और प्रस्तुत हुए हैं :—

संशोधन संख्या	प्रस्तावक का नाम	संक्षिप्त विषय
१५	श्री प्र० गं० देव . .	खाद्य स्थिति का हल करने में सरकार की असफलता।
१७	श्री प्र० के० देव . .	सामुदायिक विकास राष्ट्रीय विस्तार सेवा में असन्तोष-जनक प्रगति।
१८	श्री० प्र० के० देव	प्रमुख बांधों पर हो रहे अपव्यय को रोकने में सरकार की असफलता।
१९	श्री मुहम्मद इमाम . .	सरकार द्वारा आर्थिक तथा खाद्य सम्बन्धी मामलों में जनता को कोई आश्वासन नहीं दिया जाना।
३८	श्री जाधव . . .	संयुक्त महाराष्ट्र और महागुजरात का न बनाया जाना।
६७	श्री प्र० के० देव . .	सरायकेला और खर्सवान का उड़ीसा में न मिलाया जाना।
७६	श्री नारायणन् कुट्टि मेनन	देश में सामान्यतः और केरल में विशेषतः बेकारी दूर करने के उल्लेख का अभाव।
७७	श्री नारायणन् कुट्टि मेंनन	श्रमिकों के वेतन में वृद्धि की आवश्यकता सम्बन्धी उल्लेख का अभाव।

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय** : यह संशोधन सदन के समक्ष प्रस्तुत है ।

†**श्री अ० सि० सरहदी** (लुधियाना) : सभापति महोदय, आने वाले कुछ वर्ष भारत के इतिहास में बड़े महत्वपूर्ण हैं और इस दृष्टि से यदि हम राष्ट्रपति के अभिभाषण को देखें तो उनके प्रति आभार प्रदर्शन की भावना स्वतः उत्पन्न हो जाती है । आन्तरिक तौर पर से राष्ट्र का आर्थिक भविष्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर आश्रित है । मैं हैरान हूं कि योजना का श्रेय लेने पर कई सज्जन कांग्रेस का मजाक उड़ाते हैं । कांग्रेस को उसका श्रेय लेने का पूरा अधिकार है । यह प्रसन्नता की बात है कि इस सदन में योजना पर किसी भी क्षेत्र से कोई समालोचना नहीं हुई । उसके कार्यान्वित होने पर कुछ बातें अवश्य कही गयी हैं । आलोचना का मुख्य विषय कीमतों का चढ़ना ही रहा है । यह ठीक है कि कीमतें बढ़ी हैं, परन्तु हमें उत्पादकों और किसानों के हितों का भी ध्यान रखना पड़ता है ।

योजना आयोग का सुझाव था कि ४० प्रतिशत उत्पादन वृद्धि के साथ साथ २० प्रतिशत कीमतें कम होनी चाहिएं । इसी दृष्टि से ही हमें इस समस्या पर विचार करना चाहिए । इस से लोगों में त्रास नहीं होना चाहिए । इस उद्देश्य के लिये सरकार उच्च शक्ति समिति की स्थापना कर रही है । हमें उत्पादकों और कृषकों के हितों का ध्यान रखना है । प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस ओर काफी ध्यान दिया गया, परन्तु द्वितीय योजना में इस ओर इतना ध्यान नहीं दिया गया । १६५६ में कृषि मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुये खाद्य तथा कृषि मंत्री ने इसे स्वीकार भी किया है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषकों और उत्पादकों की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया । पंजाब में ६५ प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आश्रित है और ८१ प्रतिशत लोग ग्रामों में रहते हैं । इस परिस्थिति में मेरा कहना है कि बड़े उद्योगों तथा अन्य उद्योगों को इस प्रकार बांटा जाना चाहिए कि कोई भी राज्य उद्योगीकरण के बिना न रह जाये । मुझे विश्वास है कि इस मामले में पंजाब की कमी को पूरा कर दिया जायेगा ।

अभिभाषण की दूसरी मुख्य बात की चर्चा करते हुए मैं कहूंगा कि देश को शक्तिशाली और सुसंगठित रखने के लिये सभी वर्गों में एकता की भावना पैदा करनी आवश्यक है । इस दृष्टि से सरकार पंजाब की समस्या को हल करने के कारण बधाई की पात्र है । किसी सदस्य ने कहा था कि पंजाब में भाषा के सम्बन्ध में कुछ गड़बड़ है । परन्तु यह बिल्कुल निराधार है । मैं सदन को बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं और यह समस्या एकदम हल हो चुकी है । मुझे दुःख है कि एक माननीय सदस्य ने एक संशोधन द्वारा इस मामले को पुनः प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है । मेरे विचार में यह खतरनाक होगा । इससे पुराने मतभेद जाग उठेंगे । मेरी प्रार्थना है कि हल हुये मामलों को पुनः नहीं छेड़ा जाना चाहिए ।

पंजाब उद्योगीकरण में अपने उचित हिस्से की हमेशा आशा लगाये रहता है । मुझे प्रसन्नता है कि साम्यवादी दल के नेता की भी यह राय है कि निजी क्षेत्र रहने चाहिएं । परन्तु हमें लोकतंत्रीय युग में अपनी अर्थ व्यवस्था का आधार समाजवाद ही बनाना होगा । मंत्री महोदय का कहना है कि साट्टे बाजी के लिये भूमिदार और सट्टेबाज उत्तरदायी हैं । मेरा कहना है कि इसके लिये सट्टेबाज और व्यापारी ही जिम्मेदार हैं । पंजाब के संबंध में तो मैं कह सकता हूं कि वहां भूमिदार समाप्त हो गये । किसी के पास सात आठ एकड़ से अधिक भूमि नहीं । मेरा विचार तो यह है कि मध्यजनों को हटा देना चाहिए, कृषक और उपभोक्ता में सीधा सम्पर्क हो जाना चाहिए । सहकारी समितियां बना कर उसमें दोनों तरह के लोगों को लेकर वितरण का कार्य किया जाना चाहिए । पूंजीवाद का युग चला गया अब निजी क्षेत्र को भी जितना हो सके सीमित किया जाना चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कल किसी वक्ता की यह बात सुनकर बड़ा मनोरंजन हुआ कि हमारे देश को चीन और रूस से सैनिक गठबंधन करना चाहिए। देश के हित के लिये हमारी पंचवर्षीय योजना का सफल होना बड़ा आवश्यक है, और उसके लिये संसार में शांति होना आवश्यक है। इसलिए शांति, और सैनिक गठबन्धनों के विरोध पर आधारित हमारी विदेश नीति ही ठीक नीति है। सैनिक गठबन्धनों से युद्ध का खतरा बढ़ता है। इस संबंध में भारत अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महान कर्त्तव्य का पालन कर रहा है। हमारी तटस्थ नीति अकर्मण्यता और अलग अलग रहने की द्योतक नहीं है। इसकी कर्मण्यता यह है कि शांति के लिये इसने हमेशा प्रयत्न किया है, और उसके लिये अब भी तत्पर है। हिन्द चीन, कोरिया इत्यादि में युद्ध को रोकने का हमने प्रयत्न किया है और आगे करते रहेंगे। भारत का भविष्य उज्जवल है, केवल सहयोग और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है। इसी बात पर राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में बल दिया है।

†**स्वामी रामानन्द तीर्थ** (औरंगाबाद) : श्रीमान्, हाल ही में हुए आम चुनावों के बाद हमने अपने लोकतंत्रात्मक और संसदीय जीवन का दूसरा दौर शुरू किया है। यह स्वाभाविक है कि हम इसमें नये प्रयोग करेंगे।

केरल में एक नया प्रयोग किया जा रहा है। हमारा यह विश्वास है कि लोकतंत्रात्मक विरोध लोकतंत्र के संचालन के लिये नितान्त आवश्यक है। इसलिये यदि केरल के वर्तमान शासक अपने वादों को भूलते नहीं हैं तो और वे लोकतंत्रात्मक तरीकों को छोड़ेंगे नहीं तो कोई कारण नहीं कि वे असफल रहें। मैं उनकी सफलता के लिये कामना करता हूं।

राष्ट्रपति ने अपने भाषण में यह ठीक कहा है कि परिमाणु-अस्त्रों के परिसीमन से शीत युद्ध की मनोवृत्ति को नहीं रोका जा सकता। मैं नहीं जानता कि रूस परिमाणु विस्फोटों को रोकने के लिये अमरीका और ब्रिटेन से क्यों अपील कर रहा है ?

मेरी समझ में नहीं आता कि रूस इंगलैंड और अमरीका की सद्भावना पर क्यों निर्भर करता है ? वह क्यों अपनी ओर से विस्फोट प्रयोग बन्द कर के अमरीका और इंगलैंड के लिए उदाहरण पैदा नहीं करता ?

राष्ट्रपति ने सच्चे ढंग में जारिंग मिशन का उल्लेख किया है। इस मिशन से हमें बड़ा लाभ यह हुआ है कि अब सुरक्षा परिषद् और संयुक्त राष्ट्र संघ को इस समस्या के बारे में नया दृष्टिकोण अपनाना होगा और उन्हें यह अनुभव होगा कि स्थिति अब बदल चुकी है। भारत की स्थिति अब काफी स्पष्ट है और इस के लिए यह सभा भारत सरकार की सराहना करती है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना और खाद्य स्थिति के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। मैं समझता हूं कि जो आंकड़े हमारे समक्ष रखे गये हैं उन से कोई सहायता नहीं मिलेगी। मुझे भय है कि जून और जुलाई में बहुत भाव बढ़ जाएंगे। प्रदायों के अभाव के कारण जो स्थिति पैदा होने वाली है मैं उस के बारे में पहले से चेतावनी देना चाहता हूं।

रेलवे मंत्री की प्रस्थापनाओं से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २०० करोड़ की वृद्धि हो रही है। परन्तु इस योजना में एक कमी है। वह यह है कि हमारे पास टेकनिकल कर्मचारी (प्राविधिज्ञ) नहीं हैं। एक और भी कठिनाई इस में है। इस सम्बन्ध में मेरे विचार स्पष्ट हैं और मैं यह पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ कह रहा हूं कि प्रशासनिक तंत्र में दक्षता और शीघ्र कार्य करने की प्रवृत्ति की कमी है। मैं ने कुछ भागों का दौरा किया है और अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूं कि योजना के प्रवर्तन के दो वर्ष

†मूल अंग्रेजी में

[स्वामी रामानन्द तीर्थ]

पश्चात् भी निधि उन लोगों तक नहीं पहुंची जो उपक्रम कर रहे हैं। अतः यदि सरकार प्रशासन को सुधारे तो अच्छा होगा।

जो उत्तरदायी लोग देश में प्रभावी और सशक्त लोकतंत्र के प्रवर्तन की कामना करते हैं उन्होंने कहा है कि निर्वाचन के ढंग में मूल और क्रांतिपूर्ण परिवर्तन करना चाहिये। इस सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न महान सदन में पहुंचने का अधिकार केवल थोड़े से उन लोगों को नहीं होना चाहिये जिन के पास पैसा है। अतः मेरा निवेदन है कि यह सभा अपनी पांच वर्ष की कालावधि में ऐसे ढंग और साधन बनाए जिनसे ग्राम पंचायतों में वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन हों और उस से ऊपर की संस्थाओं में अप्रत्यक्ष निर्वाचन हों हो सकता है कि मेरी इस प्रस्थापना में कुछ त्रुटियां भी हों परन्तु उन्हें दूर करना होगा और वे इतनी बड़ी नहीं जितनी कि आज के निर्वाचन ढंग में पाई जाती। इस के लिए ग्राम पंचायत को अधिक अधिकार अधिक उत्तरदायित्व और अधिक साधन देने होंगे। मैं केवल इसी प्रणाली पर अधिक बल नहीं देता। किसी और ढंग पर भी विचार किया जा सकता है।

बम्बई के बारे में मैं अपने विचार बाहर की अपेक्षा इस सदन में ही व्यक्त करना चाहता था। सभा ने कुछ महीने इस पर वाद विवाद और विचार कर के ही वर्तमान बम्बई राज्य के सम्बन्ध में अपना निर्णय दिया था। मैंने इस महान सभा के लोकतंत्रात्मक निर्णय को स्वीकार किया और उसे कार्यान्वित करने के लिए अपनी योग्यता के अनुसार भरसक प्रयत्न किया।

परन्तु इस परिस्थिति के प्रभाव की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बम्बई राज्य के कतिपय भागों में निर्वाचनों के परिणामों की यह कह कर उपेक्षा करना कि वह केवल आवेश का परिणाम है गलत होगा। वस्तुतः यह उन लोगों की आंतरिक भावना है और उसे संतुष्ट करने के लिए कुछ साधन ढूंढने के हेतु गंभीर विचार की आवश्यकता है। दूसरी ओर बैठे हुए सदस्यों ने पदत्याग, सत्याग्रह और कर न देने के आन्दोलन की जो बातें की हैं वह इस सभा को विश्वास दिलाने के लिए अच्छा ढंग नहीं है। मैं भी एक भाषीय राज्य के पक्ष में हूं, परन्तु किसी को भी सभा के सामूहिक विवेक का विरोध नहीं करना चाहिये। इसके साथ ही मैं विनय और सद्भाव से निवेदन करता हूं कि उस प्रदेश के लोगों की भावना का सम्मान करना चाहिये और बम्बई राज्य सम्बन्धी निर्णय का पुनरीक्षण करना चाहिये।

श्री सं० कु० बनर्जी (कूच बिहार) : पश्चिमी बंगाल के चाय उत्पादक क्षेत्रों के प्रतिनिधि के नाते मैं यह अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि देश के विशाल हित के हेतु सभा का ध्यान उन बड़ी बड़ी समस्याओं की ओर दिलाऊं जो इस उद्योग में पैदा हो गई हैं।

मैं करों आदि में कमी या मजूरी में कमी के बारे में नहीं कहना चाहता। वस्तुतः साधारण चाय का मूल्य उत्पादन लागत से कम है। विश्व में चाय के संभरण की कमी को लंका और अफ्रीका ने पूरा कर दिया है और वे प्रदेश अब साधारण चाय में भारत के प्रतिस्पर्धी हैं।

उत्तर पूर्व भारत के ५२०० लाख पाउंड चाय के उत्पादन में से आधी साधारण चाय है। अफ्रीका साधारण चाय कम मूल्य पर दे सकता है क्योंकि उस पर निर्यात शुल्क नहीं लगता। अतः उत्तर पूर्व भारत के चाय उत्पादकों को उनका मुकाबला करना पड़ता है। उन्होंने अति उत्पादन को रोकने के लिए गत वर्ष २५० लाख पाउंड का उत्पादन कम किया था। इस वर्ष फिर यही खतरा है कि विश्व का साधारण चाय का उत्पादन मांग से बढ़ जाएगा। उत्पादन घटाने से समस्या हल नहीं

---

†मूल अंग्रेजी में

होती क्योंकि भारत सरकार की नीति उत्पादन बढ़ाने की है। वहां अच्छी चाय का उत्पादन नहीं हो सकता क्योंकि उस के लिए विशेष स्थान, जलवायु, और मिट्टी की आवश्यकता है। यदि इन उत्पादकों को हानि हुई तो सरकार को करों की हानि होगी, श्रमिक लाभ से वंचित होंगे और अन्य लोगों के हितों को भी हानि पहुंचेगी। मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि देश के उपभोग के लिए जो केवल एक तिहाई चाय रखी जाती उसे बढ़ा दिया जाए और साधारण चाय का मूल्य उत्पादन लागत से अधिक वसूल किया जाए।

अन्त में अत्यन्त महत्व की बात यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार को पुनः स्थापित करने के प्रयत्न में कोई कसर उठा नहीं रखनी चाहिये ताकि मुख्य उत्पादक देशों के निर्यात पर नियंत्रण किया जा सके।

†**श्री भरूचा** (पूर्व खानदेश) : मैं आभारी हूं कि आखिर मुझे भी बोलने के लिए कहा गया है। मैं ठीक पन्द्रह मिनट लूंगा क्योंकि मैं देखता हूं कि जो लोग सभापति के दयाभाव का अनुचित लाभ उठा रहे हैं वे दूसरे सदस्यों को बोलने के अवसर से वंचित कर रहे हैं।

†**सभापति महोदय** : यदि माननीय सदस्य इस बात की ओर ध्यान दें कि कितने सदस्य बोल चुके हैं और वे किन किन दलों के हैं तो उन्हें स्थिति समझ में आ जाएगी। दलों के सदस्यों को अनुपात के अनुसार बोलने की अनुमति दी जाती है। अंततः उन्हें पता लग जाएगा कि किसी दल के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया गया।

†**श्री भरूचा** : मैं संशोधन संख्या ३१ से ३५ के सम्बन्ध में बोलना चाहता हूं।

हम जो लोग संयुक्त महाराष्ट्र के टिकट पर निर्वाचित हुए थे यह अनुभव करते हैं कि एक भाषीय राज्य के जिस सिद्धांत को तेरह राज्यों के सम्बन्ध में स्वीकार किया गया है उसे महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में अस्वीकार कर के अन्याय किया गया है। हमें कहा गया है कि ऐसा देश हित के लिए किया गया है परन्तु यह किसी ने नहीं बताया कि इस से देश के किस हित की रक्षा हो रही है। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि यह केवल भावुकता नहीं है जो शीघ्र समाप्त हो जाएगी, वरन् उस प्रदेश के लिए यह एक विचारधारा बन गई है। यही कारण है कि मैं यद्यपि महाराष्ट्रीय नहीं हूं तो भी मैं ने केवल ३५ दिन के चुनाव आंदोलन से भूतपूर्व विधि मंत्री को हराया है।

यह कहना व्यर्थ है कि सभा ने एक बार जो निर्णय दे दिया है उसे नहीं बदला जा सकता। लोकतंत्र में विरोधी को अधिकार होता है कि वह अपने विपक्षियों को किसी बात पर मना सकें। और फिर इस मामले में तो सरकार पहले भी चार बार अपने निर्णय को बदल चुकी है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि केन्द्र को इस पर ८३१ करोड़ रुपये व्यय करने हैं जिसमें से १०० करोड़ बाजार ऋण से, ८० करोड़ छोटी बचतों से, १३५ करोड़ विदेशी सहायता से और विविध ऋण तथा विनियमों से १५१ करोड़ रुपया मिलेगा। इस का यह अभिप्राय हुआ कि ३६५ करोड़ रुपये का घाटा रहेगा जो कि स्वेज नहर के बंद होने और योजना के विस्तार से पैदा हुई कठिनाइयों को ध्यान में रखने से और भी बढ़ गया है। विदेशी मुद्रा का अवशेष भी केवल ५३० करोड़ रुपये रह गया है। मैं समझता हूं कि इस पंचवर्षीय योजना को जितना शीघ्र छः वर्षीय योजना बना दिया जाए, जो कि अनिवार्य ही है, उतना ही हमारे लिए और योजना को कार्यान्वित करने वालों के लिए अच्छा होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भक्त]

कल खाद्य मंत्री ने जो वक्तव्य सभा पटल पर रखा है उस में परस्पर विरोधी बातों को देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है। उस में एक स्थान पर तो कहा गया है कि मूल्यों में क्यों वृद्धि नहीं हुई परन्तु दूसरे स्थान पर यह कहा गया है कि एक उच्चशक्ति समिति नियुक्त की गई है जो इस बात की जांच करेगी कि अधिक उत्पादन होने पर भी मूल्य क्यों बढ़े हैं।

खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में यदि आंकड़े ठीक हैं तो खाद्यान्न का अभाव नहीं है और वस्तुतः गलत ढंग से वितरण किया जा रहा है। अत्यधिक आयात करने पर भी मूल्य बढ़ रहे हैं। इस से तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सरकार के आंकड़े ठीक नहीं हैं।

मैं समझता हूं कि जीवन बीमा निगम अधिनियम की धारा ११ के जो संशोधन अध्यादेश द्वारा किया गया है वह सर्वथा अवांछनीय है। कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी शर्तों को एक ही पक्ष द्वारा बदल देने का मैं घोर विरोध करता हूं। न्यायालयों के निर्णयों मे बताई गई गलती को दूर करने के लिए अध्यादेश जारी करने का मैं विरोध नहीं करता परन्तु उस से कर्मचारियों की रोटी नहीं छीननी चाहिये।

परिमाणु-अस्त्र संबंधी प्रयोगों को बंद करने के प्रश्न पर अभिभाषण में उस यथास्थिति करार की ओर निर्देश किया गया है जिस का उल्लेख प्रधान मंत्री ने १९५४ में किया था। आण्विक युग बहुत तेजी से बदल रहा है। आज अणु और मानव में दौड़ हो रही है। गत महायुद्ध में केवल ५० लाख टन विस्फोटक द्रव्यों का प्रयोग किया गया था। आज एक ही हाइड्रोजन बम उससे तीन गुना अधिक विस्फोटक द्रव्यों के बराबर है।

[सरदार हुक्म सिंह पीठासीन हुए]

यह केवल हाइड्रोजन बम से होने वाली क्षति का ही प्रश्न नहीं है वरन् इस से पैदा होने वाली रडियोधर्मिता और "स्ट्रौन्टियम ९०" ऐसी भयानक चीजें हैं कि उनसे बहुत कठिन परिस्थिति पैदा हो जाएगी। रैडियेशन के प्रभाव बड़े गंभीर हैं। विखण्ड अथवा संयोजन से जो द्रव्य निकलते हैं वे एक स्थान पर रुकते अथवा इधर उधर फैल कर खत्म नहीं हो जाते। वरन् प्रयुक्त किये गये खनिज के अर्द जीवन काल तक उनका प्रभाव बना रहता है। अर्थात् यदि रेडियम है तो १६०० वर्षों तक वह प्रभावशाली रहेगा। जो व्यक्ति अथवा वस्तु उसकी रेड़ियाकार्मिता से प्रभावित होगी वह फिर १६०० बर्ष तक प्रभावित रहेगी। इस प्रकार इस तरह की चीजों का खतरा बढ़ता रहता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि १९५४ में जो प्रयोग किये गये थे उस के द्रव्यों का प्रभाव पृथ्वी पर १९६०, १९६५ अथवा १९७० में मालूम होगा। इन परिस्थितियों में मैं प्रधान मंत्री से निवेदन करता हूं कि इन प्रयोगों को बंद करने के लिए वे एक सर्वशक्ति सम्मेलन बुलाएं। यह इतना गंभीर विषय है कि इस संबंध में सरकार को अधिक सक्रिय होना चाहिये। मनुष्य ने मानवता का अंत करने के लिए पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया है। विधाता उसे सद्बुद्धि दे कि वह इस ज्ञान को संरक्षित कर सके।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : मैं अपने संशोधन संख्या १६ में बताई गई दो बातों अर्थात् काश्मीर और खाद्य स्थिति का उल्लेख करूंगा।

मैं संभवतः काश्मीर के प्रश्न को यहां नहीं लेता यदि प्रधान मंत्री ने इस से निर्वाचन प्रश्न न बनाया होता। स्वभावतः मैं ने अभिभाषण को काश्मीर के सम्बन्ध में सरकार की नीति को जानने

---

†मूल अंग्रेजी में

के लिए ध्यानपूर्वक पढ़ा और मैं ने देखा कि उस में उससे भी कम उल्लेख किया गया है जितना कि एक मास पूर्व समाचारपत्रों में किया गया था। इसमें कवल यह कहा गया है कि डाक्टर यारिंग इस देश में प्रधान मंत्री से दो बार मिले और उन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समस्या के बारे में सरकार की स्थिति क्या है और लोगों की स्थिति क्या है। भारत इस मामले को प्रथम जनवरी १९४८ को सुरक्षा परिषद् में ले कर गया था परन्तु मुझे यह जान कर दुख होता है कि भारत का प्रतिनिधि मंडल इस विषय में गोल माल करता रहा है।

भारत जम्मू और काश्मीर के आक्रमण का मामला ले कर वहां गया था परन्तु प्रथम जनवरी १९४८ के कार्यावलि पत्र में इस से जम्मू और काश्मीर प्रश्न लिखा गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस समस्या की व्याप्ति को क्यों इतना विस्तृत कर दिया गया है। इस से न केवल साधारण बातें भ्रमपूर्ण हो गई हैं वरन् इस का विहितार्थ यह है कि इस विशेष प्रश्न के संबंध में भारत और पाकिस्तान को समान स्तर पर रखा गया है।

तब से ग्रैहम शिष्टमंडल से लेकर यारिंग शिष्टमंडल तक अनेक शिष्टमंडल भारत में आए। मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान स्थिति कब तक रहेगी और कब तक यह मामला यों ही लटका रहेगा?

आपको देश को यह बताना चाहिए कि आप काश्मीर के बारे में क्या करना चाहते हैं। जब काश्मीर का प्रश्न सुरक्षा परिषद् में था और श्री यारिंग के सभापतित्व में एक शिष्टमंडल भारत भेजने का प्रस्ताव था उस समय भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता ने कहा था कि यदि यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तो इसका यह अर्थ होगा कि भारत का कथन झूठा है। इसीलिए भारत के प्रतिनिधि-मंडल के नेता ने परिषद् में बताया था कि भारत श्री जारिंग का सम्मानपूर्वक स्वागत करेगा परन्तु इस से आगे और कुछ नहीं किया जायेगा। श्री यारिंग, यहां आये तथा वह प्रधान मंत्री से दो बार मिले और उन्होंने अब ऐसा प्रतिवेदन दिया है जो पाकिस्तान के लिए और बढ़ावा देता है। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि काश्मीर की समस्या के हल न होने का कारण भारत सरकार की डांवाडोल नीति ही है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने १९४८ में जनमत का वचन दिया था तब परिस्थितियां कुछ और थीं परन्तु अब परिस्थितियां कुछ भिन्न प्रकार की होने पर भी उस वचन को निभाने में क्या औचित्य है। जब सुरक्षा परिषद् इस मामले में अन्याय का पक्ष ले सकती है तब क्या भारत सरकार, जबकि काश्मीर की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, फिर भी १९४८ का वचन पूरा करने को क्यों तत्पर है। अधिक कुछ न कह कर हम इस सम्बन्ध में अब यही जानना चाहते हैं कि प्रधान मंत्री इस बारे में क्या करना चाहते हैं।

मुझे हर्ष है कि दोनों सभाओं का यही मत है कि देश की खाद्य-स्थिति अच्छी नहीं है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य कृषि तथा खाद्यान्नों को बढ़ाना ही था। इसीलिए कुल विनियोजन का १५.१ प्रतिशत जो ३.५७ करोड़ रुपये था खाद्य तथा कृषि के लिए लगाया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसके लिए ५६८ करोड़ रुपये रखे गये हैं जो कुल विनियोजन का ११.८ प्रतिशत है। इस योजना में भी बताया है १९६०-६१ तक खाद्यान्न का उत्पादन ७५० लाख टन हो जायेगा। परन्तु फिर भी खाद्यान्नों की बड़ी कमी है तथा भुखमरी के मामलों का पता चला है। मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि खाद्य मंत्रालय इस मामले में असफल रहा है। इस बारे में मैं एक उदाहरण देता हूं। १९५१ में केन्द्रीय भांडार निगम तथा राज्य भांडार निगम बनने थे परन्तु अब १९५७

[श्री महन्ता]

में केन्द्रीय निगम बनाया गया है तथा राज्य निगम की अभी कोई जानकारी नहीं कि कब बनाया जायेगा। यदि यह निगम स्थापित कर दिए होते तो वर्तमान स्थिति नहीं आती। अनाज की बढ़ती हुई कीमतें भी इसी से सम्बन्धित हैं। मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया कि खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ने के बजाय घटे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन आंकड़ों का देश की आज की स्थिति से क्या सामंजस्य है। मेरा तो यही विचार है कि खाद्यान्नों के मूल्य बढ़े हैं। मुझे इस का बड़ा दुख हुआ कि माननीय खाद्य मंत्री ने कीमतों के बढ़ने का कारण अधिक खपत बताया। यह बड़ी भयानक तथा क्रूर बातें उन्होंने कही हैं। मेरे विचार से संग्रहण इसका मुख्य कारण है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा अधिकार उन्हें हासिल नहीं है जिससे वह इन संग्रहकर्ताओं तथा चोरबाजारी करने वालों को पकड़ सकें। मेरा तो यह पक्का विचार है कि संग्रहण ही इसका कारण है और केन्द्रीय भांडार निगम ने बनाकर सरकार ने यह स्थिति उत्पन्न की है।

मैं खाद्य समस्या के बारे में माननीय खाद्य मंत्री के विचारार्थ कुछ सुझाव रखूंगा। पहला यह है कि खाद्यान्नों का आयात एकदम बन्द करना चाहिए। चीन को ले लिए। वहां पर खाद्यान्नों की कमी रहती थी परन्तु वही देश अब खाद्यान्नों का निर्यात कर रहा है। उन्होंने तीन तरीके अपनाये। एक बड़े नगरों में राशनिंग लागू करना। चीन के सभी बड़े नगरों में राशनिंग है।

दूसरा तरीका यह है कि एक निश्चित मात्रा से अधिक खाद्यान्नों को गांवों से ले लेना। तीसरा तरीका यह है कि उन्होंने राजस्व को मुद्राओं में न लेकर अनाज के रूप में उगाहा है। इस प्रकार अनाज इकट्ठा किया तथा अनाज की कमी को पूरा किया। संभव है कि हमारी मनोभावनाओं को यह सुझाव अच्छे न लगें परन्तु चीन में इनसे जो फायदे हुए हैं वे हमारे सामने हैं। मैं नहीं कह सकता कि सरकार इस नीति पर कहां तक चलने को तैयार होगी।

लाला अचिंत राम (पटियाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा मशकूर (आभारी) हूं कि आपने बगैर ज्यादा कोशिश के ही मुझे बोलने का मौका (अवसर) दे दिया है।

सभापति महोदय : लेकिन यह बात कही तो नहीं जानी चाहिए। इससे दूसरों को ख्याल होगा कि आप को तो बगैर कोशिश के मौका मिल गया है, जब कि उन को कोशिश के बावजूद नहीं बुलाया गया है।

लाला अचिंत राम : प्रेजिडेंट साहब (राष्ट्रपति) ने फारेन पालिसी (विदेशी नीति) के बारे में फरमाया है कि तमाम मुल्कों (देशों) के साथ हमारी दोस्ती है। इससे पहले ऐड्रेस (अभिभाषण) में यह कहा गया था कि सिवाय पाकिस्तान के सब मुल्कों के साथ हमारी दोस्ती है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के मुताल्लिक (बारे में) जो हमारी पालिसी (नीति) है, वह मैत्री और दोस्ती की है, और वह कामयाब हो रही है। जिस वक्त पाकिस्तान कायम हुआ, उस वक्त वहां मस्लिम लीग की हकूमत (शासन) थी। उससे हमें टैम्पटेशन हो सकता था कि हमारे मुल्क में भी किसी फिर्कावार पार्टी (दल) का बिज हो। लेकिन हमने अपनी सैकुलरिज्म (धर्मनिरपेक्षा) की पालिसी को स्टिक किया और अपने उसूलों (नियमों) पर बराबर कायम रहे। आज हम महसूस करते हैं कि हम ने ठीक किया और हमारी वह पालिसी कामयाब हो रही है? आज पाकिस्तान में मुस्लिम लीग की जगह रिपब्लिकन पार्टी और अवामी लीग को मिल रही है। इसी तरह हिन्दुस्तान में शुरू से ही जायंट इलेक्टरेट (संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र) रखे गए, जब कि पाकिस्तान में सैपरेट इलैक्टरेट (अलग निर्वाचन-क्षेत्र) जारी किए गए। आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के दोनों हिस्सों में है। इससे जाहिर है कि हिन्दुस्तान की

फारेन पालिसी (विदेश नीति) के साथ ही साथ उस की इन्टर्नल पालिसी (आन्तरिक नीति) भी मुकम्मल (पूरे) तौर पर कामयाब हुई है। मैं महसूस करता हूं कि पाकिस्तान में ऐसी हवा चल रही है, ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि वहां भी हिन्दुस्तान की एक्टिव न्युट्रैलिटी (निष्पेक्षता) की पालिसी को अपना लिया जायगा। इस के लिए अब वहां आवाज उठ रही है।

मैं यह भी देख रहा हूं कि कांस्ट्रक्टिव फील्ड (रचनात्मक क्षेत्र) में खान अब्दुल गफ्फार खां पाकिस्तान में वही आवाज उठा रहा है, जो कि हिन्दुस्तान में आचार्य विनोबा भावे उठा रहे हैं। आचार्य विनोबा भावे का कहना है कि अगर हिन्दुस्तान की जमीन की प्राबलम (समस्या) को हल करना है, इकनामिक प्राबलम को (आर्थिक समस्याओं) हल करना है, तो उस का रास्ता भूदान है। इसी तरह खान अब्दुल गफ्फार खां लाहौर में कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की इकनामिक प्राबलम (आर्थिक समस्या) को हल करना है, तो उस का हल भूदान है। पाकिस्तान वाले इस रास्ते पर चले या न चले, यह एक अलग बात है। मैं गवर्नमेंट (सरकार) को—और खास तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को मुबारकबाद (बधाई) देना चाहता हूं, क्योंकि इस मुल्क (देश) की फारेन पालिसी (विदेश नीति) को मोल्ड करने में उन का बहुत बड़ा हिस्सा है। हम ने और मुल्कों को भी ठीक किया है और पाकिस्तान को भी ठीक कर रहे हैं।

प्रैजिडेंट साहब (राष्ट्रपति) के एड्रस (अभिभाषण) में यह भी कहा गया है कि यहां की इकनामिक कन्डीशन्ज (आर्थिक स्थिति) डेंजरस नहीं हैं, लेकिन वैरी सीरियस (बहुत गंभीर) हैं। अक्लमन्द आदमी ऐसे ही कहते हैं। लेकिन इलाज क्या है इस का? उन्होंने चार इलाज बताए हैं और वे इलाज यह हैं—एग्रीकल्चर (कृषि) के मामले में सैल्फ-सफिशिएन्सी (आत्म-निर्भरता) हासिल करना, अपनी इम्पोर्ट (आयात) को कंट्रोल (नियंत्रण) करना, इम्पोर्ट को कंट्रोल करना और सेविंग (बचत)। सवाल यह है कि ये सब बातें कौन करे? आखिर किस को ये बातें एड्रेस (अभिभाषण) की जा रही हैं? मैं समझता हूं कि उन्हों ने एड्रैस में कहा है कि हम जनता से अपील करते हैं कि वह इनको को-आपरेशन (काम में लाये) दे। उन्होंने फूड (खाद्य) के बारे में जरा एहतियात से कहा है ताकि लोगों में एलार्म और डर न पैदा हो जाय, लेकिन इस मामले का हल आखिर जनता ने ही करना है। और वह जनता कहां है? वह हिन्दुस्तान के साढ़े पांच लाख गांवों में है। जब तक जनता को-आपरेट (सहयोग) नहीं करती, तब तक हमारा कोई मसला भी हल नहीं हो सकता है, चाहे हम कितने ही एलान और अपीलें करते रहें। हम ने देखा कि किदवई साहब ने किस तरह इस मसले को हल कर दिखाया। लेकिन अब वह हालत नहीं है। मैं समझता हूं कि जब तक बुनियादी बात को टच न किया जायेगा और को-आपरेशन देने वालों को एपरोच न किया जायेगा, तब तक यह मसला (समस्या) हल नहीं हो सकता है—पचास बरस तक भी हल नहीं हो सकता है, चाहे हमारे जैन साहब कुछ भी करें या कहें। यह चक्कर चलता रहेगा और हम कामयाब नहीं होंगे।

हमारे विनोबा जी पिछले कई सालों से इस मुल्क की इकानोमी (आर्थिकता) को साउंड फुटिंग पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के साढ़े पांच लाख गांवों में हर तरह की इक्वैलिटी (समानता) हो और इन-इक्वैलिटी (असमानता) खत्म हो। वह हिन्दुस्तान के सब से बड़े मसले को हल करने के लिए जी जान से कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि सब आदमी उन की तारीफ कर रहे हैं और हमारे प्रेजिडेंट (राष्ट्रपति) साहब भी उन के बड़े मद्दाह हैं। लेकिन इस पर भी उन के ऐड्रेस (अभिभाषण) में विनोबा जी की एफर्ट्स (प्रयत्न) का कोई जिक्र नहीं किया गया है। शायद इस की वजह यह हो कि वह गवर्नमेंट के हैड (प्रधान) हैं और गवर्नमेंट (सरकार) का हैड होते हुए

[लाला अचित राम]

वह ऐसा कहना मुनासिब न समझते हों। मैं बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के साथ जो आप लोगों का ताल्लुक अभी हाल में ही हुआ है। यह गवर्नमेंट रिजल्ट है उन एफर्ट्स (प्रयत्नों) का, जो कि सत्तर बरस तक आप लोग करते रहे। इसलिए मैं समझता हूं कि इस मामले में गवर्नमेंट में होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस वक्त तक ढाई हजार गाँव विनोबा जी ले चुके हैं, जिन में पूरी इक्वैलिटी (समानता) है और जहां फूड प्राबलम नहीं रहेगी। इसलिए मैं अपने नेताओं से यह अर्ज करना चाहता हूं कि वे गवर्नमेंट के चोले को एक तरफ रख कर इस तरफ आयें और पूरे तौर पर इस काम में मदद दें।

मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि इस मामले में हम लोगों में कोई मतभेद नहीं है। कांग्रेस, जनसंघ, कम्यूनिस्ट—सब एक हैं। केरल की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट (साम्यवादी सरकार) ने एलान (घोषणा) किया कि जमीन का मसला (समस्या) लेजिस्लेशन (विधानों) से हल नहीं हो सकता है। मैं ने अपने कानों से केरल के एक मिनिस्टर का यह स्टेटमेंट सुना। मुझे बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने कहा कि यह मसला (समस्या) हल होगा लोगों के सहयोग से। जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट यह बात कह सकती है, तो फिर यह बड़ी गवर्नमेंट क्यों नहीं कह सकती है। आज सारा हिन्दुस्तान इस पायंट (प्रश्न) पर इकट्ठा है। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं बिल्कुल नान-वायलेंट (अहिंसक) हूं, और कोअर्शन (जबरदस्ती) के हक में नहीं हूं, लेकिन अगर इस मामले में लैजिस्लेशन (विधान) के साथ साथ थोड़े कोअर्शन (जबरदस्ती) भी करना पड़े, तो मुझे उस पर कोई एतराज नहीं होगा—मैं उस के हक में हूं।

मैं चाहता हूं कि आप तमाम पांच लाख के पांच लाख गांवो का, ग्रामींकरण कर दें। यदि आपने ऐसा किया तो यह मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा।

अब मैं चन्द एक बातें पंजाब के बारे में अर्ज करन चाहता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि पंजाब के मसले को सेंट्रल गवर्नमेंट (केन्द्रीय सरकार) ने हल करने की कोशिश की है और मुझे इस बात की भी खुशी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस मसले को हल भी किया और यह बात ठीक भी है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि क्या इस हल ने पूरी सैटिसफैक्शन (संतोष) लोगों को दे दी है। अगर आप यह समझते हैं कि इसने सब को सैटिसफैक्शन देदी है, तो यह मुनासिब नहीं है और अगर आपने ऐसा सोचा तो यह अन्याय होगा गलती होगी। मैं आपके सामने एक छोटी सी मिसाल देकर इस चीज को साफ करने की कोशिश करूंगा। एक आदमी को जूते की जरूरत है। यह जूता उसको दोनों पांव के लिए चाहिए होता है। वह मोची को कहता है कि मुझे जूता बना दो मोची एक पांव का नाप ले लेता है और यह समझ कर कि दूसरे पांव का नाप भी यही होगा वह जूता तैयार कर देता है। लेकिन जब जूता बनकर तैयार हो जाता है तो एक पांव में तो फिट आ जाता है लेकिन दूसरे पांव में लगता है। क्या इसका यह फल निकलता है कि मोची ने गलती की है। नहीं, यह तो एक कामनसेंस की बात है कि दोनों पांव एक जैसे होंगे और उनमें कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक पांव दर्द करता है जबकि दूसरे पांव में कोई दर्द नहीं होता है या कम दर्द होता है। तो मैं कहूंगा कि पंजाब का मसला भी ऐसा ही है। इस मसले को हल तो किया गया है और नेक नियती से हल किया गया है लेकिन मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि उसको ओवर कानफिडेंस (अति विश्वास) के साथ हल किया गया है। कानफिडेंस (विश्वास) के साथ हल किया जाता तब तो ठीक था लेकिन ओवर कांफिडेंस के साथ जो इसे हल किया गया है वह ठीक नहीं है। कानफिडेंस और ओवर कानफिडेंस में फर्क है। जो अक्लमन्द मोची होता है, जो अक्लमन्द शू मेकर होता है वह यह देखता है कि जूता

उसके पांव में ठीक बैठता है या नहीं। अगर ठीक नहीं बैठता है तो इसके कई इलाज हो सकते हैं। वह इसको बदल सकता है या कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल में ला सकता है। यह जरूरी नहीं है कि उस जूते को फेंक ही दिया जाए। उसमें तेल लगा कर पानी लगाकर, होल्स करके, एक्सपैंड करके उसको ठीक किया जा सकता है या कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अगर वह जूता दर्द करता है तो इसका इलाज भी मोची ढूंढ़ सकता है। मैं समझता हूं कि इस मामले के अन्दर ओवर कानफिडेन्स से काम लिया गया है और जो हल निकाला गया है उससे थोड़ी सी कठिनाई पैदा हो गई है। मैं कहता हूं कि जूते को फेंकने की जरूरत नहीं है। इस जूते को ट्रायल दिया जाना चाहिए, इसको पहन कर देखना चाहिए और मोची को यह भी देखना चाहिए कि दर्द क्यों होता है और उसको दूर करने की भी कोशिश करनी चाहिए। यह दर्द ऐसा नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता है, थोड़ी सी कोशिश करने से दर्द हट सकता है।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य इससे अच्छा उद्धरण नहीं दे सकते थे ?

लाला अचिन्त राम : मैं मानता हूं कि आप अकेले ही इस हाउस में खड़े होकर इस मसले को इस हाउस के सामने बड़े ही अच्छे ढंग से रखते रहे हैं। आपने इसका हल सुझाया था और आप अकेले.....

सभापति महोदय : मेरा यह मतलब नहीं था कि माननीय सदस्य का ध्यान मेरी ओर आकर्षित हो जाय।

लाला अचित राम : लेकिन जो चीज आपके क्रेडिट में जाती है, उसको मानने में मुझे कोई इन्कार नहीं है। मैं आपको उसके लिए क्रेडिट दिए बगैर नहीं रह सकता हूं।

एक माननीय सदस्य : यह जूता कब तक दर्द करता रहेगा ?

लाला अचित राम : जब तक आप इसमें मददगार नहीं बनते।

तो मैं यह कह रहा था कि जो दर्द है उसको दूर करने का कोई उपाय ढूंढ़ा जाना चाहिए और क्यों दर्द होता है इसका पता लगाया जाना चाहिए। इस दर्द का नतीजा यह हो रहा है कि वे लोग जिन्होंने कि नैशनलिज्म की बुनियाद डाली, जिन्होंने कौम परस्ती का झंडा हाथ में लिया आज इससे विमुख होते जा रहे हैं। और तबाह होकर फिरका परस्ती की राह की तरफ देख रहे हैं। उन लोगों ने जिन्होंने एस० आर० सी० की रिपोर्ट में जो सिफारिशें हैं उनको ठीक बताया, आज उनको भी दर्द होना शुरू हो गया है। आज हालात ऐसे हैं कि आप को इस के बारे में सोच समझ कर कोई कदम उठाना होगा। इसको फेंकने की जरूरत नहीं है। आप इसको पूरा ट्रायल दें और ईमानदारी से दें। इस दर्द का जो कारण है अगर आप उसको ईमानदारी से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा और आप उसको दूर भी कर सकेंगे। यह कोई मुश्किल काम नहीं है।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : बात क्या है, यह तो बतलाइये।

लाला अचित राम : इस को हाई कमान के लोग जानते हैं। यह बात उन के नोटिस (जानकारी) में आ गई है। दो चार आदमी हैं जो इस को नहीं समझते हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है और गलती को सब जानते हैं।

एक और बात की तरफ मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह रिफ्यूजी (शरणार्थी) के बारे में है। मैं हैरान था कि प्रैसीडेंट साहब (राष्ट्रपति) ने इस के बारे में कोई जिक्र क्यों नहीं किया है।

[लाला अचिंत राम]

क्या यह मसला हल हो गया है। आज सैचुरेशन प्वाइंट आ गया है। लेकिन प्रेसीडेंट साहब ने इसका जिक्र तक नहीं किया है। हमारे मिनिस्टर साहब रात दिन काम करते हैं और इतना काम है जिस की कोई हद ही नहीं है। चार पांच सौ आदमी हर रोज मिनिस्टर साहब को आ रहे हैं लेकिन यहां उस का जिक्र तक नहीं है। इस का भी कोई न कोई हल निकल आयेगा। जिस तरह से वहां पर ज्वाइंट इलोक्टोरेट हुआ है रिपब्लिकन पार्टी बनाई गई है उसी तरह से आप की जो पालिसी है उस पर आप मसलसल (लगातार) काम करते जायें। जिस तरह से बेवन साहब को समझ आ गई है उसी तरह से सुहरावर्दी साहब को भी समझ आ जायेगी। पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उन के तथा भारत में हिन्दुओं तथा मुसलमानों के इंटरेस्ट (हित) में यह बात है कि वे वहां से हिन्दुओं को न आने दें। मेरी गवर्नमेंट आफ इंडिया से भी यही दरख्वास्त है कि जैसे आप पिछले दस सालों में कामयाबी हासिल करते आये हैं वैसे ही आप इस के अन्दर भी कामयाब होंगे और यहां से जो रिफ्यूजी (शरणार्थी) लोग हैं वे वापिस चले जायेंगे।

पुनर्वास तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : आप तो यह कहते थे कि हिन्दुओं को ईस्टर्न पाकिस्तान से न आने दें।

लाला अचिंत राम : यही तो मैं कहता हूं कि माइग्रेशन न हो।

सभापति महोदय : कुछ समय पूर्व जिन संशोधनों की घोषणा की गई उन के अलावा संशोधन संख्या ५२ तथा ८२ भी प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। क्योंकि यह इस संसद् का प्रथम सत्र है तथा बहुत से सदस्य नये हैं इसलिए अध्यक्ष महोदय ने यह घोषणा की थी कि निश्चित समय के बाद आने वाले संशोधन को भी प्रस्तुत करने दिया जाय।

निम्न संशोधन भी प्रस्तुत किये गये :—

संशोधन संख्या	प्रस्तावक का नाम	संक्षिप्त विषय
१	२	३
५२	श्री वि० राजू	(क) देश में वित्तीय संकट को दूर करने के लिये कोई कदम न उठाये जाना।
		(ख) खाद्य स्थिति तथा बढ़ते हुए दामों पर कर का असन्तोषजनक उल्लेख।
		(ग) ब्रिटेन और अमरीका पर परमाणु अस्त्रों के विस्फोटों को रोकने के लिये जोर डालने के बारे में कोई उल्लेख न होना।
		(घ) मराठी भाषी राज्य की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं होना।
		(ङ) आम चुनावों के असंतोषजनक तरीकों का कोई निर्देश नहीं होना।

१	२	३
८२	श्री शि० ला० सक्सेना	(१) पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ और सूखे के प्रकोप को रोकने के लिये किसी योजना का अभाव। (२) गन्ना उत्पादकों को गन्ने के दामों के कारण होने वाले नुकसान से बचाने के किसी प्रयत्न का उल्लेख न होना। (३) पूर्वी उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई अकाल स्थिति की रोक थाम करने के लिए किसी योजना का न बनाया जाना। (४) भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम, १९२६ के अन्तर्गत पंजीयन के हेतु कार्मिक संघों में भेद भाव।

†**श्री भगवती (दरांग)** : हम राष्ट्रपति के आभारी हैं कि उन्हों ने खाद्य तथा वित्त की ओर अपने अभिभाषण में अधिक ध्यान दिया। आज हमारे पास पूंजी की कमी है तथा यह बहुत बड़ी समस्या है। रूस में इस प्रकार की कठिनाई आने पर जनता ने उस में सहयोग दिया तथा जो धन उन के पास था उस से उन्हों ने सौ गुना काम अधिक किया जितना उस से किया जा सकता था। हमें रूस की तरह ही काम करना चाहिये। यह तभी संभव है जब हम जनता में उत्साह पैदा करेंगे। इस के लिये हमें क्या करना चाहिये। सब से पहले सरकार को भी प्रशासनिक बुराइयां दूर कर देनी चाहियें। इस से सभी सहमत हैं कि योजना, विदेश नीति तथा समाजवादी ढंग का समाज आदि सभी बातें बहुत उत्तम हैं परन्तु तब जनता में इन के प्रति वह उत्साह क्यों नहीं है जो होना चाहिये। संभव है यह प्रशासन की कुछ बुराइयों के कारण हो। इस लिये हमें इन बुराइयों को दूर करने पर अवश्य ही ध्यान देना चाहिये। जिस से जनता में उत्साह बढ़े।

इस के लिये हमें आर्थिक असमानता दूर करनी चाहिये। यह ठीक है कि सरकार ने इस को दूर करने के उपाय किये हैं तथा मुझे विश्वास है कि यदि सरकार इसी प्रकार काम करती रही तो एक दिन यह असमानता दूर हो जायेगी। परन्तु इस में शीघ्रता होनी चाहिये। योजना में हम ने बताया है कि प्रादेशिक असमानतायें दूर हो जानी चाहिये तथा व्यक्तिगत मतभेद भी दूर हो जाने चाहियें। परन्तु हमें इन बातों को कार्यान्वित करना है। सरकारी वेतन क्रमों में भी विभिन्नता है। राज्यों में कुछ और वेतन क्रम हैं तथा केन्द्रीय सराकार में कुछ और। यह सभी विभिन्नतायें दूर की जानी चाहियें।

यह भी आवश्यक है कि सभी राजनैतिक दल इस पर विचार करें कि जनता में उत्साह किस प्रकार पैदा किया जा सकता है। मेरे विचार में यह सोचना ठीक नहीं है कि कांग्रेस को ही जनता में उत्साह पैदा करने के प्रयत्न करने चाहियें। यदि जनता को साक्षर नहीं बनाया गया तो आज की स्थिति बनी रहेगी और जनता सर्वदा पैसे के लिये सरकार का मुंह ताकती रहेगी। हमें अपनी इस दूसरों पर आश्रित रहने की मनोभावना को बदलना है।

हम अपनी समस्याओं का बहुत विश्लेषण करते हैं परन्तु कभी भी इस का विचार नहीं करते कि इन समस्याओं को हल किस प्रकार किया जायेगा। हमें इस बुराई को दूर करना है तथा सभी समस्याओं को सुलझाने के लियें एक साथ मिल कर प्रयत्न करने हैं।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भगवती]

सभा में खाद्य स्थिति पर पर्याप्त चर्चा हुई। सचमुच ही यह एक बड़ी गम्भीर समस्या है। सरकार का खाद्यान्नों की कमी तथा इतने बढ़ते हुए मूल्यों की जांच के लिये एक समिति नियुक्त करने का विचार है परन्तु मैं चाहता हूं कि सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिस से इस प्रकार की स्थिति का पूर्वाभास हो जाया करे। कुछ वर्ष पूर्व चाय की कीमतें गिरी थीं तथा उस के कारणों का भी किसी को पता नहीं था एक वर्ष पश्चात् अचानक चाय के मूल्य बढ़ गये। हमें इन बातों का पता लगाना चाहिये तथा ऐसी समिति बनानी चाहिये जो इन सब बातों की जांच करे। परन्तु साथ ही साथ ऐसे विशेषज्ञों की नियुक्ति भी आवश्यक है जो इन सब बातों की भविष्यवाणी कर दिया करें।

हमारी खाद्य स्थिति इसलिये खराब है क्योंकि खाद्यान्नों का आधिक्य नहीं है। विरोधी पक्ष वाले किसी किसी क्षेत्र में आधिक्य के आंकड़े प्रस्तुत करते हैं परन्तु यह अधिकार ५ प्रतिशत से अधिक नहीं जो कि बहुत ही कम है। इसलिये हमें अधिक उत्पादन पर जोर देना चाहिये। इस के अतिरिक्त सरकार को फसल के तुरन्त बाद काफी अनाज इकट्ठा करना चाहिये तथा कमी होने पर इस अनाज को बाजार में भेज देना चाहिये जिस से मूल्य न बढ़ें। इस समय स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि प्रत्येक व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि कुछ न कुछ अनाज इकट्ठा कर लिया जाये। परन्तु साथ ही साथ सट्टेबाज अनाज को लाभ के लिये इकट्ठा करने का विचार भी कर सकते हैं। इस प्रकार की भावना जनता में फैलने का अवसर नहीं देना चाहिये। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं। ऐसा तभी किया जा सकता है जब सरकार उपयुक्त समय पर अनाज को बाजार में भेज दे।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : सभापति महोदय, इससे पूर्व कि मैं संशोधन क्रम संख्या ४०, ४१, ४२ और ४४ के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करूं, मैं राष्ट्रपति को उनके पुनः निर्वाचन पर बधाई देता हूं। यह ठीक है कि कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति के निर्वाचन के सम्बन्ध में सभी प्रमुख दलों से विचार विनिमय करने की लोकतंत्री परम्परा का श्रीगणेश नहीं किया है, किन्तु एक बार राष्ट्रपति का चुनाव हो गया तो फिर वह किसी दल के या किसी दिशा के या किसी प्रांत के नहीं हैं, वह सम्पूर्ण भारतीय गणराज्य के हैं। डा० राजेन्द्र प्रसाद को राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित कर के हम ने स्वयं को ही गौरवान्वित किया है, संभव है मेरे ये शब्द मेरे कतिपय मित्रों को पसन्द न हों.....

कुछ माननीय सदस्य : पसन्द हैं, पसन्द हैं।

श्री वाजपेयी : मैं विरोधी दल में खड़ा हूं लेकिन विरोध के लिए विरोध मेरा उद्देश्य नहीं हो सकता। इस सदन में भारतीय जनसंघ के सदस्यों की संख्या यद्यपि कम है, किन्तु हमारे सामने स्वर्गीय डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी का आदर्श है, और हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि उस से अनुप्राणित हो कर राष्ट्र निर्माण के महान् यज्ञ में अपना भी योगदान दें।

डा० मुकर्जी का स्मरण आते ही मुझे काश्मीर का स्मरण हो आता है, और काश्मीर का स्मरण आते ही मुझे श्रीनगर के उस सरकारी अस्पताल का स्मरण आता है जिस के कोने में पुलिस के पहरे में डा० मुकर्जी को देश की एकता के लिए अपना बलिदान देना पड़ा था। उन की मृत्यु को चार वर्ष हो गये, किन्तु उस पर जो रहस्य का पर्दा पड़ा था, वह अभी भी उठाया नहीं गया है। समय के सहलाने वाले हाथों ने घाव को भर दिया है, मगर दर्द अभी बाकी है। और जब कभी प्रधान मंत्री महोदय या सुरक्षा मंत्री महोदय कश्मीर समस्या के सम्बन्ध में आजकल वही बातें दुहराते हैं जिन्हें स्व० डा०

श्यामा प्रसाद मुकर्जी चार साल पूर्व इस सदन में खड़े होकर दूहराते थे, तो मुझे लगता है कि यदि आरम्भ से ही काश्मीर के प्रश्न पर सही नीति अपनायी गयी होती तो हमको डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी के महान जीवन की कीमत न चुकानी पड़ती ।

काश्मीर के बारे में सरकार की नीति दुर्बल और ढिलमिल रही है । हम सुरक्षा परिषद् में शिकायत ले कर गये, किन्तु हमने प्रारम्भ से ही पाकिस्तान को आक्रमणकारी घोषित कराने पर बल नहीं दिया । हमारी सेनायें जब विजय पर विजय प्राप्त करती जा रही थीं, और आक्रमणकारी अपने पैर सिर पर रख कर भाग रहा था, तो हमने उन विजय वाहिनियों के पैरों में युद्धविराम रेखा की जंजीर डाल दी । युद्ध के मैदान में जो कुछ जीता गया था वह नई दिल्ली के प्रासाद में खो दिया गया । हम लड़ाई में जीत गये पर सन्धि में हार गये, और आज काश्मीर का एक तिहाई भाग आक्रमणकारी के कब्जे में है । वह कैसे मुक्त होगा, उसका क्या तरीका है, सरकार की क्या नीति है ? वेदों में भगवान के स्वरूप का वर्णन करने के लिए "नेति नेति" का उपयोग किया गया है । परमेश्वर यह नहीं है. परमेश्वर वह नहीं है । कभी कभी मुझे लगता है कि काश्मीर और गोआ और पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं की समस्या के बारे में भी सरकार की जो नीति है उसे "नेति नेति" के शब्दों में ही अच्छी तरह से प्रकट किया जा सकता है । क्या हम काश्मीर के एक तिहाई भूभाग को सेना के बल पर मुक्त करायेंगे ? नहीं नहीं । क्या हम उसे पाकिस्तान को तोहफे के रूप में पेशकर देंगे ? नहीं नहीं । फिर हम क्या करेंगे ? गोआ में क्या हम पुलिस कार्रवाई करेंगे ? नहीं, नहीं । तो क्या फिर हम जनता को सत्याग्रह करने देंगे ? नहीं, नहीं । तो फिर क्या हम गोआ का अत्याचार पुर्तगाल के हाथों में छोड़ेंगे ? नहीं, नहीं यही बात पूर्वी बंगाल से हिन्दुओं के निष्क्रमण के बार में है । हम पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए तैयार नहीं कि वह देश के बटवारे के समय जो समझौता हुआ था उस समझौते का पालन करे, और भारत में मुसलमानों के साथ जिस तरह का समता का और सम्मान का व्यवहार किया जा रहा है पाकिस्तान में भी हिन्दुओं के साथ उसी तरह का व्यवहार करे । देश का विभाजन इसी आधार पर हुआ था और यदि पाकिस्तान उस आधार को स्वीकार नहीं करता तो हमें अन्य उपाय को अपनाने पर विचार करना चाहिए । लेकिन हम पाकिस्तान पर न तो दबाव डालने के लिए तैयार हैं, न निष्क्रमणार्थी हिन्दुओं को बसाने के लिए भूमि माँगने के लिए तैयार हैं । हमारी नीति क्या है ? नेति, नेति । इसी से उसकी व्याख्या की जा सकती है ।

मैं काश्मीर की समस्या के सम्बन्ध में अपनी बात कह रहा था । एक तिहाई भूभाग को मुक्त कराने के लिए हमारे प्रधान मंत्री वचनवद्ध हैं अर्थात् उसकी एक इंच भूमि को भी आक्रमणकारी को न सोंपा जाय । कभी कभी ऐसी खबरें आती हैं कि इस तरह के प्रस्ताव रखे गये हैं कि युद्धविराम रेखा पर पाकिस्तान से समझौता कर लिया जाय । मुझे खुशी है कि अब यह प्रस्ताव नहीं है, और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा प्रस्ताव जिससे काश्मीर का विभाजन होगा भारत की जनता स्वीकार नहीं करेगी । काश्मीर पूरी तरह से भारत में मिल चुका है और यदि काश्मीर की आज कोई समस्या होगी तो यही समस्या है कि पाकिस्तान उस भूभाग को कब तक खाली करने जा रहा है जो उसके अवैध अधिकार में है । प्रधान मंत्री ने कुछ दिन पूर्व कहा था कि यदि दो बातें मान ली जायें, नम्बर १, पाकिस्तान आक्रमणकारी है, और नम्बर २ एक तिहाई भूभाग भारत का है, तो हम पाकिस्तान से बात करने के लिए तैयार हैं । यदि ये दोनों बातें मान ली गयीं तो फिर बात करने के लिए क्या बचेगा, फिर बात करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहेगा । अगर बात कोई हो सकती है तो यही कि पाकिस्तान से पूछा जाना चाहिए कि वह काश्मीर के एक तिहाई भूभाग से अपना विस्तर बोरिया बाँधकर कब जाने की तैयारी कर रहा है । लेकिन ऐसे चिन्ह नहीं दिखायी देते कि पाकिस्तान मान जायेगा । जो

[श्री वाजपेयी]

भूभाग पाकिस्तान के पास है उसके मिलने की बात तो दूर रही, जो हिस्सा भारत में मिला है, आज उसी पर दाँत लगे हैं। एक संकट खड़ा हो रहा है। पाकिस्तान युद्ध की तैयारियाँ कर रहा है। अमरीकी हथियारों से सज्ज होकर भारत की स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए संकट का कारण बन रहा है। मैं युद्ध का हामी नहीं हूं। मैं भी शान्ति का समर्थक हूं, किन्तु मरघट की शान्ति नहीं जीवन की शान्ति का समर्थक हूं। काश्मीर के एक तिहाई भूभाग को पाकिस्तान को सोंपने से जो शान्ति होगी वह स्थायी शान्ति नहीं होगी और मैं समझता हूं कि शान्ति के आवरण में हमारी दुर्बलता की नीति आगे नहीं चलनी चाहिए। हमें धर्मराज युधिष्ठिर के उदाहरण से शिक्षा लेनी चाहिए। युद्ध कोई नहीं चाहता मगर दूसरे लोग हम पर युद्ध थोप सकते हैं। धर्म राज युद्ध नहीं चाहते थे, उन्होंने युद्ध को टालने का बड़ा प्रयत्न किया, अनुनय विनय की, शान्ति के सन्देश भेजे, बटवारा तक मान लिया, द्रोपदी का अपमान सहा, लेकिन युद्ध से उनको त्राण नहीं मिला। जो युद्ध से भागता है युद्ध उसके पीछे भागता है, और जो युद्ध के सम्मुख हिम्मत करके खड़ा हो जाता है, उसका सामना करने के लिए तैयार रहता है, वह अपने अधिकारों की भी रक्षा करता है और शान्ति की स्थापना करने में भी सफल होता है।

मुझे इस बात के लिए खेद है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में पाकिस्तान की जंगी तैयारियों से भारत की सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए जो संकट पैदा हो गया है उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यह संकट वास्तविक है। पाकिस्तान ने अमरीकी सहायता लेकर और उस सहायता के सम्बन्ध में यह स्पष्ट करके कि यह सहायता भारत के विरुद्ध ली जायेगी, हमें एक विषम परिस्थिति में रख दिया है, और अमरीका ने भी पाकिस्तान को सहायता देकर भारत के विरुद्ध अमैत्रीपूर्ण कार्य किया है।

हम यह आशा करते थे कि प्रधान मंत्री की अमरीका यात्रा से अमरीका की नीति में कुछ परिवर्तन होगा। किन्तु बाद में जो चिन्ह मिले हैं उनसे वह नीति अपरिवर्तित मालूम होती है और इस दृष्टि से प्रधान मंत्री की अमरीका यात्रा को सफल नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम दूसरों को दोष दें इससे हमारा कल्याण नहीं होगा। हमें दोषारोपण नहीं आत्मालोचन करना चाहिए।

मेरे कतिपय मित्रों ने विदेश नीति की सफलता के लिए सरकार को अनेक बधाइयाँ दी हैं। मुझे खेद है कि मैं उनमें शामिल नहीं हो सकता। हमारी विदेश नीति का उद्देश्य था कि हम दुनिया के किसी भी शक्ति गुट से नहीं मिलेंगे और विश्वशान्ति के लिए प्रयत्न करेंगे और उस विदेश नीति का संचालन इस कुशलता से किया गया है कि युद्ध स्वयं हमारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है। और हमारे सामने इस के सिवा कोई चारा नहीं है कि हम किसी शक्ति-गुट में सम्मिलित हो जायें। अगर इसी को विदेश नीति की सफलता कहते हैं, तो फिर विफलता किसे कहते हैं, यह समझने में मैं असमर्थ हूं। फिर तो शायद "विफलता" को शब्द-कोश से ही निकाल देना पड़ेगा।

मैं काश्मीर की आन्तरिक स्थिति के सम्बन्ध में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जो बख्शी गुलाम मुहम्मद के हाथ मजबूत नहीं करना चाहता लेकिन बख्शी साहब के हाथ मजबूत करने का यह तरीका नहीं है कि उनकी गलतियों पर पर्दा डाल दिया जाय। एक बात हमें भली प्रकार समझ लेनी चाहिए कि काश्मीर और भारत की एकता किसी व्यक्ति पर —फिर वह व्यक्ति कितना ही बड़ा हो, या किसी दल पर—फिर वह दल कितना ही सबल हो, या किसी सरकार पर—वह सरकार चाहे कितनी ही लोकप्रिय हो, निर्भर नहीं छोड़ी जा सकती है। व्यक्ति आयेंगे और चले जायेंगे, पार्टियाँ बनेंगी और बिगड़ जायेंगी, सरकारें कायम होंगी और बदल

जायेंगी। उन पर भारत और काश्मीर के सम्बन्ध निर्भर नहीं करने चाहिए। हम सब की सद्भावनायें बख्शी साहब के साथ हैं, लेकिन काश्मीर के भीतर जिस तरह से शासन चलाया जा रहा है, उससे वहाँ की जनता संतुष्ट नहीं है। लोकतंत्र को अभी काश्मीर की भूमि में अपनी गहरी जड़ें जमाना है। हो सकता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूं—उस का हमारा पड़ौसी पाकिस्तान नाजायज फायदा उठाने का प्रयत्न करे, लेकिन.....

श्री ल० ना० मिश्र (सहरसा) : यह जानते हुए भी कह रहे हैं।

श्री वाजपेयी :.....सत्य को केवल सलिए नहीं छिपाया जा सकता कि कोई उस का नाजायज फायदा उठा सकता है। काश्मीर के बारे में चुप रहने की नीति का एक दुष्परिणाम हम भोग चुके हैं और अगर हम उस की पुनरावृत्ति नहीं होने देना चाहते, तो हमें सत्य का सामना करना होगा।

अभी-अभी जम्मू-काश्मीर में चुनाव हुए थे। मैं चुनाव में जम्मू गया था। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उस चुनाव में अनियमिततायें की गई। मैंने स्वयं अपनी आँखों से देखा कि वोटर्ज-लिस्ट ऐसी बनाई गई—वे उर्दू में बनाई गई थीं—कि उस के अनेक पृष्ठों को पढ़ा नहीं जा सकता था और मजा यह कि जिसका पढ़ना प्रजापरिषद् वालों के लिए असम्भव था, उस का पढ़ना नैशनल कांफरेंस वालों के लिए सम्भव हो गया। जिस दिन मतदान हुए, तो पोलिंग-स्टेशन कहां होंगे, इसकी पूर्व-सूचना नहीं थी और कहीं कहीं तो उसी दिन—पोलिंग के दिन ही—पोलिंग-स्टेशन बदल दिए गए। जो मतों के बक्से थे—मत पेटियां थीं, अनेक स्थानों पर उन को प्रीजाइडिंग आफिसर्स के यहां रखा गया। प्रजा परिषद् के प्रधान, पंडित प्रेमनाथ डोगरा, ने चुनाव के सम्बन्ध में प्रीजाइडिंग आफिसर्स के सामने जो आपत्तियां की थीं, मेरे पास उन के फोटो चित्र मौजूद हैं, जिन को मैं सदन के बल पर रखने के लिए तैयार हूं। प्रीजाइडिंग आफिसर ने स्वीकार किया है कि एक स्थान पर जब गणना हो रही थी, तो वहाँ एक बक्सा ही नहीं था।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य की वाकफियत के लिए यह बताना चाहता हूं कि यहाँ पर स्पीकर साहब ने रूल बनाए हैं कि अगर किसी सदस्य के पास कोई ऐसी दस्तावेज, कागज, फोटो वगैरह हो, जो कि वह यहाँ पेश करना चाहते हों, तो वह पहले दिखा ले, या कापी दे दें और फिर हाउस में उस का हवाला दें, ताकि पहले से यह देखे लिया जाय कि ऐसी चीज की इजाजत देनी है या नहीं। इसलिए माननीय सदस्य को चाहिए कि वह किसी और मौके पर इस का जिक्र कर दें, जब कि यह पहले देख लिया जाये कि उसकी इजाजत दी जाय या नहीं।

श्री **वाजपेयी** : मुझे स्वीकार है।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जम्मू-काश्मीर के चुनाव में प्रजा परिषद ने सत्रह उम्मीदवार खड़े किए और वे सत्रह उम्मीदवार अठारह चुनाव-क्षेत्रों में खड़े थे। उन अठारहे चुनाव-क्षेत्रों में से बारह चुनाव-क्षेत्रों में जो बैलट-बक्स थे, वे टूटे हुए पाए गए। ये अनियमितताएं ठीक नहीं हैं। मैं बख्शी साहब की कठिनाइयां समझता हूं, लेकिन काश्मीर को हमें लोकतंत्र के मार्ग पर आगे बढ़ाना है और इस के लिए यह आवश्यक है कि वहां ऐसा वातावरण पैदा किया जाय, जिस में सभी दल और भारत के प्रतिनिष्ठा रखने वाले सभी पक्ष स्वतंत्रता से कार्य कर सकें। मुझे विश्वास है कि इस दृष्टि से काश्मीर सरकार की नीति में जो अपेक्षित परिवर्तन हैं, वे शीघ्र ही दिखाई देंगे। प्रजा परिषद तो नैशनल कांफरें सके साथ सहयोग करना चाहती है, लेकिन सहयोग एकतरफा नहीं हो सकता उस के लिए उपयुक्त वातावरण होना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वाजपेयी]

मैंने अभी इस बात का उल्लेख किया है कि पाकिस्तान जंगी तैयारियां कर रहा है। भारत की स्वाधीनता और भारत के विभाजन के दस वर्ष बाद ही हमारे सामने बाहरी आक्रमण और आन्तरिक विघटन का खतरा खड़ा हो गया है। युद्ध हमारा दरवाजा खटखटा रहा है। यदि छोटा सा इसरायल ब्रिटेन और फ्रांस के इशारे पर मिश्र पर आक्रमण कर सकता है, तो पाकिस्तानी नेता भी, जो दूसरों के इशारे पर चलते हैं और अपनी भूखी नंगी जनता की आजादी को वाशिंगटन के बाजारों में नीलाम पर चढ़ाने के लिए तैयार हैं, भारत से टकराने का दुस्साहस कर सकते हैं। मैं आतंक पैदा नहीं करना चाहता लेकिन हमें सन्नद्ध रहना चाहिए। यह ठीक है कि हम राष्ट्र-निर्माण के महान युद्ध में लगे हैं, लेकिन यज्ञ में विघ्न भी पड़ते हैं और यज्ञ की रक्षा के लिए शस्त्र-सज्जित सेना, जागरूक जनता और अपने कर्त्तव्य के प्रति निष्ठावान शासन होना चाहिए।

मैं एक बात और कहूंगा। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इस बात को स्वीकार किया है कि राज्यों के पुनर्गठन के कारण पंच-वर्षीय योजना की प्रगति कुछ मन्द हो गई है। क्या इस का विचार पहले नहीं किया जा सकता था? क्या प्रान्तों का पुनर्गठन करना इस समय आवश्यक था? और यदि किया गया, तो उसे ठीक ढंग से क्यों नहीं किया गया? मुझे तो ऐसा लगता है कि यह पुनर्गठन नहीं किया गया है, विघटन किया गया है। महाराष्ट्र और गुजरात की जनता की उपयुक्त मांगों को नहीं माना गया है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूं, किन्तु मैं महाराष्ट्र और गुजरात में घूमा हूं और मैं जानता हूं कि वहां की जनता के मन में अपने अपने पृथक प्रान्त के लिए कितनी प्रबल भावनायें हैं। उन की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, उन को दबाया नहीं जा सकता है। कल यहां जो धमकियां दी गईं, मैं उन को ठीक नहीं समझता। उनसे अपनी बात मनवाई नहीं जा सकती। वह सही तरीका नहीं है, लेकिन मैं गैर-महाराष्ट्रीय सदस्यों से—और विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार के सदस्यों से, जिन्होंने द्विभाषी बम्बई प्रदेश के निर्माण में पहले की और जिस भावना से प्रेरित हो कर उन्होंने पहल को, उस की मैं कद्र करता हूं—निवेदन करूंगा कि उन की भावना उच्च थी, लेकिन आज की परिस्थिति का भी विचार होना चाहिए। विघटनकारी शक्तियां इस परिस्थिति का लाभ उठायेंगी और जनता को उभारेंगी। आप चाहते हैं एकता पैदा करना, लेकिन उस का तरीका आप ने ऐसा अपनाया है, जिससे विघटन बढ़ेगा। अभी परिस्थिति को सुधारा जा सकता है। यह सदन फिर से विचार कर सकता है और मैं इस बात का विश्वास करूंगा कि जो परिवर्तित परिस्थिति है, उस में संयुक्त महाराष्ट्र और महागुजरात के निर्माण के सम्बन्ध में पुनर्विचार होना चाहिए।

मेरे एक मित्र ने पंजाब की समस्या का उल्लेख किया है। मैं इससे सहमत नहीं हूं कि पंजाब की समस्या का स्थायी हल खोज लिया गया है। जो हल निकाला गया है, उस ने परिस्थिति को और भी उलझा दिया है। भाषा की समस्या ठीक ढंग से हल नहीं की गई है और विघटन के बीज बो दिए गए हैं।

†**श्रीमती रेणुका रे** (मालदा) : मैं राष्ट्रपति के धन्यवाद देने के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह कहना चाहती हूं कि अभिभाषण में देश की आर्थिक कठिनाइयों की ओर ठीक ही निर्देश किया गया है। इसमें कुछ छिपाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। जो काम लिए जा रहे हैं उनका मूल्यांकन करना इस समय बड़ा कठिन है परन्तु मैं यह विश्वास के साथ कह सकती हूं कि भविष्य बतायेगा कि इस थोड़े से समय में कितना अधिक काम किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत के देहातों में परिवर्तन हो रहा है तथा यही सब से महत्वपूर्ण बात है। पहले हम यह सोचने लगे थे कि हम कोई काम नहीं कर सकते। आज हमने अपना विश्वास पुनः प्राप्त कर लिया है। कि हम अपने इन्हीं उपायों से इन समस्याओं को हल कर सकेंगे।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में बताया गया है कि हमारी केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के आयव्ययक घाटे के हैं। घाटे का आयव्ययक होना तो ठीक है पर मुद्रास्फीती पर रोक रखना चाहिए। इस उत्साह में कि सभी साधनों का ठीक उपयोग करना चाहिए, कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि हमारी प्रगति में बाधा पड़े। हमारी दूसरी योजना में—चाहे केन्द्र में हो या राज्य में—सभी कार्यों के लिए समय पर धन तथा सहायता मिलनी चाहिए। यदि समय पर धन या सहायता नहीं मिलती तो साल के अन्त में काम को शैतान की तरह जल्दी जल्दी निबटाना पड़ता है और कई बार लोगों का उत्साह भी खत्म हो जाता है।

ठीक है जैसा कि अभिभाषण में कहा गया कि राज्यों के पुनर्गठन के कारण हम प्रथम पंचवर्षीय योजना में काफी प्रगति न कर सके। पर अब हमें सावधानी से प्रगति करनी चाहिए। कल किसी माननीय सदस्य ने बताया कि राशि स्वीकृत होने के बाद भी, एक स्थान पर, नलकूप नहीं बनाये गये। मैं नहीं जानती क्या कारण है क्या समय पर राशि नहीं मिली या सामान नहीं मिला या क्या कारण था। ऐसी कोई भी रुकावट नहीं पड़नी चाहिए।

अभिभाषण में खाद्य के अभाव वाले क्षेत्रों में पश्चिमी बंगाल तथा बम्बई का नाम भी सम्मिलित किया जाना चाहिए था। मुझे प्रसन्नता है कि खाद्य मंत्री ने एक वक्तव्य इस संबंध में दिया है और पर्याप्त व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया है। बंगाल के लिए काफी मात्रा में गेहूं तथा चावल भेजा जाना चाहिए। गत वर्ष बाढ़ के कारण भी वहां काफी क्षति हुई थी।

मैं एक बात और जानना चाहती हूं कि क्या भारत को सैनिक सन्धियों में भाग लेने के लिए दबाया जा रहा है? आज काश्मीर की समस्या पर इस प्रकार विचार करने वाले लोग पूर्वी पाकिस्तान से नित्य हजारों की संख्या में आने वाले शरणार्थियों की समस्या पर भी क्यों विचार नहीं करते। भारत को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा बताये गये सिद्धान्तों के आधार पर ही अपनी नीति बना कर चलना चाहिए। मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

†**सभापति महोदय** : मैं जानता हूं कि धन्यवाद प्रस्ताव पर बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। परन्तु सभी सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाना संभव नहीं। जिन सदस्यों को यह अवसर नहीं मिलेगा उन्हें आय-व्ययक वाद-विवाद पर बोलने का अवसर अवश्य दिया जायेगा।

अब सभा इस वर्ष की आयव्ययक प्रस्थापनाओं को सुनने के लिए ५ बजे तक के लिए स्थगित होगी।

इसके पश्चात लोक-सभा ५ बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक-सभा ५ बजे पुनः समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सामान्य आय-व्ययक १९५७–५८ का उपस्थापन

†**अध्यक्ष महोदय** : वित्त मंत्री।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : श्रीमान अध्यक्ष महोदय, विगत मार्च में मैंने पिछली लोक-सभा के सामने १९५७-५८ का अन्तरिम बजट प्रस्तुत किया था जिससे कि नयी संसद् की बैठक होने तक के समय के लिए सरकारी व्यय के सम्बन्ध में लेखानुदान प्राप्त किया जा सके। आज जो व्यय-अनुमान मैं प्रस्तुत कर रहा हूं वे प्रायः वे ही हैं जो मैंने मार्च में प्रस्तुत किये थे। लेकिन मंत्रालयों के पुनर्गठन को ध्यान में रखते हुए उनका पुनः वर्गीकरण किया गया है और कुछ नयी मदें हैं जिनका मैं अपने भाषण में उल्लेख करूंगा।

विगत मार्च में बजट पत्रों के साथ एक श्वेत पत्र प्रचारित किया गया था, जिसमें अर्थव्यवस्था की १९५६ की बड़ी बड़ी घटनाओं की समीक्षा की गयी थी और आर्थिक नीतियों के निर्धारण के हेतु वस्तु-स्थिति का विवेचन किया गया था। उस श्वेत पत्र की प्रतियां माननीय सदस्यों को दी जा रही हैं। बाद में जो तथ्य और आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर उस श्वेत पत्र में दी गयी आर्थिक प्रवृत्तियों के स्थूल विश्लेषण में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सब से बाद के आर्थिक सूचकों का संक्षेप में उल्लेख करूंगा और आकस्मिक तथा भावी प्रवृत्तियों का निर्धारण करने का प्रयत्न करूंगा।

ऐसा करने से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि प्रस्तुत किये जाने वाले इस बजट का आर्थिक वर्गीकरण दो-तीन दिन में प्रचारित किया जायगा। हमने पहली बार विगत मार्च में इस पुनः वर्गीकरण का प्रयास किया था और हमारा यह विचार है कि इसे जारी रखा जाय। चूंकि उन प्रस्तावों को जो मैं आज सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, सारणीबद्ध करने में कुछ समय लगेगा इसलिये यह कुछ समय बाद दिया जा सकेगा।

विगत मार्च में जो श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया था, उसमें उन तत्वों का विश्लेषण किया गया था, जिनके कारण १९५६ में मूल्यों में वृद्धि हुई। हाल के महीनों में थोक मूल्यों का न्यूनाधिक सूचक अंक ४२० के आसपास ही स्थिर रहा है। २७ अप्रैल को समाप्त होने वाले सप्ताह का सूचक अंक ४२३.५ था, जिसका अर्थ है एक वर्ष पहले के स्तर में ८.५ प्रतिशत की वृद्धि। इस समय चावल के मूल्यों का सूचक अंक ६३३ और गेहूं का लगभग ५८१ है; इस प्रकार ये एक वर्ष पहले के मूल्यों से क्रमशः १४.१ प्रतिशत और १६.४ प्रतिशत ऊंचे हैं। इस वर्ष औद्योगिक कच्चे माल के मूल्यों में ९ प्रतिशत, अर्ध-निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में ५.३ प्रतिशत और निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में २.४ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मूल्यों के बढ़ने की प्रवृत्ति का एक कारण यह है कि जितनी मांग है, अनाज का उतना उत्पादन नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ बाहरी कारण भी हैं। यदि इस प्रवृत्ति को रोका न गया तो इससे जीवन यापन का खर्च तथा उद्योग धंधों का लागत खर्च बढ़े बिना न रहेगा।

कृषि-उत्पादन के जो सबसे ताजे आंकड़े प्राप्त हैं जिनके बारे में कल मेरे साथी खाद्य तथा कृषि मंत्री ने बताया था उन से पता चलता है कि १९५५–५६ में उपज में जितनी कमी का अनुमान पहले किया गया था वह कुछ कम ही रही। इस वर्ष २ करोड़ ६८ लाख टन चावल पैदा होने का अनुमान है, जबकि पहले यह २ करोड़ ५५ लाख टन था। अब अनुमान लगाया गया है कि इस वर्ष सभी अन्नों का सम्पूर्ण उत्पादन ६ करोड़ ४८ लाख टन होगा, जबकि पहले केवल ६ करोड़ ३४ लाख टन की उपज का अनुमान लगाया गया था। इतने पर भी, इस वर्ष, १९५३–५४ की तुलना में लगभग ४० लाख टन की और १९५४–५५ की तुलना में २० लाख टन की कमी रह जाती है। १९५५-५६ में अन्न की उपज में कमी का कारण जैसे कि मेरे माननीय साथी ने कल बताया मोटे अनाजों का कम पैदा हो ना है, जबकि पिछले साल की अपेक्षा चावल की उपज बढ़ी है और गेहूं की थोड़ी कम पड़ी है।

---

†मूल अंग्रेजी म

मार्च में प्रकाशित किये गये श्वेत पत्र में दिये गये अनुमानों की तुलना में, व्यापारिक फसलों की उपज में कोई उल्लेखनीय अन्तर नहीं आया। १९५४–५५ की तुलना में १९५५–५६ में, खाद्य अन्न की फसलों और व्यापारिक फसलों को मिलाने पर भी कृषि-उत्पादन के सम्पूर्ण सूचक अंक में लगभग २ प्रतिशत की कमी रह जाती है।

१९५६–५७ के कृषि उत्पादन के सामान्य स्तरों के अनुमानों से संकेत मिलता है कि कुल मिलाकर उत्पादन पिछले वर्ष से कुछ अधिक रहना चाहिए। अनुमान है कि चावल का उत्पादन २ करोड़ ८० लाख टन के आस पास रहेगा जो १९५५–५६ के उत्पादन से १२ लाख टन अधिक है। गेहूं का उत्पादन ८६ लाख टन रहने का अनुमान है जबकि १९५५–५६ में यह ८३ लाख टन था। मोटे अनाज और दालों का उत्पादन लगभग उतना ही रहने का अनुमान है जितना १९५५–५६ में था। जहां तक व्यापारिक फसलों का सम्बन्ध है सबसे हाल की सूचनाओं से पता चलता है कि कपास के उत्पादन में २० प्रतिशत, मूंगफली के उत्पादन में ६ प्रतिशत और गन्ने के उत्पादन में लगभग १७ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लेकिन जैसा कि मेरे साथी ने कल बताया हाल के सप्ताहों में खाद्य स्थिति के बारे में जो सूचनाएं मिली हैं उनसे पता चलता है कि कुछ राज्यों में स्थिति खराब है। इन प्रदेशों में जो स्थिति है, उसको गम्भीरता को कम करके नहीं बताना चाहता। लेकिन आंकड़ों से मालूम होता है कि यदि कुल मिला कर कमी है भी, तो उसका रूप सीमा तक ही है। अपनी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशों से अनाज मंगाने का प्रबन्ध कर लिये जाने और पब्लिक ला ४८० के अनुसार अतिरिक्त अनाज उपलब्ध होने से, पर्याप्त मात्रा की व्यवस्था करना और मूल्यस्तर को बनाये रखना सम्भव होगा। हां, यह मैं मानता हूं कि स्थिति पर सावधानी से दृष्टि रखना और समय समय पर होने वाली स्थिति का सामना करने के लिए आवश्यक व्यवस्था बनाये रखना आवश्यक है।

औद्योगिक उत्पादन में प्रति वर्ष ८ प्रतिशत के हिसाब से वृद्धि जारी रही; नये उद्योगों ने, क्या भारी सामान और क्या उपभोग्य वस्तुओं के क्षेत्र में, पुराने उद्योगों की अपेक्षा अधिक तेजी से प्रगति की। औद्योगिक विकास की गति मैं समझता हूं उत्साहवर्द्धक है। इस क्रिया से भारी सामान (केपिटल गुड्स) की और कच्चे माल के आयात के लिए हमें बहुत अधिक विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ी। विदेशी (मुद्रा) विनिमय के सम्बन्ध में तत्कालिक कठिनाइयां होने पर भी यह आशा करना ठीक होगा कि औद्योगिक क्षेत्र में इसी गति से विकास होता रहेगा।

उत्पादन की प्रवृत्तियों को देखते हुए सम्पूर्ण स्थिति इस प्रकार है : पिछले वर्ष की अपेक्षा, घरेलू वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति में केवल थोड़ा सा सुधार हुआ और इस वर्ष मूल्यों में जो वृद्धि हुई वह सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में बढ़ते हुए निवेश (इन्वेस्टमेण्ट) से उत्पन्न मुद्रा-प्रसारक तत्वों की शक्ति की अपेक्षा वस्तुओं की उपलब्धि में कमी से उत्पन्न होने वाले दबाव को ही प्रकट करती है।

यदि केवल मुद्रा उपलब्धि को ही देखा जाय तो पिछले लगभग बारह महीनों में मुद्रा उपलब्धि बहुत अधिक नहीं थी। १३ अप्रैल, १९५६ और इस वर्ष १२ अप्रैल के बीच इसमें लगभग १३२ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। यह स्मरण रखना चाहिए कि यह वृद्धि शोधन सन्तुलन में भारी कमी होने पर भी हुई, जिससे रिजर्व बैंक के पास की मुद्रा में तीव्र गति से कमी हुई। पिछले बारह महीनों में रिजर्व बैंक के पास रुपया प्रतिभूतियों (सिक्योरिटी) में २७३ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। स्पष्ट रूप से यह मुद्रा-बाहुल्य की द्योतक है जो, मुख्यतः, सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से अधिक ऋण लिये जाने और, अंशतः, प्रतिभूतियां बेच कर अपने साधनों की पूर्ति करने के सम्बन्ध में व्यापारिक बैंकों पर पड़ने वाले दबाव को प्रकट करती है। इस वर्ष अनुसूचित बैंकों ने गैरसरकारी क्षेत्र को पूर्वापेक्षा १४७ करोड़

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

रुपये का अधिक ऋण दिया। इस कार्य से बैंकों की भुगतान क्षमता पर दबाव पड़ा है और मुद्रा दरें बढ़ी हैं। मुद्रा बाजार में तंगी बनी रही। व्यापारिक घूम के एक दौर में, जब बचत की अपेक्षा निवेश बढ़ता जाता है आमतौर पर मुद्रा सम्बन्धी तंगी हो जाती है। यह मुद्रा की अपर्याप्तता का संकेत नहीं है। वर्तमान स्थिति में हमें मुद्रा सम्बन्धी तंगी को दूर करना है। यह काम ऋण उपलब्धि में सामान्य वृद्धि से नहीं, बल्कि कम आवश्यक कार्यों के लिए अत्यन्त अधिक मात्रा में ऋण दिये जाने की रोकथाम करने के उपाय काम में लाकर और प्राथमिकता प्राप्त विकास कार्यों को छंटाई के आधार पर अपेक्षित किस्म का ऋण देने के लिए विशेष व्यवस्था या सुविधाएं पैदा करके पूरा किया जाना है।

देश के सम्मुख निस्सन्देह बड़ी समस्या विदेशी विनिमय पर साधनों लगातार पड़ने वाला भारी दबाव है। १९५६–५७ के वित्त वर्ष के प्रारम्भ से शोधन-सन्तुलन पर बराबर दबाव पड़ रहा है जिससे की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि से लगभग ३०० करोड़ रुपया निकाला जा चुका है। चूंकि, इस अवधि में, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ६०.७ करोड़ रुपये का ऋण लिया गया इसलिए रिजर्व बैंक के पास की विदेश मुद्रा में लगभग २४० करोड़ रुपये की कमी हो गयी।

१९५६-५७ की पहली तिमाही में शोधन-सन्तुलन में ४४.५ करोड़ रुपये का घाटा चालू खाते में दिखलाया गया था; दूसरी तिमाही में यह बढ़कर ८१.४ करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तीसरी तिमाही में, जिस के आंकड़े अब मिले हैं, घाटे में कुछ और वृद्धि हुई और इस की रकम बढ़ कर ८४.८ करोड़ रुपये हो गयी। "सरकारी दामों" को छोड़ कर, जो चालू खाते में दिखलाये गये हैं, तीनों तिमाहियों का घाटा ५४.१ करोड़, ८९.९ करोड़ और ९२.४ करोड़ रुपये था। जनवरी १९५६ से ८६ करोड़ रुपये की और भी विदेशी मुद्रा का उपयोग किया गया है। रिजर्व बैंक की विदेशी परिसम्पद्, इस समय ५०० करोड़ रुपये से कुछ कम है। आयात-नियंत्रण के उपाय करने पर भी विदेशी मुद्रा निकाले जाने की गति में, जो प्रति सप्ताह ५ से ६ करोड़ रुपये है, कमी के लक्षण अभी तक दिखायी नहीं दे रहे हैं। हमें विश्वास है कि हमने जो कदम उठाये हैं और आगे जो आवश्यक कदम उठायेंगे, परेशान करने वाली इस कमी के रहते हुए भी, जल्दी ही उनका प्रभाव पड़ने लगेगा।

स्थूल अनुमान के अनुसार १९५६–५७ में १००० करोड़ रुपये से अधिक के माल का आयात हुआ और लगभग ६५० करोड़ रुपये के माल का निर्यात हुआ। वर्ष भर में जो अधिक माल बाहर से मंगाया गया वह विकास संबंधी प्रयोजनों के लिए मंगाया गया और ज्यों ज्यों समय बीतता जायेगा, इससे अर्थ व्यवस्था दृढ़ ही होनी चाहिए। लेकिन यह स्पष्ट है कि विदेशी मुद्रा का व्यय इस बात को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है कि हमें कितनी विदेशी मुद्रा मिल सकती है, और देश के बाह्य खातों में इस समय जो असन्तुलन है उसे ठीक करना होगा। मार्च में जो श्वेत पत्र पेश किया गया था उस में यह बताया गया था कि इसके लिए क्या उपाय किये गये हैं, और जैसा कि मैं अभी कह चुका हूं, इस दिशा में अन्य आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी।

इस बात की अब गुंजाइश नहीं रही कि हम अपनी विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि से कोई बड़ी रकम निकाल सकें। अब बाहर से माल मंगाते समय इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हम कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं, इस के अलावा हम विदेशी मुद्रा के कितने साधन जुटा सकते हैं और आयोजना की जिन प्रायोजनाओं को सब से पहले पूरा करना है उनकी क्या आवश्यकताएं हैं। १९५७-५८ की दूसरी छमाही की आयात नीति इस बात को ध्यान में रखते हुए बनायी जा रही है कि आयात पर होने वाले व्यय में काफी बचत की जाय। अब तक इतनी अधिक मशीनें आदि और विकास संबंधी

सामान बाहर से मंगाया जा चुका है कि कुछ समय के लिए तो अपने साधनों के अन्दर रहते हुए ही, संतोषजनक गति से काम चलता रहना चाहिए। हां, इस बात का ध्यान रखा जायगा कि जो साज सामान बाहर से मंगाया जा चुका है उसका लाभ उठाने के लिए और उत्पादन का उचित स्तर बनाये रखने के लिए आवश्यक आयात की अनुमति दी जाती रहे। लेकिन यह कहना व्यर्थ है कि कोई कठिनाई होगी ही नहीं। इस समय इस बात की आवश्यकता है कि बाह्य खातों में जितनी जल्दी हो सके फिर से संतुलन लाया जाय, और इसके लिए आवश्यक त्याग करना होगा।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि शोधन-संतुलन की स्थिति में सुधार बहुत हद तक इस बात पर निर्भर है कि मुद्रा-स्फीति के दबाव पर नियंत्रण रखने के लिए देश में क्या नीति अपनायी जाती है। अर्थ-व्यवस्था में क्रय-शक्ति बढ़ जाने से मूल बढ़ जाते हैं। साथ ही इससे माल कम मिलने लगता है और आयात की मांग बढ़ जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि राजस्व-विषयक और मुद्रा संबंधी नीति इस दृष्टि से निर्धारित की जाय कि देश में माल की खपत कम हो और देश में तैयार होने वाला कुछ माल निर्यात किया जा सके। यहां मैं यह बताना चाहता हूं कि १९५७ के पहले तीन महीनों में २६ करोड़ गज सूती कपड़ा बाहर भेजा गया है और यदि सांख्यकों से हमें संतोष मिलता है तो वह यह कि इस हिसाब से वार्षिक औसत १०० करोड़ गज से अधिक बैठती है। मालूम होता है कि सितम्बर में कपड़े के उत्पादन शुल्क बढ़ाने का एक उद्देश्य पूरा हो गया है और उस से कपड़े की कीमतें भी नहीं बढ़ीं यद्यपि हम इसके विपरीत सोचते थे। हमें सदा यह देखते रहना चाहिए कि अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए हम ऐसे अन्य किन उपायों से काम ले सकते हैं।

हाल की आर्थिक प्रवृत्तियों की इस समीक्षा के बाद अब मैं १९५७–५८ के बजट अनुमानों के बारे में संक्षेप में कुछ बताना चाहता हूं।

मार्च १९५७ में जो अनुमान पेश किये गये थे उनमें राजस्व ६३६.२२ करोड़ रुपये और व्यय ६६३.०९ करोड़ रुपये दिखाया गया था। इस तरह से राजस्व खाते में २६.८७ करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे आवश्यक परिवर्तन किये गये जिनसे, वर्तमान कर स्तर के आधार पर, राजस्व खाते के घाटे में अब ६.२५ करोड़ रुपये की वृद्धि का अनुमान है। इसका कारण यह है कि सामान्य राजस्व में डाक तार विभाग के शुद्ध अंशदान में १.२५ करोड़ रुपये की कमी हो गयी है और व्यय ५ करोड़ रुपये बढ़ गया है।

डाक तार विभाग के अंशदान में कमी इसलिए हुई है कि नवीकरण प्रारक्षित निधि के लिए १.२५ करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गयी है। स्थूल रूप से परीक्षा करने से पता चला है कि पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र के परिसम्पत् के मूल्य-ह्रास और प्रतिस्थापन के लिये जो व्यवस्था की जाती रही है वह बहुत कम है और मूल्य ह्रास निधि के लिए लगी हुई पूंजी के कम से कम २.७५ प्रतिशत धन की व्यवस्था होनी चाहिए। इस वर्ष १.२५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जो लगभग १०० करोड़ रुपये की लगी हुई पूंजी का केवल १.२५ प्रतिशत ही है। इस प्रश्न की ब्योरेवार परीक्षा तो अभी की जानी है, लेकिन चालू वर्ष में यह व्यवस्था दुगुनी की जा रही है।

व्यय में वृद्धि तीन मदों के कारण हुई है। एक तो यह कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग को अम्बर चर्खे के विकास के लिए ३.१२ करोड़ रुपया अनुदान के रूप में देने की व्यवस्था की गयी है। पिछले वर्ष ७५,००० नम्बर चरखे चालू करने का कार्यक्रम शुरू किया गया था। हाल ही में इस कार्यक्रम के परिणामों पर विचार किया गया है और इसे जारी रखने और बढ़ाने का फैसला किया गया है।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

अभी तो इस विस्तृत कार्यक्रम के अधीन ९०,००० और अम्बर चरखे चालू करने का विचार है। अनुमान है कि इस कार्यक्रम पर चालू वर्ष में १०.०९ करोड़ रुपया खर्च होगा। इस में से ३.१२ करोड़ रुपया अनुदानों के रूप में और शेष ऋण के रूप में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को दिया जायगा।

दूसरी मद असम सरकार को कुछ सीमावर्ती इलाकों में उपद्रव होने के कारण हाल ही में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने पर जो अधिक व्यय करना पड़ा है उसकी पूर्ति के लिए राज्य सरकार को १.५५ करोड़ रुपये का अनुदान देने की व्यवस्था है। राज्य सरकार को पीड़ित व्यक्तियों को सहायता देने, अन्य राज्यों से पुलिस-दल उधार लेने और आने जाने की सुविधा के लिए सड़कें और पुल बनाने पर बहुत खर्च करना पड़ा है। इस असाधारण रूप से अधिक व्यय के कारण राज्य सरकार पर बहुत बोझ पड़ा है और भारत सरकार ने सहायता के कार्यों और सड़कें तथा पुल बनाने का आधा खर्च और अन्य राज्यों से उधार ली हुई पुलिस का पूरा खर्च बरदास्त करना स्वीकार कर लिया है।

तीसरी मद जिसके कारण व्यय में वृद्धि हुई है यह है कि अमरीका सरकार को उधार पट्टे की चांदी लौटाने के संबंध में परिवहन आदि के प्रासंगिक व्यय के लिए ३३ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। पिछले महायुद्ध में अमरीका सरकार ने भारत सरकार को २२ करोड़ ६० लाख औंस शुद्ध चांदी उधार पट्टे पर दी थी। यह चांदी संकट की स्थिति समाप्त हो जाने के पांच साल बाद लौटानी थी। १७ करोड़ २० लाख औंस शुद्ध चांदी भारत को और शेष पाकिस्तान को लौटानी थी। अब यह निर्णय किया गया है कि भारत सरकार ५ करोड़ औंस शुद्ध चांदी भेजने का तुरन्त ही प्रबन्ध करेगी और १२ करोड़ २० लाख औंस चांदी मिश्रित धातु के चतुःसंख्यक (क्वाटर्नरी) मुद्रा के रूप में दी जायगी। शुद्ध चांदी भेजने के खर्च का भार भारत सरकार उठायेगी; लेकिन मिश्रित चांदी भारत में ही दे दी जायगी और उसके उठाने धरने, ले जाने और शोधन करने का खर्च अमरीका सरकार को बरदाश्त करना होगा। शुद्ध करने से जो धातु निकलेगी वह भी अमरीका सरकार रखेगी। संतुलन करने पर यह सौदा भारत सरकार के लिये लाभदायक ही रहेगा।

मार्च में जो अनुमान पेश किये गये थे उन में पूंजी खाते में से पूंजीगत व्यय के लिए और राज्य सरकारों और अन्य को ऋण देने के लिए ७७२.२१ करोड़ रुपये का व्यय दिखाया गया था। जैसा कि पहले बताया जा चुका है अब खादी और ग्रामोद्योग आयोग को अम्बर चरखा कार्यक्रम के लिए ऋण देने के निमित्त ६.९७ करोड़ रुपये की और आवश्यकता होगी।

पुनर्वित निगम (रिफाइनांस कारपोरेशन) को, जो कि शीघ्र ही बनाने का विचार है, ऋण देने के लिए १५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। अमरीका के पब्लिक ला ४८० के अधीन भारत और अमरीका के कृषि-पदार्थ-करार में अन्य बातों के अलावा यह व्यवस्था है कि २६ करोड़ रुपये की रकम बैंकों की मार्फत गैर सरकारी उद्योगों को ऋण देने के लिए अलग रखी जाय। बाद में अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत करके यह रुपया एक पुनर्वित निगम की मार्फत देने की योजना तैयार की गयी। निगम बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों के एवज में ऋण देने की व्यवस्था करेगा। यह निगम समवाय अधिनियम (कम्पनी एक्ट) १९५६ के अधीन संयुक्त हिस्सा पूंजी कम्पनी के रूप में स्थापित करने का विचार है। शुरू में इसकी साधारण हिस्सा पूंजी १२.५ करोड़ रुपये होगी और रिजर्व बैंक, भारत राज्य बैंक, जीवन बीमा निगम और भारत के १४ बड़े बड़े अनुसूचित बैंक इसके

हिस्से खरीदेंगे। अनुमान है निगम को चालू वित्तीय वर्ष में भारत सरकार से लगभग १५ करोड़ रुपये का ऋण लेना पड़ेगा जो पब्लिक ला ४८० करार के संबंध में निश्चित निधि में से दिया जायगा।

इसके अलावा ५० लाख रुपये की व्यवस्था निर्यात बीमा निगम के हिस्से खरीदने के लिए की गयी है। इस निगम को भारतीय समवाय अधिनियम (इंडियन कम्पनी एक्ट) के अधीन प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप में रजिस्टर किया जायगा। इस की अधिकृत पूंजी २.५ करोड़ रुपये और चुकता पूंजी ५० लाख रुपये होगी। निगम एक समय में अपनी बिकी हिस्सा पूंजी और प्रारक्षित निधि के दस गुने से अधिक का बीमा नहीं कर सकेगा। भारत में निर्यात बीमा योजना शुरू करने के लिए एक निगम स्थापित करने में भारत सरकार का उद्देश्य यह है कि अन्य देशों की भांति भारत में भी निर्यातकों की सुविधा के लिए इस तरह की योजना चालू कर दी जाय।

पूंजी खाते में इन तीन मदों पर २२.४७ करोड़ रुपया खर्च होगा।

पूंजी खाते में व्यय की इस वृद्धि के मुकाबले इस खाते की प्राप्तियों में २५.८३ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। इस में से ९.५६ करोड़ रुपये की रकम रेल विकास निधि में अतिरिक्त अंशदान की है जिसकी १४ मई, १९५७ को रेलवे बजट में जिसे माननीय सदस्य साथी ने पेश किया था। घोषणा की गयी है, और १.२७ करोड़ रुपये की रकम डाक तार नवीकरण प्रारक्षित निधि में अतिरिक्त अंशदान (ब्याज समेत) भी है जिसकी पिछले चर्चा की जा चुकी है। शेष १५ करोड़ रुपया अमरीका के साथ कृषि पदार्थ करार के अधीन सहायता के रूप में प्राप्त होगा। इस मद में पहले ५० करोड़ रुपया जमा खाते में दिखाया गया था, लेकिन अब ६५ करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है। इस तरह कुल मिलाकर १५० करोड़ रुपये की विदेशी सहायता मिलेगी। परिणामतः पूंजी खाते में ३.३६ करोड़ रुपये की शुद्ध प्राप्ति होगी।

पूंजी और राजस्व खातों को मिलाकर कुल कमी २.८९ करोड़ बढ़ जायगी। पहले ३६५ करोड़ रुपये की कमी का अनुमान लगाया गया था लेकिन अब ३६७.८९ करोड़ रुपये की कुल कमी रहने का अनुमान है।

बजट वर्ष की आर्थिक और वित्तीय स्थिति की समीक्षा से स्पष्ट हो जाता है कि जब कि सरकारी और गैरसरकारी दोनों क्षेत्रों में निवेश कार्यक्रम की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिये और अधिक साधनों की आवश्यकता है, अर्थव्यवथा से धन की उतनी बचत नहीं हो रही। बजट सम्बन्धी घाटे, बैंक-ऋणों में तेजी से वृद्धि, मूल्यों पर बराबर दबाव और शोधन सन्तुलन में भारी कमी ये सब बातें इस बात का संकेत करती हैं कि जितनी मात्रा में निवेश किया जा रहा है, उतनी मात्रा में स्वेच्छा से धन की बचत नहीं हो रही। इसके अतिरिक्त हमें आयोजना की समस्त अवधि की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर इन दबावों पर विचार करना है। आयोजना-व्यय को प्रतिवर्ष बढ़ाते रहना पड़ेगा और निवेश के फलीभूत होने तक जितना समय लगना अनिवार्य है, उसमें देश के साधनों पर दबाव बढ़ेंगा। अर्थव्यवस्था द्वारा इन मांगों की सफल पूर्ति तभी सम्भव है, जब राष्ट्रव्यापी आधार पर उत्पादन में वृद्धि की जाय और धन की बचत के कार्य को बढ़ावा दिया जाय। साथ ही यह आवश्यक है कि सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में प्रायः उसी अनुपात से पूंजी लगायी जाय जिस अनुपात से घरेलू बचतों को बढ़ाने में और चालू कार्यक्रम की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त मात्रा में बाह्य वित्त साधन प्राप्त करने में प्रगति होती है। सदन के समक्ष मैं जो नीतियां और प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा उन पर इसी पृष्ठभूमि में विचार किया जाना चाहिए।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

नीति सम्बन्धी पहली मद, जिस पर मैं विचार करना चाहता हूं ऋण सम्बन्धी नीति है। मैं पहले बता चुका हूं पिछले बारह महीनों में बैंक-ऋणमें वृद्धि हुई है और बैंकों की भुगतान क्षमता पर इसका क्या दबाव पड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में गैरसरकारी क्षेत्र में निवेश की गति बराबर बढ़ती जा रही है, और हाल में तो इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे व्यापार और उद्योगों में लगाने के लिए बैंकों से रुपए की और अधिक मांग की जाने वाली है। १९५६ में अनुसूचित बैंकों द्वारा दिये गये ऋण में १५३ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और वह ७८८ करोड़ रुपये हो गया। अनुसूचित बैंकों ने इतना अधिक ऋण इससे पहले कभी नहीं दिया था। इस वर्ष के पहले चार महीनों में इसमें ११९ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और बैंकों में जमा की जाने वाली रकमों में उतनी वृद्धि नहीं हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि मुद्रा बाजार में धन की तंगी रही और आह्वान द्रव्य (काल मनी) की दर और बैंकों से रुपया उधार लेने और बैंकों में रुपया जमा कराने की दरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अर्थव्यवस्था की सम्पूर्ण प्रवृत्तियों को देखते हुए इस प्रकार की स्थिति को दूर करने का उपाय यह नहीं है कि जितनी मांग है उतनी ही मात्रा में मुद्रा उपलब्धि और ऋण में वृद्धि की जाय, बल्कि यह कि वास्तविक मांगों की पूर्ति के लिए उसमें सतर्कता पूर्वक और नियमित ढंग से विस्तार किया जाय और साथ ही ऐसे उपाय काम में लाये जायं जिससे कम आवश्यक कार्यों के लिए अत्यधिक मात्रा में ऋण दिये जाने की रोकथाम हो सके।

इस स्थिति में रिजर्व बैंक की नीति यह रही है कि ऋण बहुत बढ़ जाने से होने वाली मुद्रा स्फीति की सम्भावनाओं को कम करने के लिए ऋण देने पर सामान्य रूप से और छटाई के आधार पर नियंत्रण रखा जाय; लेकिन साथ ही आवश्यक कार्यक्रमों के लिए ऋण देने पर रोक भी न लगायी जाय। विवेकपूर्ण नियंत्रण रखने की इस नीति के अनुसार बैंकों की ब्याज की दर बढ़ा दी गयी। हुंडी (बिल) बाजार योजना के अधीन अग्रिमों पर ब्याज की दर मार्च और नवम्बर १९५६ में, दो बार करके, ३ प्रतिशत बढ़ाकर ३–१।२ प्रतिशत कर दी गयी और इस वर्ष फरवरी में मियादी हुंडियों (बिलों) पर मुद्रांक शुल्क (स्टाम्प ड्यूटी) बढ़ा दिया गया जिससे बैंकों द्वारा लिए जानेवाले ऋणोंपर ब्याजकी प्रभावी दर ४ प्रतिशत हो गयी। साथ ही बैंक ने सरकारी हुंडियों पर ऋण के ब्याज की दर बढ़ाकर ४ प्रतिशत कर दी। इसके अतिरिक्त, जब यह मालूम हुआ कि बैंक से उधार ली गई हुई कुछ रकम सट्टे में, और विशेषत: अनाज और अन्य ऐसी चीजों के सट्टे में लगायी जाती है जिसकी कमी है, तो रिजर्व बैंक ने ऐसी वस्तुओं पर ऋण देने के नियमन के संबंध में आदेश जारी किये।

इन उपायों का सामान्य रूप से प्रभाव पड़ा है। ज्यादा कारबार वाले पिछले मौसिम के मुकाबले में, इस मौसिम में, जो अब समाप्त होने को है, ऋण में कम वृद्धि हुई। छंटाई के आधार पर नियंत्रण के तरीके का बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की मात्रा पर कुछ प्रभाव पड़ा है; जिन क्षेत्रों के संबंध में इस तरह नियंत्रण रखा गया है उनमें मूल्य नहीं बढ़ने पाये और साधनों को ज्यादा उचित क्षेत्रों में लगाने मे सहायता मिली है। इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि रिजर्व बैंक की नीति ऋणों पर नियंत्रण रखने की ही नहीं रही; वास्तव में उसकी नीति नियंत्रित विस्तार की रही है। इस में हुंडी बाजार योजना और खुले बाजार की नीति (ओपन मारकेट पालिसी) से बैंक की ऋण संबंधी सुविधाओं के बढ़ जाने से बड़ी सहायता मिली है। बैंक, हुंडी बाजार योजना के अधीन इन विस्तृत सुविधाओं से बड़े पैमाने पर लाभ तभी उठा सकते हैं जब उनमें अधिक रकम जमा हो। इस दिशा में कुछ प्रगति हुई है। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि बैंकों को इस बात की अधिक कोशिश करनी चाहिए कि लोग,

विशेषत: ऐसे लोग जिन्हें बैंकों में रुपया जमा कराने की आदत नहीं है, अधिक धन बैंकों में जमा कराने लगें।

चालू और बाद के वर्षों में विकास कार्यक्रमों की बढ़ती हुई गति को देखते हुए मुझे विश्वास हो गया है कि आगे भी रुपया उधार देने की नीति यही होनी चाहिए कि आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन कार्य में बाधा डाले बिना धन की मांग के दबाव को हलका किया जाना चाहिए। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए रिजर्व बैंक अपनी बैंक दरों में बराबर संशोधन करता रहा है। आज कुछ समय पहले बैंक ने बैंक दर को ३-१।२ प्रतिशत से बढ़ाकर ४ प्रतिशत कर दिया है। चूंकि कुछ महीनों से रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंकों को रुपया उधार दिये जाने की ब्याज प्रभावी दर ४ प्रतिशत रही है और बाजारों को इस दर के अनुसार समायोजन करने के लिये काफी समय मिल चुका है, इसलिये रिज़र्व बैंक द्वारा रुपया उधार देने की दर के ढांचे को, स्वयं बैंक की दर में वृद्धि करके, वैज्ञानिक संगति देने का यही उपयुक्त अवसर जान पड़ता है। और भी बातें हैं जिन से बैंक दर में इसी समय यह समायोजन करना वांछनीय जान पड़ता है। मुझे पता है कि विकास शील अर्थ-व्यवस्था में बैंक दर पूर्णत: प्रभावशाली नहीं बन सकती। इतने पर भी बैंक दर में वृद्धि होने से उधार की मांग के दबाव को हलका करने में रिजर्व बैंक को सहायता मिलेगी। यद्यपि बैंक के सबसे हाल के निर्णय से ही जान पड़ेगा कि यह वास्तविक स्थिति की औपचारिक स्वीकृति है फिर भी यह कार्य, जिस आर्थिक स्थिति का विश्लेषण मैंने सभा के सामने उपस्थित किया है उसके अनुसार, अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत मुद्राबाहुल्य की शक्ति को कम करता है। बैंक दर में वृद्धि होने से मुद्दती बिलों के मुद्रांक शुल्क (स्टाम्प ड्यूटी) को वर्तमान स्तरों पर बनाये रखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं तीन महीने के लिए इसे तत्काल घटा कर प्रति १००० रुपये पर ५० नये पैसे कर रहा हूं।

इसी प्रसंग में मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि उद्योग धन्धों की मध्यावधि आवयश्कताओं को पूरा करने के लिए पुनर्वित निगम की स्थापना के लिये हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे आशा है कि यह निगम समय आने पर हमारी वर्तमान औद्योगिक वित्तपोषण प्रणाली के रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकेगा। जिस नियंत्रित प्रसार की नीति का मैंने कुछ ही पहले उल्लेख किया है यह उसके वास्तविक रूप का एक उदाहरण है।

अब मैं अपनी दूसरी बात को लेता हूं जिस का सम्बन्ध छोटी-छोटी बचतों से है। अन्ततः अर्थ-व्यवस्था में प्रसार की सीमा का निर्धारण बचतों की उपलब्धि से होता है और भारत जैसे देश में जहां बैंकों में रुपया जमा कराने के स्वभाव का विकास नहीं हुआ छोटी बचतों का विशिष्ट महत्व है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की सम्पूर्ण अवधि में छोटी बचतों के आन्दोलनों की प्रगति उत्साहवर्धक रही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य के अनुसार प्रति वर्ष छोटी बचतों के संग्रह को बढ़ाने की आवश्यकता है और मैं इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक हूं कि सभी प्रकार की छोटी बचतों में धन लगाने वाले के लिए पर्याप्त प्रेरणा होनी चाहिए। मेरे विचार से छोटी बचतों का आन्दोलन धन-संग्रह करने के उपाय से कुछ अधिक है; यह योजना उद्योग में साधारण जन द्वारा हाथ बटाने को प्रोत्साहन देने और मितव्ययता के प्रसार की योजना है। इस अवसर पर मैं प्रत्येक परिवार से, चाहे वह शहरी क्षेत्र का हो या देहात का, यह अपील करूंगा कि वह और अधिक बचत करे और छोटी बचतों के आन्दोलन को सफल बनाये।

जब कि छोटी बचतों के आन्दोलन को जोरदार बनाना है मैं १ जून, १९५७ से छोटी बचतों में लगायी जाने वाली रकमों के ब्याज की दर में वृद्धि करने का भी प्रस्ताव रखता हूं। संक्षेप में, मैंने

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

डाकखाने के सेंविंग्स बैंक में जमा की जाने वाली रकमों के ब्याज की दर में १।२ प्रतिशत की वृद्धि करने और वर्तमान राष्ट्रीय बचत पत्रों तथा राष्ट्रीय आयोजन पत्रों के स्थान पर १२ वर्षीय बचत पत्रों की एक नयी श्रंखला जारी करने का निश्चय किया है जिसे राष्ट्रीय आयोजना बचत पत्र कहा जायगा। अब सेविंग्स बैंक में जमा रकमों के ब्याज की दर, व्यक्तियों के लिए १०,००० रुपये तक की रकमों पर २ १।२ प्रतिशत और १०,००० रुपये से अधिक किन्तु १५,००० रुपये तक की रकमों पर २ प्रतिशत, और संस्थाओं की रकमों के लिये २ प्रतिशत होगी। आगे से केवल दो प्रकार के बचत पत्र होंगे : (१) राष्ट्रीय आयोजना बचत पत्र, जो १२ साल में पकेंगे और (२) राजकोष बचत जमा पत्र जो दस साल में पकेंगे। दोनों की प्राप्तियों में वृद्धि हो जायेगी; पहले में १२ वर्ष समाप्त होने पर ४.२५ प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा और दूसरे में १० वर्ष समाप्त होने पर ४ प्रतिशत ब्याज मिलेगा। दोनों ही बचत पत्रों पर किसी प्रकार का कर नहीं देना पड़ेगा जो लोग उन्हें १२ वर्ष से कम समय तक रखेंगे उनके मामलों में प्राप्ति को समुचित रूप से समायोजित कर दिया जायगा। उदाहरण के लिये राष्ट्रीय आयोजना बचत पत्र में लगाये गये १०० रुपये ७ वर्ष बाद १२७ रुपये, १० वर्ष बाद १४८ रुपये और १२ वर्ष बाद १६५ रुपये हो जायेंगे। जहां तक राजकोष बचत जमा पत्रों का सम्बन्ध है उल्लिखित दर का ब्याज प्रतिवर्ष दिया जाता है, किन्तु यदि रुपया लगाने वाला व्यक्ति इसे, पकने से पहले, भुनाने का निश्चय करता है, तो उसका भी हिसाब बैठा दिया जाता है। जहां तक राष्ट्रीय आयोजना बचत पत्रों का सम्बन्ध है न भुनाये जाने की अवधि १२ महीने निर्धारित की जायेगी। राष्ट्रीय आयोजना पत्रों और ७ वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्रों का और आगे जारी किया जाना बन्द कर दिया जायगा।

इस समय हमें राजस्व विषय और मुद्रा सम्बन्धी नीति इस ढंग से बनानी है, जिससे बिना किसी सन्देह के यह बात स्पष्ट हो जाय कि जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमने आयोजना को यथा सम्भव पूर्णरूप से क्रियान्वित करने के लिये भरसक प्रयत्न करने का दृढ़ संकल्प कर रखा है। हमें देश के भीतरी साधनों को बढ़ाने के लिये भरसक प्रयत्न करना है और अभी कुछ देर बाद मैं अपने कर-प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा जो इस दृढ़ संकल्प के द्योतक हैं। यह बात स्पष्ट है कि केवल देश के भीतरी साधनों को बढ़ाने की ही नहीं, बल्कि ऐसे अर्थोपाय ढूंढ़ निकालने की भी समस्या है, जिससे आयोजना की बहुत अधिक आवश्यकताओं को देखते हुए विदेशी (मुद्रा) विनिमय साधनों को पहले तो बचाया और फिर बढ़ाया जा सके। संभवतया मैं इस बात पर ज्यादा जोर दे रहा हूं किन्तु परिस्थितिवश यह आवयश्क है। घरेलू आर्थिक नीति के क्षेत्र में हम जो कदम उठा रहे हैं आशा है उनका हमारे विदेशी (मुद्रा) विनिमय पर लाभकारी प्रभाव भी पड़ेगा, लेकिन विदेशी (मुद्रा) विनिमय साधनों को बचाना और उन्हें बढ़ाना कठिन-तर समस्या है। निर्यात द्वारा हम कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं, यह ऐसा विषय नहीं, जो सरासर हमारे हाथ की बात हो; यह दुनिया भर में मांग और मूल्यों पर निर्भर है। इसी प्रकार विदेशों से मंगायी जाने वाली वस्तुओं के लिये हमें जो मूल्य चुकाने पड़ते हैं, वे हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। हम केवल आयात की मात्रा को सीमित कर सकते हैं। यहां भी समस्याएं सामने आती हैं। आयात में हम जो कटौती करते हैं, वे कुछ समय बाद ही प्रभावी होती हैं। साथ ही विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था के लिये अधिकाधिक आयात की आवश्यकता होती है, और सीमित-आयात-नीति से ऐसी वस्तुओं के आयात में बाधा पड़ने का खतरा है जिनकी विकास के लिए आवश्यकता है। अतः विदेशी (मुद्रा) विनिमय नीति बड़े की नाजुक संतुलन का मामला है और मेरे विचार में, यह ऐसा संतुलन है जिसमें अनुकूल वायु का झोंका बड़ा अन्तर पैदा कर सकता है।

मार्च में प्रकाशित श्वेतपत्र में बताया गया था कि विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए क्या क्या उपाय किये गये हैं। इस वर्ष की पहली छमाही के आयात कार्यक्रम में आयात में काफी कमी की गयी और मेरा ख्याल है कि वर्ष की दूसरी छमाही के आयात कार्यक्रम में इसमें और ज्यादा कमी करनी पड़ेगी। पूंजीगत वस्तुओं के आयात के संबंध में सरकार पहले ही अपनी नीति की घोषणा कर चुकी है। गैरसरकारी क्षे में पूंजी लगाने वालों को इस बात के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि वे विदेशों से मध्य अवधि के ऋण में और विदेशी उद्योगपतियों आदि से कहें कि वे उनके साथ मिल कर भारत के उद्योगधन्धों में धन लगायें। हमारे सामने कठिन समय है और हमें आयात के सम्बन्ध में अत्यन्त सावधानी और सतर्कता से काम लेना होगा और साथ ही निर्यात से होने वाली आमदनी को बढ़ाने के लिए भी सभी सम्भव उपाय काम में लाने होंगे। इस तथ्य से कि पिछले बारह महीनों में आयात का स्तर बहुत अधिक ऊंचा रहा है, इस धारणा की पुष्टि होती है कि अर्थ व्यवस्था में, किसी भारी गड़बड़ के बिना कुछ समय के लिए आयात में काफी कटौती की जा सकती है। कुछ भी हो, मैं फिर यह बता देना चाहता हूं कि सरकार ने बाह्य-खातों को सुधारने का पक्का निश्चय कर रखा है।

कम उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देश को, जो उद्योगीकरण का कार्यक्रम प्रारम्भ करता है अनिवार्य रूप से विदेशों से ऐसा सारा या लगभग सारा साजसामान और पूंजीगत माल मंगाना पड़ता है, जिसकी सही ढंग से कार्यारम्भ करने के लिए उसे जरूरत होती है। फिर भी काम शुरू करना पड़ता है और इसमें जोखिम उठानी पड़ती है। वस्तुस्थिति को देखते हुए विदेशी (मुद्रा) विनिमय के क्षेत्र में नीति और कार्यक्रम को उतना ठीक ठीक व्योरेवार नहीं बनाया जा सकता जितना कि घरेलू नीति के सम्बन्ध में। द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना पर बहुत अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा व्यय करनी होगी; और शोधन-संतुलन में जितने अन्तर का अनुमान था वह बढ़ गया है। इसका एक कारण यह है कि पहले अनुमान कम लगाया गया था और दूसरा यह कि विदेशों में मूल्य बढ़ गये हैं। यह अन्तर आसानी से पूरा नहीं किया जा सकता। हमें वे उपाय करने की पूरी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी जो मैंने बताये हैं। साथ ही यह मानना पड़ेगा कि हम ने जो विकास कार्य हाथ में लिया है उसे पूरा करने के लिए काफी ज्यादा विदेशी साधनों की आवश्यकता होगी। मुझे विश्वास है कि यदि हमने समुचित प्रयत्न किया तो हम उन संक्रान्तिकालीन कठिनाइयों पर विजय पा लेंगे जो इस समय हमारे सामने हैं।

आयोजना बनाते समय इस पर जितना व्यय होने का अनुमान लगाया गया था अब उस से अधिक व्यय होने का अनुमान है। आयोजना का निश्चित कार्यक्रम के अनुसार पूरा होना अन्य बातों के अलावा, काफी, बड़े पैमाने पर बाह्य साधनों की उपलब्धि पर निर्भर है, और इन बाह्य साधनों की सब से अधिक आवश्यकता आयोजना के प्रारम्भिक काल में है। समस्या के इस पहलू पर हम बराबर विचार कर रहे हैं। इस समय यह नहीं बताया जा सकता कि विदेशी मुद्रा की कमी से आयोजना की प्रगति में कहां तक बाधा पड़ेगी। इस्पात, कोयला, परिवहन व्यवस्था और इनके लिए आवश्यक बिजली, आयोजना के मूलाधार हैं। मेरा विचार है कि हमें अब तक जितनी विदेशी सहायता का वचन मिल चुका है उससे, और इसके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय बैंक और अन्य साधनों से मिलने वाली सहायता से हम इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की प्रायोजनाएं पूरी कर सकेंगे। इन कार्यक्रमों को सब से पहले पूरा करने का निश्चय किया गया है क्योंकि भविष्य में विकास पर इनका बहुत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जहां तक अन्य प्रायोजनाओं का संबंध है, विशेषतः ऐसी प्रायोजनाओं का जिनके लिये इस समय विशेष रूप में विदेशी सहायता मिलने की आशा नहीं है, और जिन्हें प्राथमिकता भी नहीं दी गयी, बुद्धिमानी इसी

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

बात में है कि उनके बारे में तब तक कोई नये दायित्व न लिये जायं जब तक स्थिति अधिक स्पष्ट न हो जाय और हमें इस बात का अधिक विश्वास न हो जाय कि हम उनके लिए आवश्यक विदेशी साधन जुटा पायेंगे । आयोजना का फिर से क्रम निर्धारण तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जैसी कि मुझे आशा है, अगर शीघ्र ही शोधन-संतुलन की स्थिति सुधर गयी और अगर हम पर्याप्त मात्रा में विदेशी साधन जुटाने में सफल हो गये तो आयोजना की पूर्ति का काम निश्चित समय से बहुत अधिक पिछड़ना नहीं चाहिए ।

कुछ क्षेत्रों में अगर आयोजना के परिपालन में कठिनाइयां न भी होतीं-जैसी कि हो रही हैं-तो भी इसके कुछ भागों का फिर से क्रम निर्धारण शायद आवश्यक होता। पिछले कुछ वर्षों में देश का जिस गति से विकास हुआ है उससे हमारे लिए आयोजना के सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों की ओर अधिक ध्यान देना आवश्यक हो गया है । आयोजना में यह लक्ष्य रखा गया है कि १५ से २० वर्ष की अवधि में राष्ट्रीय आय धीरे धीरे बढ़ायी जाय । विकास इस लिये अनिवार्य हो गया है कि सभी पहलुओं से रहन सहन का सुधार करना और ऐसा वातावरण पैदा करना, जिसमें लोकतंत्रात्मक मूल्य और रहन सहन जड़ पकड़ सकें और दृढ़ हो सकें, बहुत ही आवश्यक हो गया है । जो लोग यह समझते है कि आयोजना के लक्ष्य बहुत ऊंचे रखे गये हैं उनसे मेरी सविनय प्रार्थना है कि वे यह देखने की कृपा करें कि देश में अधिकतर लोगों का रहन-सहन कैसा है । अगर वे इतना करेंगे तो मुझे विश्वास है वे भी मेरी तरह यह समझने लगेंगे कि कई दिशाओं में आयोजना के लक्ष्य उतने ऊंचे नहीं हैं जितने होने चाहिएं। पिछले कुछ वर्षों में लोगों के खाने में शायद पहनावे में भी कुछ सुधार हुआ है । मकानों के संबंध में और शहरों और गांवों में कम आय वाले लोगों के निवासस्थान के आस पास ही जगह की सफाई के संबंध में स्थिति बहुत खराब है । हमारे नगरों की गंदी बस्तियां अपने को सभ्य समझने वाले किसी भी समाज के लिये कलंक है। मेरी बड़ी इच्छा है कि इस दृष्टि से आयोजना को मजबूत बनाया जाय।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रहन-सहन सुधारने में हमें अभी तक जो सफलता मिली है उससे यह और भी आवश्यक हो गया है कि यह काम अधिक उत्साह और दृढ़ निश्चय के साथ जारी रखा जाय। भारत के करोड़ों लोग कई ऐसी नयी इच्छाएं और आवश्यकताएं अनुभव करने लगे हैं जो पिछली कई पीढ़ियों में देखने में नहीं आयीं। यह अनुभव होने से कि सभी का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है, यह इच्छा भी पैदा हो गयी है कि वांछित सुधार जल्दी से जल्दी हो जायं। चाहे वह कारखानों के मजदूरों की अधिक मजदूरी और अच्छे मकानों के लिए मांग हो, और चाहे वह कम वेतन पाने वाले अध्यापकों और सरकारी कर्मचारियों की न्याय-व्यवहार और अधिक सुरक्षा के लिए मांग हो, ये सब नयी जागृति और आर्थिक भविष्य के लिए प्रयत्नशीलता की द्योतक हैं जो एक स्वतंत्र समाज के नागरिकों के गौरव के अनुरूप हैं । ऐसी परिस्थिति में हम यह नहीं कह सकते कि यह सब तभी हो सकता है जब किसी न किसी तरीके से देश की वित्तीय स्थिति सुधर जाय। इस समय चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों हमें यह देखना होगा कि लोगों की विशेषतः कम आय वाले वर्गों की क्या जरूरत हैं और जहां तक हो सकेगा इन जरूरतों को पूरा भी करना होगा। मैं यह मानता हूं कि लोगों की जरूरतें उचित होने के साथ-साथ अनगिनत भी हैं इस लिए इन्हें पूरा करने में यह निश्चय करना होगा कि कौन सा काम पहले किया जाय और कौन सा बाद में। समाज के कम सौभाग्यशाली वर्गों की आय में भी इस समय बड़ी विषमता है। इसलिए यह आवश्यक है कि कुछ लोगों की जरूरतें दूसरों से पहले पूरी की जांय। उदाहरण के तौर पर राज्य सरकारों और

स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों जैसी अच्छी हालतों में काम नहीं कर रहे। मैं बहुत ही विनीत भाव से यह दावा करूंगा कि केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में इन लोगों की स्थिति सुधारने के उपाय किये हैं। लेकिन कई राज्यों के पास धन का अभाव होने के कारण हमें अधिक सफलता नहीं मिली। मुझे फिर यही बात कहनी पड़ती है कि लोगों का रहन-सहन सुधारने में इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जब सब से पहले उन लोगों की सहायता की जाय जिन्हें सब से अधिक जरूरत है। मैं यह भी जानता हूं कि रहन-सहन सुधारने के प्रयत्न में हमें निवेश सम्बन्धी आवश्यकताओं को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन यथार्थता का पूरा पूरा ध्यान रखते हुए भी यह कहना कि आयोजना के लक्ष्य बहुत ऊंचे हैं पहले से अपनी हार मान लेना है। हम ने जो काम हाथ में लिये हैं वे करने योग्य हैं। उनके पूरा होने से आगे विकास में सहायता मिलेगी। इन कार्यों को पूरा करने में हमें किसी भी प्रयत्न या त्याग से संकोच नहीं करना चाहिए।

आज कल हमारे सब विचार आयोजना पर ही केन्द्रित हैं और हमारी सब नीतियां इसी को ध्यान में रख कर बनायी जा रही हैं। और जो देश विकास को सब से अधिक महत्व देता हो उसमें और हो भी क्या सकता है ? आयोजना को कार्य रूप देने में ये कठिनाइयां तो पेश आयी हैं, लेकिन मुझे घबराहट का कोई कारण दिखायी नहीं देता। जरूरत इस बात की है कि हम आवश्यक त्याग के लिए तैयार रहें और आयोजना को क्रियान्वित करने में जो समस्याऐं सामने आयें उन्हें साहस और सूझ बूझ से हल करें ।

अब मैं आर्थिक नीति के बहुत ही जटिल अंग को लेता हूं और यह अंग है कर-निर्धारण। मैं समझता हूं कि इन प्रस्तावों को सभा के सामने रखने का साहस प्राप्त करने के लिए मैं पहले कुछ बातें बताऊं। इस वर्ष के कर सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले मैं अपनी कर-निर्धारण नीति का संक्षेप में स्पष्टीकरण करूंगा। वर्तमान परिस्थितियों में कर-निर्धारण नीति और प्रस्ताव इन सिद्धान्तों के आधार पर बनाने पड़ेंगे :

(क) इनसे सरकारी राजस्व में भारी वृद्धि होनी चाहिए;

(ख) इनसे अधिक रुपया कमाने और अधिक बचाने की प्रेरणा मिलनी चाहिए;

(ग) इन से व्यापक रूप से खपत का नियंत्रण होना चाहिए जिससे देश में मुद्राबाहुल्य के दबाव को काबू में रखा जा सके और पूंजी लगाने के साधनों को मुक्त किया जा सके; और

(घ) इन से करों के ढांचे में परिवर्तन होने चाहिएं जिन से आमदनी बढ़ने पर करों से क्रमशः अधिक प्राप्ति होने लगे और सरकार तथा देश ने जिन उद्देश्यों को स्वीकार किया है उनका समुचित ध्यान रखते हुए अर्थ-व्यवस्था का व्यवस्थित ढंग से विकास करने में सुविधा हो सके।

जैसा कि मैंने विगत मार्च में अपने बजट भाषण में बताया था ३६५ करोड़ रुपये का सम्पूर्ण घाटा, जिसे मैंने उस समय पूरा किये बिना ही छोड़ दिया था, वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में बहुत अधिक है। जिन परिवर्तनों का समावेश मैं इस बजट में कर रहा हूं उन से यह प्रारम्भिक घाटा प्रायः ज्यों का त्यों रहता है और मेरे विचार से इस घाटे को काफी कम करने के उपाय ढूंढ निकालना बहुत ही आवश्यक है। नीति सम्बन्धी जिन अन्य सिद्धान्तों का मैंने अभी उल्लेख किया है उनकी व्याख्या

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु मैं समझता हूं, ज्यों ज्यों मैं इस वर्ष के अपने कर-प्रस्तावों का स्पष्टीकरण करता चलूंगा इनका प्रयोग स्पष्ट होता जायगा।

सब से पहले मैं अपने प्रस्तावों का प्रारम्भ अप्रत्यक्ष करों से कर रहा हूं। पहले सीमा-शुल्कों को लीजिए। आप समझते ही हैं कि इन से अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति की गुंजाइश कम ही है। माननीय सदस्यों को पता है कि अपने विदेशी मुद्रा-व्यय को कम करने के लिए हमने वस्तुओं के आयात पर कितने कठोर नियंत्रण लगा रखे हैं। इसके अलावा, तथाकथित विलास सम्बन्धी वस्तुओं में से अधिकांश पर काफी ऊंचे आयात-शुल्क लगे हुए हैं और भारी सामान (केपिटल गुड्स) तथा औद्योगिक कच्चे माल पर लगने वाले शुल्कों को आवश्यकतावश अधिक से अधिक नीचे रखना है। जो प्रस्ताव मैंने रखे हैं उनमें लगभग ८४ वस्तुओं पर शुल्क की दरों को थोड़ा सा बढ़ाने की कल्पना की गयी है। इसी के साथ मैंने सीमा-शुल्क संबंधी आयात-निर्यात-शुल्क-सूची (टेरिफ) में, जिसमें कई सौ मदें हैं, दी गयी दरों को भी वैज्ञानिक संगति देने का प्रयत्न किया है। इन दरों में बहुत अधिक वैषम्य है जिसका कोई विशेष महत्व नहीं है और सच पूछिये तो इससे प्रशासन सम्बन्धी झंझट ही बढ़ता है। मैंने आयात-निर्यात-शुल्क-सूची में दी गई दरों को पहले की अपेक्षा सरल रूप देने का प्रयत्न किया है और इस प्रक्रिया में अधिभारों (सरचार्ज) को बुनियादी दरों में मिला दिया गया है। इस अवसर से लाभ उठा कर मैंने सूची में दी गयी दरों को दाशमिक मुद्रा में दिखलाया है। निर्यात शुल्कों में और कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। सब मिलाकर, आयात-शुल्क सम्बन्धी मेरे प्रस्तावों से लगभग ६ करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी; यह प्राप्ति बहुसंख्यक मदों से होगी जिन्हें इस समय गिनाना सम्भव नहीं है।

अब मैं केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों को लेता हूं। मैं तुरन्त ही बता देना चाहता हूं कि इस शीर्षक के अन्तर्गत मैं बहुत से प्रस्ताव रखना चाहता हूं। मेरे मस्तिष्क में दो बातें हैं : एक तो यह कि खपत को नियंत्रित किया जाय और दूसरी यह कि निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाय।

मैं इन वृद्धियों का प्रस्ताव रखता हूं :—

(१) **मोटर स्पिरिट** : मोटर स्पिरिट पर वर्तमान उत्पादन शुल्क जो अधिभार (सरचार्ज) सहित अभी प्रति इम्पीरियल गैलन ९८ नये पैसे हैं, बढ़ा कर प्रति इम्पीरियल गैलन १२५ नये पैसे कर दिया जाय। इस से पूरे एक वर्ष में ६.६५ करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी।

(२) **रिफाइंड डीजल आयल (तेल)** : प्रति इम्पीरियल गैलन २५ नये पैसे का वर्तमान शुल्क बढ़ा कर प्रति इम्पीरियल गैलन ४० नये पैसे कर दिया जाय। अनुमान है कि इससे पूर एक वर्ष में १.९० करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी।

(३) **डीजल आयल (तेल), जिसका अन्य प्रकार से उल्लेख नहीं हुआ** : यह शुल्क प्रति टन ३० रुपय से बढ़ा कर प्रति टन ४० रुपये कर दिया जाय। इससे अनुमानतः एक वर्ष में ३५ लाख रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी।

(४) **मिट्टी का तेल** : वर्तमान शुल्क प्रति इम्पीरियल गैलन १८.७५ नये पैसे है। इस आंशिक भिन्न को हटाकर, प्रति इम्पीरियल गैलन २० नये पैसे कर दिया जाय। इससे पूरे एक वर्ष में २० लाख रुपये की प्राप्ति होगी।

(५) **सीमेण्ट** : प्रति टन ५ रुपये का वर्तमान शुल्क, बढ़ा कर प्रति टन २० रुपये कर दिया जाये । इससे ६.७ करोड़ रुपये की वार्षिक प्राप्ति का अनुमान है ।

(६) **इस्पात पिण्ड** : वर्तमान शुल्क प्रति टन ४ रुपये से बढ़ा कर प्रति टन ४० रुपये कर दिया जाय । इससे ५.७ करोड़ रुपये की वार्षिक प्राप्ति होगी ।

(७) **चीनी** : सब से अधिक वृद्धि चीनी में की गई है । वर्तमान शुल्क प्रति हण्डरवेट ५.६२ रुपये से बढ़ाकर प्रति हण्डरवेट ११.२५ रुपये कर दिया जाय । इससे पूरे एक वर्ष में १८.५५ करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी ।

(८) **असारीय निर्गन्ध वनस्पती तेल (वेजिटेबिल नान एसेंशल आयल)** : प्रति टन ७० रुपये का शुल्क बढ़ाकर प्रति टन ११२ रुपये कर दिया जाय । इस का अर्थ प्रति पौण्ड ३ नये पैसे से ५ नये पैसे की वृद्धि होगा । इस मद से एक वर्ष में ३.१५ करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान है ।

(९) **चाय** : शुल्क में इस प्रकार की वृद्धि की जाय :—

(क) खुली चाय—प्रति पौण्ड ६.२५ नये पैसे से प्रति पौण्ड १० नये पैसे

(ख) बन्द चाय, जो शुल्क अदा की गयी खुली चाय से लेकर बंद (पैक) की गयी हो—प्रति पौण्ड १८.७५ नये पैसे से प्रति पौण्ड ३५ नये पैसे

(ग) बन्द चाय—प्रति पौण्ड २५ नये पैसे से प्रति पौण्ड ४५ नये पैसे । इस से एक वर्ष में २.४५ करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी ।

(१०) **कहवा** : कहवे पर संपूरक शुल्क के रूप में वर्तमान शुल्क प्रति पौण्ड १८.७५ नये पैसे से बढ़ाकर प्रति पौण्ड ३५ नये पैसे कर दिया जाय । इसे ८० लाख रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति का अनुमान है ।

(११) **अनिर्मित तमाकू** : शुल्क में इस प्रकार वृद्धि की जानी चाहिए :—

(क) यदि यह धूम्र शोधित से पृथक है और सिगरट बनाने या पाइप (तमाकू पीने की नली) और सिगरेटों के लिए धूम्रपान विषयक मिश्रण बनाने का काम आता है—प्रति पौण्ड ५६ नये पैसे से प्रति पौण्ड ७५ नये पैसे ।

(ख) यदि यह धूम्रशोधित नहीं है और सिगरेट बनाने या पाइप (तमाकू पीने की नली) और सिगरेटों के लिए धूम्रपान विषयक मिश्रण बनाने के काम नहीं आता और ऐसा तमाकू पूरे पत्ते के रूप में ही चूर्ण रहित करके बन्द (पैक) कर दिया जाता है या बण्डलों, लच्छियों या गुच्छियों के रूप में या रस्सी के रूप में बंट कर या ऐंठ कर बांध दिया जाता है—प्रति पौण्ड ३७ नये पैसे से प्रति पौण्ड ५० नये पैसे

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

(ग) यदि यह धूम्र शोधित से पृथक हैं और इस का अन्य प्रकार से उल्लेख नहीं हुआ—— प्रति पौण्ड ८७ नये पैसे से प्रति पौण्ड १०० नये पैसे

इन वृद्धियों से पू` एक वर्ष में कुल ६.१५ करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्राप्ति होगी ।

(१२) **दियासलाई** : वर्तमान शुल्क बढ़ा दिये जायें जिस से ६० और ४० तीलियों की डिबिया क्रमशः ६ नये पैसे और ४ नये पैसे में बेची जा सकें । इन वृद्धियों से पूरे एक वर्ष में ६.२ करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति का अनुमान है ।

(१३) **कागज** विभिन्न प्रकार के कागजों का वर्तमान शुल्क बढ़ा दिया जाय । इससे प्रतिवर्ष कुल २ करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति का अनुमान है ।

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों से सम्बन्ध रख` वाले इन प्रस्तावों से पूरे एक वर्ष में ६०.८० क ोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान है। चालू वर्ष के शेष भाग में ५३.२० करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान है जिस में से तमाकू और दियासलाइयों से सम्बन्ध रखने वाला राज्यों का हिस्सा लगभग ४.२ करोड़ रुपये होगा ।

इस सभा में इन ृद्धियों की सिफारिश करते हुए मैंने जिन विभिन्न मदों की सूची दी है उन के मध्य सन्तुलित वृद्धियों को आवश्यकता का मैंने ध्यान रखा है । सीमेण्ट और इस्पात के सम्बन्ध में जिन वृद्धियों का प्रस्ताव रखा गया है वे भारी हैं, किन्तु अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत इनसे मांग में तेजी से जो वृद्धि हो रही है और जो तंगी बढ़ती जा रही है, जिससे खुदरा मूल्यों में वृद्धि हो रही है, उसे देखते हुए ये वृद्धियां उचित हैं। चीनी के शुल्क में ृद्धि करने का उद्देश्य वही है जो पिछले वर्ष कपड़े के उत्पादन-शुल्क में ृद्धि करने का था, अर्थात् निर्यात में वृद्धि करने के उद्देश्य से `श के अन्दर खपत को नियन्त्रित किया जाय। जहां तक दियासलाइयों का सम्बन्ध है वर्तमान शुल्क इस दृष्टि से लगाये गये थे कि ६० तीलियों की डिबियां ३ पैसे में और ४० तीलियों की डिबियां २ पैसे में बेची जा सके। दाशमिक सिक्का प्रणाली के अनुसार इन मूल्यों के बराबर का मूल्य क्रमशः ४.७ नये पैसे और ३.१ नये पैसे होता है जिस का प्रभाव यह होता है कि खुदरा मूल्य क्रमशः ५ नये पैसे और ३ नये पैसे होता । उत्पादन-शुल्क में अब जिस वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है उस से खुदरा मूल्य क्रमशः ६ नये पैसे और ४ नये पैसे हो जायगा ।

तमाकू के संबंध में यह सर्वविदित है कि जनवरी १९५६ में संसद् सदस्य श्री रघुरमिया की अध्यक्षता में तमाकू विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की गयी थी। इस समिति को अनिर्मित तमाकू के सम्बन्ध में कर निर्धारण के सिद्धांत को लागू करने की प्रणाली की छानबीन करने का काम सौंपा गया था। समस्या पर सावधानी से विचार करने के बाद समिति ने सिफारिश की है कि निर्धारण के उद्देश्य से बीड़ी बनाने के काम में उपयोग की क्षमता के सिद्धान्त के स्थान पर धूम्रशोधित तमाकू से पृथक "प्राकृतिक रूप" के सिद्धान्त को ग्रहण किया जाना चाहिए। अतएव समिति के सुझावों के अनुसार इस प्रकार के तमाकू का पुनवर्गीकरण करने का प्रस्ताव है। राजस्व के उद्देश्य से,इस प्रकार तमाकू की शुल्क-दरों में भी थोड़ी सी वृद्धि की जा रही है। इन दो प्रकार के तमाकू के शुल्क की दरों में प्रस्तावित

वृद्धि के साथ ही सिगरेट बनाने के काम आने वाले अनिर्मित तमाकू के शुल्क की दर में भी आनुपातिक वृद्धि की जा रही है ।

काग़ज़ सम्बन्धी आयात-निर्यात-शुल्क-सूची को फिर से व्यवस्थित किया गया है ताकि इसे और भी अच्छी वैज्ञानिक संगति दी जा सके और खुदरा व्यापार से जो अधिक लाभ हो रहा है उसे खींचा जा सके और उत्पादन शुल्क की दरें, जो प्रारम्भ में जानबूझ कर नीची रखी गयी थीं, अब बढ़ायी जा रही हैं ।

अन्त में असारीय निर्गन्ध वनस्पति तेलों (वेजिटेबल नान-एसेंशल आयल), स्ट्राबोर्ड (घास की लुगदी से बने गत्ते) और मिलबोर्ड (लकड़ी की लुगदी से बने गत्ते) के उत्पादन-शुल्क की दरों में वृद्धि होने से इन वस्तुओं के छोटे उत्पादकों के लिए अनुकूल पड़ने वाले, वर्तमान खण्डों की छूटों (स्लैब एक्जेम्पशन) में साधनिक अधिसूचनाओं द्वारा उपयुक्त संशोधन किये जा रहे हैं ।

अब मैं प्रत्यक्ष करों को लेता हूं । पहले मैं व्यक्तिगत आय-कर और अधि-कर (सुपर टैक्स) की दरों में कुछ समायोजन करना चाहता हूं । अब तक ये परिवर्तन एक बंधे हुए ढर्रे पर होते रहे हैं और मेरे विचार से अब इस में आधारभूत परिवर्तन होना चाहिए । मेरे विचार से यह मान लेना आवश्यक है कि बुनियादी दरें उस व्यक्ति पर लागू की जानी चाहिए जो स्वयं कमाई करता है, अर्थात् इसके लिए एड़ी चोटी का पसीना एक करता है और दूसरों को, जो जायदाद और निवेश (इन्वेस्टमेंट) से, अर्थात् प्रत्यक्ष उद्यम किये बिना धन कमाते हैं, अधिभार (सरचार्ज) के रूप में अधिक देना चाहिए । वर्तमान प्रणाली के अनुसार अधि-कर (सुपर टैक्स) के लिए अर्जित आय सम्बन्धी छूट की व्यवस्था नहीं है । आय-कर के संबंध में, इस शर्त के साथ २० प्रतिशत की छूट है कि यह रकम, २५,००० रुपये की अर्जित आय के लिए ४,००० रुपये से अधिक न होना चाहिए । इस रकम से अधिक की आमदनियों पर, ४,००० रुपये की छूट, २५,००० रुपय से अधिक की आमदनी पर २० प्रतिशत के हिसाब से घटा दी जाती है जिससे कि ४५,००० रुपये की अर्जित आय पर छूट की कोई भी रकम नहीं दी जाती । अब मैं इस प्रणाली को बिल्कुल बदल देना चाहता हूं और सभी अर्जित आयों पर दरों की एक निर्धारित तालिका का प्रयोग करना चाहता हूं तथा अनर्जित आयों पर पहले से अधिक अधिभार (सरचार्ज) लगाना चाहता हूं । पर्याप्त विचार तथा अनुसंधान के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आमदनी के ऊंचे स्तरों पर प्रत्यक्ष-कर की हमारी वर्तमान दरें कर के ढांचे को सभी प्रकार के लचकपन से वंचित कर देती हैं । कहा जाता है कि इनसे काम करने की प्रेरणा घट जाती है किन्तु मुझे पता है कि उन से बहुत बड़े पैमाने पर कर-अपवंचन को प्रोत्साहन मिलता है । अब यह बात मान ली गयी है कि बहुत से देशों में उच्चतम स्तर की आमदनियों के लिए प्रत्यक्ष कर की बहुत ही ऊंची दरें इसलिए सहन की जाती हैं या सह्य होती हैं कि कर–अपवंचन बहुत अधिक होता है । दूसरे शब्दों में, ऊंची दरें विनष्ट कर-आधार के लिए प्रयुक्त की जाती हैं । अब मैं इन दरों की एक संशोधित तालिका प्रस्तावित करता हूं और अधिभार (सरचार्ज) की एक नयी योजना का समावेश करता हूं जिस का अर्थ यह होगा कि उच्चतम खण्ड के लिए आयकर, अधिकर (सुपर-टैक्स) और अधिभार (सरचार्ज) का जोड़ ९१.८ प्रतिशत के वर्तमान स्तर से कम कर के अनर्जित के लिए ८४ प्रतिशत और अर्जित के लिए ७७ प्रतिशत कर दिया जायगा । १ लाख रुपये तक की अर्जित आयों के लिए, प्रामाणिक तालिका बद्ध दरों के अनुसार लगाये गये कर पर ५ प्रतिशत का अधिभार (सरचार्ज) लगाया जायगा । माननीय सदस्य जानते हैं कि अधिभार केन्द्रीय राजस्व में जाता है अनर्जित आयों के लिए प्रामाणिक तालिकाबद्ध दरों पर २० प्रतिशत का समान अधिभार (सरचार्ज) लगाया जायगा । जब किसी व्यक्ति की आय

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

अंशतः अर्जित और अंशतः अनर्जित होगी, तो अनर्जित आय उस खण्ड की मानी जायगी जिसमें अर्जित आय समाप्त हो जाती है; और जहां आवश्यक होगा वहां यह उच्चतर खण्डों की मानी जायेगी। चोटी के खण्डों के संबंध में, इस परिवर्तन के अनुसार, नीचे के खण्डों की दरें समायोजित कर दी गयी हैं। मध्यवित श्रेणी के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए उन मामलों में ,अर्जित आय पर अधिभार (सरचार्ज) नहीं लगाया जायगा जिन में कुल आय ७,५०० रुपये से अधिक नहीं होगी। प्रत्यक्ष करों की दरों में कमी के कारण राजकोष में ७ १/२ करोड़ रुपया कम पहुंचेगा। किन्तु इस कमी पर विचार करते समय प्रत्यक्ष करों के अन्य परिवर्त्तनों का ख्याल रखा जाना चाहिए जिनका उल्लेख मैं बाद में करूंगा।

मैं वर्तमान आयकर-आधार (इनकम-टैक्स बेस) को भी विस्तृत करना चाहता हूं; इस के लिए कर लगाने योग्य कम से कम रकम को ४,२०० रुपये से घटाकर ३,००० रुपये कर देने का प्रस्ताव है। मुख्यतः प्रशासनिक दृष्टि से पिछले कुछ वर्षों में कम से कम सीमा बढ़ा दी गयी थी। निरपेक्ष शब्दों में ४,२०० रुपये की आमदनी यद्यपि बहुत अधिक नहीं है, फिर भी वह इस देश की आमदनियों के औसत स्तर की कई गुना है। यह आशा करना उचित ही है कि जिन व्यक्तियों की आमदनी ३,००० रुपये से अधिक है उन्हें भी राजकोष में अपना अंशदान देना ही चाहिए भले ही वह बहुत थोड़ा हो, और इस प्रकार प्रत्यक्ष करों की परिधि में आ जाना चाहिए। मुझे आशा है कि ज्यों ज्यों विकास-कार्यों में प्रगति होती जायेगी इस सीमा की आमदनियों में विशेष और क्रमिक वृद्धि होती जायगी और मेरे विचार से, यदि राजकोष को भी, विकास वृद्धि के परिणामस्वरूप आमदनियों के बढ़ने का अनुपातिक लाभ उठाना है तो इन आमदनियों को आयकर की परिधि में लाना ही चाहिए। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि अब छूट की सीमा व्यक्तियों के लिए ३,००० रुपये और अविभवत हिन्दू परिवारों के लिए ६,००० रुपये कर दी जाय। फिर भी, मैं इसे विवाहित व्यक्तियों के लिए छूट की बढ़ी हुई दर से मिला देना चाहता हूं। १,००० रुपये का अतिरिक्त कर मुक्त खण्ड, जो इस समय विवाहित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, अब बढ़ा कर २,००० रुपये कर दिया जायगा। इन प्रस्तावों के परिणामस्वरूप, आय-कर के विस्तार से इस वर्ष लगभग ५ करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी।

मेरा दूसरा प्रस्ताव कम्पनियों पर कर लगाने के सम्बन्ध में है। मेरा प्रस्ताव है कि कम्पनियों द्वारा दिया जाने वाला आयकर रुपये में ४ आने से बढ़ाकर ३० प्रतिशत कर दिया जाय और निगम कर (कारपोरेशन टैक्स) रुपये में दो आना ९ पाई से बढ़ा कर २० प्रतिशत कर दिया जाय। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, आयकर की रकम वापस पाने के हक्कदार हिस्सेदारों पर जो कि उनकी ओर से कम्पनी द्वारा अदा की जाती है इस वृद्धि से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार कम्पनियों पर आयकर बढ़ाने के प्रस्ताव का वास्तविक प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा। इससे, कुछ सीमा तक हमें कर-अपवंचन को रोकने में सहायता मिलेगी।

सम्मिलित बचत की आज सब से अधिक आवश्यकता है। फिर भी, निगम कर (कारपोरेशन-टैक्स) की दर में प्रस्तावित वृद्धि की दृष्टि से मैं अतिरिक्त लाभांश (डिवीडेण्ड) कर में इस प्रकार कमी कर देना चाहता हूं :—

चुकता हिस्सा पूंजी के ६ प्रतिशत और १० प्रतिशत के बीच लाभांश (डिवीडेण्ड) के वितरण पर १० प्रतिशत;

चुकता हिस्सा पूंजी के १० प्रतिशत और १८ प्रतिशत के बीच के वितरण पर २० प्रतिशत, और शेष पर ३० प्रतिशत ।

पिछले दिसम्बर महीने में मेरे द्वारा पुनःस्थापित वित्त (सं० ३) विधेयक के वादविवाद के समय कुछ सदस्यों ने यह जानना चाहा था कि मेरे प्रस्तावों से लाभांश हिस्सों के निर्गम (बोनस शेयर ईश्यू) को क्या प्रोत्साहन मिलेगा । उस समय मुझे मालूम था कि अतिरिक्त डिवीडेण्ड कर की दरों में वृद्धि और पूंजी-लाभ कर लगने से लाभांश (बोनस) निर्गम (ईश्यू) की दरों में कुछ परिवर्तन होगा। मैंने इस पर विचार किया है और अब मैं इन पर लगे कर को १२ १।२ प्रतिशत के वर्तमान स्तर से उठा कर ३० प्रतिशत कर देना चाहता हूं ।

इस समय अन्तर-निगमित लाभांश (इण्टर-कारपोरेट डिवीडेण्ड) के अधिकर (सुपर-टैक्स) की दरें भारतीय कम्पनियों के लिए लगभग १७ प्रतिशत और विदेशी कम्पनियों के लिए २० प्रतिशत हैं । निगम कर (कारपोरेशन टैक्स) की बुनियादी दरों में वृद्धि होने से इन दरों का समायोजन करने की आवश्यकता है । अतएव मैं भारतीय तथा विदेशी दोनों कम्पनियों के लिए, भारतीय सहायक कम्पनियों से प्राप्त डिवीडेण्ड पर अन्तर-निगमित अधिकर (इण्टर-कारपोरेट सुपर-टैक्स) की दर को घटाकर १० प्रतिशत कर देना चाहता हूं । इस का प्रभाव यह होगा कि, जहां तक उन विदेशी कम्पनियों का सम्बन्ध है जो सहायक कम्पनियों की मार्फत काम करती हैं, उनके द्वारा दिया जाने वाला सम्पूर्ण कर प्रायः ज्यों का त्यों रहेगा । इसी तरह, शाखाओं की मार्फत काम करने वाली और दूसरी तरह से आमदनी करने वाली विदेशी कम्पनियों के लिए निगम कर (कारपोरेशन टैक्स) की दर ३६ प्रतिशत से घटाकर ३० प्रतिशत कर दी जायगी । मेरा अनुमान है कि इन परिवर्तनों से भारत में विदेशी पूंजी के निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा ।

कम्पनियों के सम्बन्ध में मेरा दूसरा प्रस्ताव कम्पनियों के अनबंटे लाभों पर लगने वाले कर के संबंध में है जिस में साधारण जनता को ज्यादा दिलचस्पी नहीं है । इस कर के संबंध में बहुधा काफी वादविवाद हुआ है । यह कर जिस सिद्धांत पर आधारित है वह दोषरहित है । अर्थात् जिन व्यक्तियों की आमदनी काफी ऊंची है उन्हें सीमित निगम बना कर, और ऐसे निगमों में लाभ को न बांट कर अधिकर (सुपर-टैक्स) की अदायगी से बचने न देना चाहिये । किन्तु फिर भी, हमारी विकास योजनाओं के संदर्भ में, हमें अधिकर अपवचन के प्रतिषेध की पष्ठभूमि में औद्योगिक क्रियाकलाप के विस्तार के लिये कम्पनियों की धन सम्बन्धी आवश्यकताओं को सन्तुलित करना है । मेरा प्रस्ताव है कि अपर्याप्त वितरण के दण्ड से बचने के लिये उपर्युक्त ढंग की औद्योगिक कम्पनी द्वारा बांटे जाने वाले प्राप्त लाभ का न्यूनतम प्रतिशत घटाकर ४५ प्रतिशत कर दिया जाय । अनौद्योगिक कम्पनियों के लिये यह ६० प्रतिशत बना रहेगा । ऐसी कम्पनी को, जिसे अंशतः औद्योगिक कार्रवाइयों से और अंशतः अन्य कार्रवाइयों से लाभ की प्राप्ति होती है कम से कम वितरण इस प्रकार करना होगा——उपलब्ध औद्योगिक लाभ का ४५ प्रतिशत और अन्य उपलब्ध लाभ का ६० प्रतिशत । निवेश कम्पनियों को पहले की तरह १०० प्रतिशत वितरित करना होगा । ऐसे मामलों में जहां संग्रहीत लाभ और प्रारक्षित निधियां चुकता पूंजी या स्थिर परिसम्पद के मूल्य के कम न हों, सभी कम्पनियों के लिये वितरण का न्यूनतम प्रतिशत १०० प्रतिशत है । मेरा विचार इस प्रतिशत को कम कर के औद्योगिक कम्पनियों के लिये ४५ प्रतिशत और अन्य के लिये ९० प्रतिशत करने का है । वितरण की न्यूनतम रकम में ये कमी कर देने से इस वर्तमान योजना को जारी रखना अनावश्यक होगा जिस के अनुसार कम्पनियों की व्यापारिक आवश्यकताओं के संबंध में, जो न्यूनतम वितरण सम्बन्धी उपबन्धों के प्रवर्तन से पूर्ण या आंशिक

[श्री ति० त०कृष्णमाचारी]

छूट चाहते हैं, आयकर आयुक्त और निर्णायक मंडल (बोर्ड आफ फरी) को निर्णय ना होता है ।

कुछ अन्य मामूली से परिवर्तनों का भी प्रस्ताव किया गया है जिनके संबंध में मैं इस समय विस्तार से नहीं कहना चाहता । इन का संबंध इन बातों से है—स्वीकृत भविष्य निधि में नियोजक के अंशदान पर आयकर की छूट; ऐसी आय के प्रतिशत में वृद्धि जिस पर यदि वह भविष्य निधि या बीमे में बचायी जाय, तो आयकर की छूट मिल सकती है; हानि को अगले खातों में ले जाने का परिसीमन आदि । मैं ने कम्पनियों द्वारा अपने अविभाजित लाभों और विकास तथा मूल्यह्रास संबंधी छूटों का एक अंश जमा कराय जाने से संबंध रखने वाले उपबन्ध का फिर से प्रारूप तैयार किया है, जिससे सरकार का संकल्प और अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाय ।

कम्पनी करों के संबंध में जो परिवर्तन करने का मेरा विचार है उनसे, सब मिला कर, ७ १।२ करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी ।

अब मैं दो नये कर-प्रस्तावों को लेता हूं जिन का उद्देश्य इस ढंग से करों के ढांचे में परिवर्तन करना है कि कर-निर्धारण के लिये पहले से अधिक प्रभावशाली और साथ ही पहले की अपेक्षा अधिक न्यायपरक आधार सुनिश्चित हो जाय । मेरा पहला प्रस्ताव सम्पत्ति कर धन कर लगाने के संबंध में है । यह बात स्वीकार की जाती है कि आय-वर्तमान आयकर विधियों तथा रीतियों द्वारा जिस की व्याख्या की गयी है——कर देने की क्षमता का पर्याप्त आधार नहीं है और आमदनियों पर कर लगाने की प्रणाली को सम्पत्ति के आधार पर कर लगाने की प्रणाली द्वारा अनुपूरित करने की आवश्यकता है । यह अधिक न्यायपूरक है और इससे यह आशा भी बंधती है कि इस के द्वारा बहुत समय तक कर-अपवंचन की सम्भावनाओं को कम किया जा सकता है । इससे पहले, मैं ने आमदनियों के ऊंचे स्तरों पर आयकर की उन छूटों का जिक्र किया है जिन का समावेश मैं इस साल कर रहा हूं । इन छूटों का उद्देश्य और अधिक उद्यम तथा और अधिक अदिप्रयत्न को प्रोत्साहन देना है, एक मात्र जिन के आधार पर ही स्वस्थ तथा प्रगतिशील अर्थ-व्यवस्था का निर्माण हो सकता है । इस के साथ ही अन्य उपायों के अवलम्बन की भी आवश्यकता है जो उद्देश्य की दृष्टि से समभावपरक तो हों पर जिनसे प्रेरणा कुण्ठित न होती हो । जिस सम्पत्ति कर का प्रस्ताव मैं कर रहा हूं वह इसी प्रकार का है । यह कर व्यक्तियों, अविभक्त हिन्दू परिवारों और कम्पनियों द्वारा देय होगा । व्यक्तियों के मामले में २ लाख रुपये तक के मूल्यों और अविभक्त हिन्दू परिवारों के मामले में ३ लाख रुपये तक के मूल्यों को मुक्त किया जायगा । जिस सम्पत्ति का मूल्य इससे अधिक होगा उसके संबंध में पहले १० लाख पर कर की दर १।२ प्रतिशत, अगले १० लाख के लिये १ प्रतिशत और बाकी के लिये १ १।२ प्रतिशत होगी । इस प्रकार यह क्रमशः बढ़ने वाला कर होगा जिस से, अर्नजित आमदनियों के आयकर पर लगने वाले उन अधिभारों सहित, जिनकी मैं ने सिफारिश की है, अपेक्षाकृत धनिक वर्गों पर अधिक प्रभावपूर्ण कर लगाये जा सकेंगे और साथ ही आमदनी बढ़ाने की प्रेरणा में भी कमी न आयेगी ।

जहां तक कम्पनियों का संबंध है, ५ लाख रुपये तक की परिसम्पद पर कर नहीं लगेगा; उससे ऊपर के मूल्यों पर कर की दर १।२ प्रतिशत होगी । सम्पत्ति कर मुख्यतः व्यक्तिगत कर है किन्तु भारत के विशिष्ट आर्थिक ढांचे में मैं इस कर की परिधि से कम्पनियों को बाहर रखना नहीं चाहता । किन्तु कर की दर तो कम रखनी ही पड़ेगी । इसी से छूट के स्तर के ऊपर की परिसम्पद् के लिये मैंने केवल १।२ प्रतिशत की समान दर की सिफारिश की है जिसका अभी ही मैंने उल्लेख किया है ।

कुछ सम्पत्तियों को इस कर से छूट देनी पड़ेगी। इन में से कुछ ये हैं :—

कृषि सम्पत्ति;

धर्मस्व (चैरिटेबल) अथवा धार्मिक न्यासों (ट्रस्टों) की संपत्ति;

कलाकृतियां;

पुरातत्वविषयक वस्तुएं, जिन्हें बेचना न हो;

मान्य भविष्य निधियों और बीमा पालिसियों की रकमें;

व्यक्तिगत वस्तुएं जिनमें फर्नीचर, मोटर गाड़ियां, आभूषण आदि समिलित हैं, २५,००० रुपये की अधिकतम सीमा तक; और

पुस्तकें और प्रकाशित सामग्री जिसे बेचना न हो।

विभिन्न प्रकार की परिसम्पदों के जो किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान का अंग हों, मूल्य-निर्धारण की प्रणाली को सरल बनाने के उद्देश्य से, जहां तक सम्भव हो व्यापारिक प्रतिष्ठान को मूल्य-निर्धारण के उद्देश्य से एक इकाई मानने का प्रस्ताव है। दूसरी परिसम्पद का वही मूल्य लगाया जायगा तो बाजार में प्रचलित हो। अनुमान है कि इस कर से १५ करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी।

इस कर के प्रयोग से और साथ ही दूसरे उपायों से भी, जो अभी प्रस्तावित हुए हैं, कर-अपवंचन का नियंत्रण करने में सहायता मिलेगी। इस मद से ५ करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी।

स्थूल रूप से मूल्य-निर्धारण और अपील की प्रणाली तथा प्रशासनिक व्यवस्था वही होगी जैसी आयकर के संबंध में है। जहां तक अचल अकृषि सम्पत्ति का संबंध है, करदाता को प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध मध्यस्थता समिति (आर्बीट्रेशन कमेटी) के पास अपना मामला ले जाने का अधिकार होगा। इस समिति में एक मूल्य निर्धारक, जिसकी नियुक्ति सम्पत्ति-शुल्क अधिनियम के अनुसार की जायगी, और दूसरा गैर-सरकारी सदस्य होगा जो उन व्यक्तियों की सूची में से लिया जायगा जिन्हें स्थानीय सम्पत्ति के मूल्यों का पता है।

मेरा दूसरा प्रस्ताव व्यय पर कर लगाने के संबंध में है। यह इस ढंग का कर है जिसकी पुष्टि अभी तक इतिहास द्वारा नहीं हो पायी। फिर भी, यह ऐसा कर है जिस के संबंध में प्रभावपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था होने से दिखावे के खर्चों को नियंत्रित करने और बचत को प्रोत्साहन देने में वास्तविक सहायता मिलेगी। मेरे विचार से वर्तमान परिस्थितियों में हम केवल स्वल्पारम्भ ही कर सकते हैं। मैं इस कर को केवल व्यक्तियों और उन अविभक्त हिन्दू परिवारों पर लगाना चाहता हूं जिन की आय, आयकर की दृष्टि से, ६०,००० रुपये प्रतिवर्ष से कम नहीं है। यह कर उन रकमों से अधिक की रकम पर जो परिवार के आकार के अनुसार अलग-अलग होंगी, किये गये सारे खर्च पर लगाया जायगा। बाद में दी गयी रकमें ये हैं —

करदाता और उसकी पत्नी के लिये २४,००० रुपये की बुनियादी रकम, और प्रत्येक आश्रित बच्चों के लिये ५,००० रुपये।

कर की दर एक खण्ड प्रणाली पर आधृत होगी और प्रत्येक खण्ड की दर व्यय के स्तर में वृद्धि के साथ साथ क्रमशः बढ़ती जायगी। इस प्रकार १०,००० रुपये के अतिरिक्त खर्च पर यह दर १० प्रतिशत होगी और ऊंचे खण्डों के लिये क्रमशः बढ़ती जायगी। सम्पत्ति कर की भांति प्रशासनिक व्यवस्था और

[श्री ति० त० कृष्णमाचरी]

कर-निर्धारण तथा अपील प्रणाली वही होगी जो आय कर के लिये है। मैं इस कर को १९५८-५९ के वित्त वर्ष से लागू करने का प्रस्ताव रखता हूं इसलिये १९५७-५८ में इस मद की किसी भी प्राप्ति को सम्मिलित नहीं कर रहा हूं।

मैं रेल यात्रियों के किराये पर कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं। कर की दर ३० मील की दूरी तक के लिये ५ प्रतिशत (सीजन टिकटों पर छूट होगी), ३१ मील और ५०० मील की दूरी के लिये १५ प्रतिशत और इससे अधिक दूरी के लिये १० प्रतिशत होगी। सीजन टिकटों पर कोई कर नहीं लगेगा। इस कर से पूरे एक वर्ष में १४ करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान है। चालू वर्ष में लगभग ८ करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। इसकी प्राप्तियां, केन्द्रीय सरकार के प्रेशों को मिलने वाली रकम को छोड़ कर, सारी की सारी राज्यों में बांट देनी पड़ेगी। राज्यों को और अधिक धन की आवश्यकता है इसलिये रेल यात्रियों को, दूसरी वस्तुओं के उपभोक्ताओं की तरह, वर्तमान परिस्थितियों में अंशदान देना ही चाहिये। इस कर की आमदनी के वास्तविक वितरण के संबंध में, संसद् के सम्मुख प्रस्ताव रखने से पहले, मैं वित्त आयोग की सलाह लेना चाहता हूं।

डाक और तार विभाग की शाखाएं घाटे पर चल रही हैं। बिना रजिस्ट्री के पत्रों और अन्तर्देशीय पत्र कार्डों को छोड़कर, डाक से पहुंचायी जाने वाली प्रायः सभी मदों में घाटा हो रहा है। कई मदों, जैसे कि पोस्ट कार्डों, मनी आर्डरों, रजिस्टर्ड समाचार पत्रों आदि की दरें, वर्षों से सेवा की व्यवस्था के लागत खर्च से भी काफी कम हैं। उदाहरण के लिये, अनुमान लगाया गया है कि एक पोस्ट कार्ड को पहुंचाने का औसत खर्च ७.२४ नये पैसे है, जबकि वर्तमान डाक महसूल सिर्फ ५ नये पैसे है। इससे साल भर में १५५ लाख रुपये से भी अधिक का घाटा रहता है। इन मदों से संबंध रखने वाले काम की हर वृद्धि से, और काम की वृद्धि तो हो ही रही है, घाटे में भी वृद्धि हो जाती है। कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण पर क्रमशः बढ़ते हुए खर्च और कर्मचारियों के लिये अन्य सुख-सुविधाओं की व्यवस्था से वर्तमान डाक दरें और भी अलाभकारी सिद्ध होंगा। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन डाक तार विभाग की विस्तार योजनाओं के एक अंग के रूप में अलाभकारी डाकखाने और तारघर खोले जाने से डाक और तार शाखाओं को हानि हुई है। यह विभाग काफी तीव्र गति से अपनी पूंजी परिसम्पद भी बढ़ा रहा है; इस समय इसका कुल पूंजी परिव्यय, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व की तुलना में लगभग तिगुना है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं इन परिसम्पदों के मूल्यह्रास और प्रतिस्थापन के लिये इस समय प्रति वर्ष राजस्व से केवल १.२५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाती है। अब चालू वर्ष के लिए इसे बढ़ाकर २.५० करोड़ रुपये कर दिया गया है। सारे प्रश्न पर बाद में विचार किया जायगा। संसद् में और संसद् के बाहर पुस्तक व्यवसायियों की ओर से निरंतर व्यापक रूप से जो मांग की जा रही थी, उसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी जिसने पैकिटों की तुलना में पुस्तकों पर कम डाकदर लिये जाने के प्रश्न पर विचार किया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां डाक से ही पुस्तकें भेजी जा सकती हैं, पुस्तकें भेजने का खर्च अनुचित रूप से न बढ़ने पाये। पुस्तक संबंधी इस समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद अब यह निश्चय किया गया है कि पुस्तकों के लिये डाक की रियायती दर रखी जाये। इन सभी उपायों से अनिवार्य रूप में, विभाग की अधिशेष आमदनी में कमी होगी और डाक-तार शाखाओं की हानि बढ़ेगी। विभाग की वित्तीय स्थिरता की दृष्टि से कुछ दरों को बढ़ाना आवश्यक हो गया है। पोस्टकार्ड की दर, जो इस समय इकहरे के लिये पांच नये पैसे और जवाबी के लिये १० नये पैसे हैं, बढ़ाकर क्रमशः ६ और १२ नये पैसे कर दी जायेगी। इसी तरह स्थानीय पोस्टकार्ड की दरें, जो इस समय इकहरे के लिये ३ नये पैसे और जवाबी के लिये

६ नये पैसे हैं, बढ़ाकर क्रमशः ४ नये पैसे और ८ नये पैसे कर दी जायगी। पैकिटों पर, जिनमें केवल पुस्तकें हों, पहले पांच तोले पर डाक की वर्तमान दर ६ नये पैसे से घटाकर ५ नये पैसे कर दी जायगी, लेकिन अन्य पैकिटों पर वर्तमान दर ६ नये पैसे से बढ़ाकर ८ नये पैसे कर दी जायगी। दोनों के संबंध में पांच तोले से बाद के वजन की दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पुस्तक, सैम्पल और पैटर्न के पैकिटों की दरों में ये परिवर्तन करने पर भी इस श्रेणी की वस्तुओं को पहुंचाने में प्रतिवर्ष ८ लाख रुपये से अधिक का घाटा होता रहेगा। पार्सलों पर प्रति ४० तोले या उसके अंश पर ५० नये पैसे की वर्तमान दर बढ़ाकर पहले ४० तोले या उसके अंश पर ६० नये पैसे और अतिरिक्त प्रति ४० तोले या उसके अंश पर ५० नये पैसे कर दी जायगी। देश के भीतर भेजे जाने वाले तारों पर न्यूनतम आठ शब्दों से अधिक प्रत्येक शब्द पर साधारण (आर्डिनेरी) तारों के संबंध में ७ नये पैसे की वर्तमान दर बढ़ाकर ८ नये पैसे और एक्सप्रैस तारों के संबंध में १४ नये पैसे की वर्तमान दर बढ़ाकर १६ नये पैसे कर दी जायगी। इन वृद्धियों से चालू वर्ष में ८५ लाख रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

यहां तक मैंने जो प्रस्ताव किये हैं उनका अब मैं सारांश बतलाता हूं :

(१) मेरे प्रस्तावों से कई वस्तुओं के आयात-शुल्कों में थोड़ी वृद्धि होती है; अनुमान है कि इससे इस वर्ष लगभग ६ करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी।

(२) उत्पादन शुल्कों के संबंध में मैं ने जो प्रस्ताव किये हैं उन से कई मदों के संबंध में शुल्क की दरों में वृद्धि होती है, जैसे कि मोटर-स्पिरिट, रिफाइण्ड डीजल आयल (परिष्कृत डीजल तेल) और वाष्पकारी तेल (वेपराइजिंग आयल), डीजल आयल जिसका अन्यथा उल्लेख नहीं हुआ, इस्पात के पिण्ड, सीमेण्ट, चीनी, दियासलाइयां, धूम्रशोधित से पृथक् अनिर्मित तमाकू, असारीय निर्गन्ध वनस्पति तेल (वेजिटेबल नान-एसेंशल आयल) और कागज। चालू वित्त वर्ष के अवशिष्ट भाग में इन शुल्कों से ५३.२० करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति का अनुमान है, किन्तु इसमें से ४.२ करोड़ रुपया राज्यों को, तमाकू और दियासलाइयों के अतिरिक्त शुल्कों में से उनके हिस्से का दे दिया जायेगा।

(३) व्यक्तिगत आय कर और अधिकर (सूपर टैक्स) के संबंध में मैं ने जो प्रस्ताव किये हैं उन से चालू वर्ष में २५ करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान है जिस में से ३ करोड़ रुपया राज्यों को, आय कर में से, उनके हिस्से का दे दिया जायगा। आय कर और अधिकर (सूपर टैक्स) की दरें घटाने से ७.५ करोड़ रुपये का घाटा रहेगा। छूट की सीमा कम करने से ५ करोड़ रुपये की कमी की प्राप्ति का अनुमान है। कम्पनी करों के समायोजन से लगभग ७.५ करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। सम्पत्ति कर से १५ करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान है और इसमें कर अपवंचन में कमी के द्योतक, ५ करोड़ रुपये आयकर की पहले से अच्छी वसूली के जोड़ता हूं। प्रत्यक्ष कर में मैंने जो परिवर्तन सुझाये हैं उन से इस वर्ष राजस्व में भारी वृद्धि नहीं होगी, किन्तु मेरा अनुमान है कि नये प्रकार के प्रस्तावित करों के संबंध में ज्यों ज्यों हमारा अनुभव बढ़ता जायगा और जैसे ही कर-निर्धारण तथा संग्रह की व्यवस्था पक्की हो जायगी, इन से राजकोष में धन का आगम बढ़ता जायगा।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

(४) मैंने रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के किराये पर कर लगाने का प्रस्ताव किया है। इससे ८ करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी जो सब की सब राज्यों को दे दी जायगी।

(५) मैंने डाक और तार की दरों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया है जिन से ८५ लाख रुपये की प्राप्ति का अनुमान है।

(६) मैंने एक व्यय-कर का प्रस्ताव किया है जो प्रभावी तो होगा १९५८–५९ से, किन्तु लागू होगा उन खर्चों से जो १९५७–५८ में किये जायेंगे।

इन प्रस्तावों के परिणामस्वरूप केन्द्रीय राजस्व में ७७.८५ करोड़ रुपये की शुद्ध वृद्धि होगी और राजस्व बजट में अब ४४.७३ करोड़ रुपये का अधिशेष दिखायी देगा। साधारणतः इसके परिणामस्वरूप, सम्पूर्ण घाटा २९० करोड़ रुपये का रहेगा, यदि १५ करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व, जो इन प्रस्तावों के कारण राज्यों को दे दिया जायगा, हिसाब में न लिया जाय। जैसा कि माननीय सदस्य श्वेत-पत्र में देखेंगे, १९५७–५८ में योजना को वित्तपोषित करने के लिये केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्यों को दी जाने वाली रकम २७८ करोड़ रुपये रखी गयी है। अतएव राज्यों को प्राप्त होने वाले अतिरिक्त राजस्व के परिणामस्वरूप इस रकम में उतनी ही कमी हो जायगी; कमी की रकम राज्यों को दिये जाने वाले ऋणों की व्यवस्था में सम्मिलित कर दी गयी है। इस प्रकार सम्पूर्ण घाटे की रकम २७५ करोड़ होगी जो राजकोष हुण्डियों के विस्तार से पूरी की जायेगी।

मैं इन प्रस्तावों के महत्व के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। हमने समाजवादी व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प कर रखा है। इसका अर्थ यह है कि हम उत्पादन की एक कुशलतापूर्ण प्रणाली और आय तथा सम्पत्ति के एक न्यायोचित आदर्श की स्थापना करना चाहते हैं, जिससे संतुलित ढंग से प्रगति होती रहे। इसके लिए श्रम तथा बचत के सम्बन्ध में अतिरिक्त प्रेरणा की आवयश्कता है। अर्जित आय पर रियायत देने के सम्बन्ध में मेरे प्रस्तावों का यही युक्तिसंगत आधार है। अर्जित आयों पर कर की निश्चित दर और अर्जित आय पर कर की अलग अलग दर, साथ ही सम्पत्ति और व्यय पर कर से, विशेषतः आय की उच्चतर श्रेणियों के सम्बन्ध में, कर-दायित्व के निर्धारण के लिए हमें अच्छा आधार मिल जायगा और इससे कर अपवंचन और कराधार को विनष्ट करने की कार्रवाइयां को क्रमिक रूप से समाप्त करने में सहायता मिलेगी। मैंने छूट की सीमा को जो कम किया है उसका पहला कारण यह है कि देश में औसत आय को देखते हुए वर्तमान सीमा बहुत ऊंची है, दूसरा यह है कि मेरा विचार है कि आगामी वर्षों में इन श्रेणियों में आय की जो वृद्धि होगी उसे कर के ढांचे में लाने के लिए अभी से आधार तैयार किया जाय। प्रत्यक्ष कर के सम्बन्ध में मेरे सारे प्रस्ताव एक दूसरे से संबंधित हैं और मेरा सुझाव है कि उन पर उसी दृष्टि से विचार किया जाय।

कम्पनी कर के संबंध में मैं ने जो प्रस्ताव रखे हैं उनका उद्देश्य केवल राजस्व में वृद्धि करना ही नहीं, बल्कि लाभांश के वितरण पर नियंत्रण रखकर लाभ को फिर से उद्योगों में लगाने को प्रोत्साहन देना भी है। इन उपायों का अभिप्राय गैर सरकारी क्षेत्र में उचित निवेश को कम करना नहीं है, यद्यपि यह सवाल करना अनुचित न होगा कि कुछ समय के लिए कमी करना वर्तमान परिस्थितियों में अवांछनीय नहीं होगा। गैर सरकारी क्षेत्र में निवेश को नियमित करने के अन्य उपाय भी हैं। इस लिये कर-व्यवस्था में सम्मिलित निवेश के पक्ष में जो झुकाव हैं मैं उसे बनाये रखना चाहता हूं। इसी कारण मैंने मूल्य ह्रास संबंधी उदारतापूर्ण वर्तमान छूटों और विकास संबंधी छूटों को, जो जैसा कि सभी मानते हैं,

निवेश के लिए बहुत प्रेरणा देती हैं, बिल्कुल नहीं छूआ है। जैसा कि पहले बता चुका हूं, मैंने विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए कर की दरों को फिर से ठीक ठाक किया है। मैं जानता हूं कि हिस्सेदार या पूंजी लगाने वाला अपनी पूंजी से उचित आमदनी की आशा करता है, लेकिन साथ ही मेरा यह विचार है कि आज की हालतों में उन लोगों को प्रेरणा देने की कहीं ज्यादा जरूरत है जो स्वयं काम करते हैं और कम्पनियों आदि का प्रबन्ध करते हैं और इस तरह अर्जित आय वाली श्रेणी में आ जाते हैं।

मेरे प्रस्तावों में साधारण जन की ऐसी वस्तुओं पर करों का बोझ बढ़ता है, जो प्रायः आवश्यक हैं। वर्तमान परिस्थितियों में यह अनिवार्य है। इन बोझों का, जो कुल मिलाकर ज्यादा मालूम होते हैं, औसतन भार कम है। एक ऐसे देश में, जहां अधिकतर व्यक्तियों की आय कम है, विकास कार्य को तब तक वित्तपोषित नहीं किया जा सकता जब तक समाज के सभी वर्गों के लोग त्याग न करें। और मुद्रास्फीति के दबावों को कम करने और निर्यात को प्रोत्साहन देने के निमित्त उपभोग पर कुछ नियंत्रण रखने के लिए इस समय विशेष कारण हैं। साथ ही मैं यह अनुभव करता हूं कि समय समय पर कुछ खास क्षेत्रों को, न्यूनतम पोषक खाद्य प्रतिमानों की दृष्टि से उपभोग को उचित स्तर पर बनाये रखने की दृष्टि से, सहायता देने की आवश्यकता हो सकती है और इसके लिये खाद्य के संबंध में राजसहायता देने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिये करों से हानि होने वाली अतिरिक्त प्राप्तियों की रकम में २५ करोड़ रुपये का एक खाद्य-राज्यसहायता कोष बनाने का मेरा विचार है। इस कोष का उपयोग, अनाज की कीमतों को विशेषतः ऐसे क्षेत्रों में बढ़ने से रोकने के लिए किया जायगा जहां अन्न संकट की आशंका है मैं समझता हूं कि इससे माननीय खाद्य तथा कृषि मंत्री के हाथ मजबूत होंगे।

मैंने जो सुझाव रखे हैं उनके बाद भी सम्पूर्ण घाटा उससे कुछ अधिक रहेगा जिसे मैं निरापद समझता हूं। लेकिन मेरे विचार से किसी हद तक जोखिम उठाना गलत नहीं होगा, विशेषतः ऐसी स्थिति में जब कि उस से मुद्राबाहुल्य का स्तर समुचित रूप से ऊंचा बनाये रखा जा सके। बजट में घाटा होने से लोगों की क्रयशक्ति बढ़ती है। इस का अर्थ यह होता है कि सरकार जितना रुपया जनता के हाथ में दे देती है उतना उससे प्राप्त नहीं करती। अर्थव्यवस्था में जो दबाव पैदा हो गये हैं वे इस बात की चेतावनी हैं कि घाटे की वित्त-व्यवस्था भी किसी हद तक की जा सकती है। मैं घाटे की वित्त-व्यवस्था के विरुद्ध नहीं हूं। मैं मानता हूं कि इससे विकास में सहायता मिल भी सकती है। लेकिन यह औषध है जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही खायी जा सकती है, भोजन नहीं है जो शरीर के लिए आवश्यक है। सब बातों को देखते हुए, मुझे इस बात में संदेह है कि हम आयोजना की अवधि में उस सीमा तक घाटे की वित्त व्यवस्था कर सकेंगे जिसकी आयोजना में कल्पना की गयी है। इसका मतलब यह है कि हमें करों, ऋणों और छोटी बचतों से और अधिक धन प्राप्त करना होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संबंध में चालू वर्ष की ही नहीं, बल्कि कुछ आगामी वर्षों की जरूरतों को भी ध्यान में रखते हुए, मुझे यह विश्वास होता है कि मैंने आज सदन के सामने जो सुझाव रखे हैं वे आवश्यक और लाभकारी हैं।

मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय आय की तुलना में सरकारी राजस्व में जो गतिहीनता आ गयी है उसे दूर करने में इन उपायों से सहायता मिलेगी। अपेक्षाकृत कम उन्नत देशों की तुलना में भी भारत में, करों की दृष्टि से राजस्व का अनुपात कम है। इसे बढ़ाने के लिए कर-व्यवस्था में परिवर्तन करने होंगे ताकि आगे चलकर इससे अधिक आय होने लगे। मेरे सुझावों में कर-व्यवस्था की इस समस्या पर जोर दिया गया है। मैंने जिन परिवर्तनों का सुझाव दिया है उनके औचित्य पर इन-सब बातों को ध्यान में रखते हुए विचार करना होगा, केवल इस बात को ध्यान में रखते हुए नहीं कि उन से तुरन्त कितनी आय होगी। वास्तव में मैंने यह बता दिया है कि आयोजना की सारी अवधि में कर-

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

व्यवस्था कैसी रहेगी। निःसन्देह प्रतिवर्ष इसमें कुछ परिवर्तन करने होंगे, पर वे मामूली परिवर्तन होंगे। आयोजना के बाकी समय में हमारा उद्देश्य यह देखना होगा कि मैंने इस वर्ष जो परिवर्तन किये हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है और उनमें क्या सुधार किये जा सकते हैं जिससे वे कर देने वाले और कर प्राप्त करने वाले दोनों के लिए लाभकारी हों। मेरा विश्वास है कि इस व्यापक ढांचे के अन्दर सभी विश्वास के साथ और इस आश्वासन के साथ, कि सरकार प्रत्येक वास्तविक कठिनाई पर सहानुभूति से विचार करेगी, अपनी अपनी आयोजना को क्रियान्वित करने का प्रयत्न कर सकते हैं।

मुझे जो कुछ कहना था वह यहां समाप्त हो रहा है; मुझे मालूम है कि जो नीतियां और प्रस्ताव मैंने आपके सामने रखे हैं उनमें विविधता और गुरुत्व है। किन्तु परिस्थितियां ही ऐसी हैं जिनमें इससे कम में काम नहीं चल सकता। प्रत्येक राष्ट्र के इतिहास में ऐसे अवसर आते हैं जब उसे एक साथ बहुत सी दिशाओं में प्रगति करनी होती है। हमारे सामने केवल आयोजना की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन जुटाने का ही काम नहीं है, हमें साथ ही कर-व्यवस्था को भी ठीक ठाक करना है जिससे वह आने वाले वर्षों में बढ़ते हुए विशाल कार्य के भार को वहन कर सके। मैं उन लोगों में से हूं जो यह भी विश्वास करते हैं कि आर्थिक समानता और ठोस सामाजिक सुधार की दिशा में कठिन समय में ही महान प्रगति होती है जबकि जनता में विवेक और एकता अत्यन्त उच्च कोटि की होती है। मेरा खयाल है कि द्वितीय विश्वयुद्ध से हमें यह एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। राष्ट्रव्यापी पैमाने पर त्याग और अन्याय या अत्यन्त असमानता साथ साथ नहीं चल सकते। इसीलिए मैंने इस बजट में, वर्तमान आवश्यकताओं से लाभ उठाकर, कर-व्यवस्था को नयी दिशा देने का प्रयत्न किया है, जिससे वह हमें अधिक कुशलता और साम्यभाव की ओर अग्रसर कर सके। इस समय हम सब पर भारी जिम्मेदारी है और मैंने नीतियों और प्रस्तावों के रूप में सदन के सामने वह तरीका पेश किया है जो मेरी बुद्धि से इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए ठीक है। मुझे आशा है कि जब कोई यह फैसला करेगा कि हम अवसर की कसौटी पर खरे उतरे या नहीं तो वह यही पायेगा कि हमारा आचरण इस सदन और राष्ट्र के गौरव के अनुरूप रहा है।

श्रीमान्, मैं सभा पटल पर आय-व्ययक प्रस्थापनाओं को रखता हूं।

वित्त (संख्या २) विधेयक *१९५७

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी बनाने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी बनाने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं विधेयक को पुरस्थापित** करता हूं।

---

*भारत सरकार के असाधारण गजट भाग २, अनुभाग २—तारीख १५-५-५७ में प्रकाशित।

†मूल अंग्रेजी में

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरस्थापित किया गया।

धन कर विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि धन कर लगाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि धन कर लगाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

व्यय कर विधेयक*

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि व्यय पर कर लगाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि व्यय पर कर लगाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : श्रीमान्, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

रेल यात्री किराया विधेयक*

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलों के किराये पर कर लगाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के किराये पर कर लगाने व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : श्रीमान्, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

---

*भारत सरकार के असाधारण गजट भाग २, अनुभाग २—तारीख १५-५-५७ में प्रकाशित

†मूल अंग्रेजी में

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित किया गया।

करों का अस्थायी संग्रह (अस्थायी संशोधन) विधेयक*

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि करों का अस्थायी संग्रह अधिनियम, १९३१ में एक अस्थायी अवधि के लिए संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि करों का अस्थायी संग्रह अधिनियम, १९३१ में एक अस्थायी अवधि के लिए संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : श्रीमान्, मैं विधेयक को पुर:थापित** करता हूं।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, १६ मई, १९५७ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*भारत सरकार के असा ारण गजट भाग २, अनुभाग २—तारीख १५-५-५७ में प्रकाशित

†मूल अंग्रेजी में

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित किया गया।

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, १५ मई, १९५७]

विषय	पृष्ठ
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	११
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	१४१—६८

तारांकित प्रश्न संख्या		
२४	कोसी बन्ध	१४१—४२
२५	सहकारी खेती	१४३—४४
२६	वाइकर्स-वाइकाउन्ट विमान	१४४—४५
२७	माल डिब्बा निर्माण योजना	१४५—४६
२८	विमान सवाएं	१४६—४८
२९	खाद्य की कमी	१४८—४९
३०	अन्तर्देशीय जल-परिवहन	१४९—५१
३१	सेतु समुद्रम परियोजना	१५१—५३
३२	खण्डवा हिंगोली रेल सम्पर्क . . .	१५३—५४
३३	केरल में पत्तनों का विकास . . .	१५४—५५
३४	"लिबर्टी" पोत	१५५—५६
३५	पंजाब में नल-कूप	१५६—५७
३६	दिल्ली में पानी की कमी	१५८—५९
३७	हीराकुड बांध से जल-विद्युत् . . .	१५९—६०
३८	सुन्दरवन में नौ-परिवहन प्रणाली . .	१६०—६१
३९	केरल में रेलवे लाइन	१६१—६२
४०	सम्बलपुर—तितिलागढ़ रेलवे लाइन . . .	१६२—६३
४१	सीमेंट की कमी	१६३—६४
४२	चीनी का निर्यात	१६४—६५
४३	रतलाम और गोधरा रेलवे लाइन . . .	१६५
४४	गन्ना	१६५—६६
४५	कोजीकोड़ में हवाई अड्डा	१६६—६७
४६	रेलवे सप्ताह समारोह	१६७—६८
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—तारांकित प्रश्न संख्या	१६८—८१
४६-क	दिल्ली में चेचक	१६८
४७	भारत पाकिस्तान नहरी पानी विवाद .	१६८—६९
४८	राष्ट्रीय निर्माण निगम	१६९
४९	पुस्तकों पर डाक-व्यय	१६९—७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	विषय	पृष्ठ
तारांकित		
प्रश्न सं०		
५०	मद्रास पत्तन	१७०
५१	रामगुण्डम–निजामाबाद रेल सम्पर्क . . .	१७०–७१
५२	पाकिस्तान से नहरी पानी की बकाया राशि . .	१७१
५३	हीराकुड की नहरों से सिंचाई . . .	१७१–७२
५४	इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरशन के विमान . .	१७२
५५	उज्जैन-इन्दोर रेल सम्पर्क	१७२
५६	हावड़ा-खड़गपुर लाइन पर बिजली से रेले चलाया माना	१७२
५७	केरल में समुद्र तट का कटाव . . .	१७३
५८	मलेरिया नियंत्रण योजना	१७३
५९	मद्रास-अर्कनम लाइन पर बिजली से रेलें चलाया जाना .	१७३
६०	डाक तथा तार विभाग संग्राहालय . . .	१७४
६१	दिल्ली में ओलों से हानि	१७४
६२	डुंगरपुर-बांसवाड़ा-रतलाम रेल सम्पर्क .	१७५
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
१८	पूर्वोत्तर रेलवे में यात्री सुविधाएं . . .	१७५–७६
१९	सामुदायिक विकास कार्यक्रम . . .	१७६
२०	दिल्ली के लिये बिजली की आवश्यकता . .	१७६–७७
२१	पंजाब में सामुदायिक परियोजनायें . . .	१७७
२२	भारतीय जहाजों द्वारा स्वेज नहर का उपयोग . .	१७७
२३	दिल्ली जंक्शन स्टेशन	१७७–७८
२४	उत्तर रेलवे में भ्रष्टाचार निरोध संगठन . .	१७८
२५	चम्बल परियोजना	१७८–७९
२६	हवाई अड्डे	१७९–८०
२७	बंगलौर के डाक प्रतिष्ठान	१८०
२८	रेलवे पर दावे	१८०
२९	कोचीन पत्तन प्रशासन	१८१
३०	रेलवे में भ्रष्टाचार	१८१
३१	रेलवे में रक्षित नौकरियां	१८१
३२	भाखड़ा नंगल बांध	१८१

सभा–पटल पर रखे गये पत्र . . . १८२

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—

(१) वर्ष १९५७–५८ के लिए दामोदर घाटी निगम के आय-व्ययक प्राक्कलनों की एक प्रति

(२) वर्ष १९५५–५६ के लिए हिन्दुस्तान शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति

सभापटल पर रखे गए पत्र– (क्रमशः)

पृष्ठ

(३) वर्ष १९५४–५५ के लिए दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार के बारे में निम्न पत्रों की एक-एक प्रति

(एक) सन्तुलन पत्र

(दो) संचालन लेखे सहित लाभ और हानि का लेखा

(तीन) महाप्रबन्धक (जनरल मैनेजर) द्वारा आर्थिक समीक्षा

(चार) वार्षिक लेखे के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव १८२–२१३

राष्ट्रपति के अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव पर और आगे चर्चा की गयी चर्चा समाप्त नहीं हुई .

सामान्य आय-व्ययक, १९५७-५८ का उपस्थापन २१३–३८

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) ने वर्ष १९५७–५८ के लिए भारत सरकार के आय और व्यय के प्राक्कलनों का एक विवरण उपस्थापित किया

पुरः स्थापित किये गये विधेयक २३८–४०

निम्नलिखित विधेयक पुरःस्थापित किये गये :—

(१) वित्त (संख्या २) विधेयक, १९५७ ३२८

(२) धन कर विधेयक, १९५७ . २३९

(३) व्यय कर विधेयक, १९५७ . . २३९

(४) रेल यात्री किराया विधेयक, १९५७ . . २३९

(५) करों का अस्थायी संग्रह (अस्थायी संशोधन) विधेयक १९५७ . . . . . २४०

गुरुवार, १६ मई, १९५७ के लिए कार्यावलि

राष्ट्रपति के अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव पर और आगे चर्चा ।

———————